राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

मंगलवार,

28 मार्च, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

श्री महेन्द्र मीणा द्वारा आत्महत्या

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर को उजाड़ा गया है। (व्यवधान) और इससे महेन्द्र मीणा ने आत्महत्या कर ली है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यू सांगानेर रोड और....(व्यवधान) रोजी-रोटी छीन ली और उसको....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : प्रश्न संख्या 62।

श्री रामस्वरूप (टोडामीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बिजली सम्बन्धी एक प्रश्न भी इसमें लगा हुआ है। माननीय विद्युत मंत्रीजी विराजमान हैं, आप इस बात की भी कन्फर्म घोषणा करें कि आपने सूरतगढ़ वाले विद्युतघर के बारे में क्या किया। सूरतगढ़ बिजलीघर को चालू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस बारे में मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वेश्चन लगा हुआ है बिजली के बारे में। इस सूरतगढ़ वाले बिजलीघर का आप जरूर करिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सूरतगढ़ बिजलीघर को चालू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो आप। इकाई बन्द पड़ी है। (व्यवधान) इस समय किसानों पर संकट चल रहा है इसलिए मेहरबानी करके आप सूरतगढ़ बिजलीघर के लिए जरूर कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री जगत सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : जो अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकते और उसने कुएं में कूद कर आत्म-हत्या कर ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इन थड़ियों को हटाया है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर किया जाए। (व्यवधान)

सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की द्वितीय इकाई का शुभारम्भ

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इस सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं (व्यवधान) सूरतगढ़ की सैकिण्ड यूनिट, 250 मेगावाट को आज सवेरे 7.25 बजे प्रारम्भ कर दिया गया है। सभी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या कर ली है। (व्यवधान) इसके 3 मासूम बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सुनने दीजिए, बिजली का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनने नहीं देते हैं, किसानों का महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था मत फैलाइये। आप बैठिये, आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। आप विराजिए।

श्री रामस्वरूप : सूरतगढ़ बिजलीघर चालू होने जा रहा है, किसानों को बिजली का फायदा मिलेगा और ये बिजली पर बोलने नहीं देते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय विद्युत मन्त्रीजी, आप दुबारा घोषणा करिये। हमने सुना नहीं इनके डिस्टर्बेंस में।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, अव्यवस्था मत फैलाइये। श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा : प्रश्न संख्या 62।

श्री रामस्वरूप : आज बिजली का महत्वपूर्ण मामला है। +++ बिजली का महत्वपूर्ण मसला है। सूरतगढ़ बिजली घर की घोषणा कर रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील कहलाने वाली सरकार है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन की पहली स्टेज के सैकण्ड यूनिट को आज सवेरे साढ़ें सात बजे प्रारम्भ कर दिया गया है। (व्यवधान) जो काम ये लोग 10 साल तक नहीं कर पाये उस काम को इस सरकार ने 20 महीने और 15 दिन में कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सूरतगढ़ विद्युतघर के बारे में घोषणा की है कि सूरतगढ़ बिजलीघर को चालू कर दिया गया है। (व्यवधान) ये लोग किसानों के दुश्मन है।

डा. चन्द्रभान : यह रिकार्ड बना है पहली बार। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। क्या बात करते हो, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप बिजली के उत्पादन की अच्छी खबर सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : सूरतगढ़ बिजलीघर चालू होने की घोषणा कर दी गयी है। सूरतगढ़ बिजलीघर चालू हो गया है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह आल इण्डिया रिकार्ड है। 20 महीने और 15 दिन में इस यूनिट को चालू करना, इतनी लागत में बचत हुई है। (व्यवधान) और राजस्थान में ढाई सौ मेगावाट की यूनिट, इस सरकार ने 20 महीने और 15 दिन में प्रारम्भ कर दी। पहली यूनिट को यह सरकार 10 साल में भी कम्पलीट नहीं कर पाई थी। (व्यवधान) इस सैकण्ड यूनिट को 20 महीने और 15 दिन में आज सवेरे 7.25 पर प्रारम्भ कर दिया। आज इस

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

सदन को हमारे इंजीनियरों को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ सूरतगढ़ बिद्युतघर चालू करने पर साधुवाद।+++

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, आप बैंच पर खड़े हो रहे हैं, मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा सवाल मनुवादियों का सवाल आ रहा है और यह बी.एस.पी. का पहला क्वेश्चन है और इस तरीके से इनकी कोई हमदर्दी किसानों के साथ नहीं है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर के नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इनको पता था कि आज यह घोषणा सदन में होने वाली है इसलिये ये जान-बूझकर हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) आप किसानों के दुश्मन हो। आप जान-बूझकर +++ आप जवाब दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्या : अध्यक्ष महोदय, +++

श्री रामस्वरूप : +++ इन्होंने कपड़े फाड़ दिये हैं। +++

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, +++

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, आप माननीय सदस्यों को नियंत्रण में रखें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको हास्पिटल में भर्ती कराओ।

श्री हेमन्त कुमार : +++

श्री मोहन लाल मोदी : +++ (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : +++ डाक्टर को बुलवाइये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को मिर्गी हो गयी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सूरतगढ़ बिजलीघर को चालू करने के लिए. (व्यवधान)

+++नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर : X X X

श्रीमती मधु दाधीच : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो, आप बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कोई भी असंसदीय शब्द जो है, वह भी अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : X X X

श्री हेमन्त कुमार : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। सुना नहीं गया, आप बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे कह रहा हूं कि.... (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कय्यूम खान : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री घनश्याम जैन : X X X

श्री खेतसिंह राठौड़ : X X X

श्रीमती कमला बृजलाल : X X X

(भाजपा एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : X X X

श्री देबीलाल बैरवा : X X X

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठिये, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक आज 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(पुनः समवेत होने पर)

(12.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से राज्य कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन नये सिरे से तैयार करने एवं भ्रष्ट कर्मचारियों की सूची बनाने के मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बारां जिले की तुलसा परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना से किसानों को पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से राजस्थान में बागरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के थाना बेहराबंडा के दो किसानों सहित अनेक लोगों के अपहरण एवं फिरौती की कथित घटना के सम्बन्ध में।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से अतिक्रमण हटाने के अभियान "आपरेशन पिंक" के नाम पर वैध मकानों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो, सर ?

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बज कर 35 मिनट तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(12.35 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना व नारेबाजी)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित न हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप अपने स्थान पर जाकर बोलिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में यह बात तय हुई थी कि विपक्ष के नेता महोदय खड़े होकर यह निवेदन करेंगे कि महेन्द्र मीणा....

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर बिराजो तो ठीक रहेगा, आपके लीडर बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बिराजो, आपके लीडर बोल रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं तो वापस आ जाना, जब तक आपके लीडर बोले तब तक आप अपने स्थान पर बिराजो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): सुन लेंगे, सुन लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब यह कण्ट्रोल में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बिलकुल सही है, आप बहुत पहचानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा आरम्भ होते ही हमने महेन्द्र मीणा की हत्या के प्रश्न को लेकर यहां प्रोटेस्ट किया था। आप जानते हैं कि आपरेशन पिंक में सोडाला क्षेत्र में दुकानें, थड़ियों और मकानों को तोड़ा गया। इसमें एक महेन्द्र मीणा

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम विरोधी दल के नेता से सुनना जरूर चाहते हैं लेकिन यह भी बात सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि यह भी सरकार का जवाब सुनेंगे। यह भी एश्योर कर लें, क्योंकि बाद में भाग जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनेंगे, सुनेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि सुनेंगे। तो सुनेंगे न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ही नहीं, आप बोलेंगे वह भी सुनेंगे, सरकार को तो जाने दीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता सदन में बहुत सम्माननीय सदस्य हैं और पूरा सम्मान जो सदन के नेता को हम देते हैं, उतना ही सम्मान हम प्रतिपक्ष के नेता महोदय को देते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि जो भी सरकार का जवाब होगा, हम उसे सुनेंगे। इन परिस्थितियों में माननीय सदन के उप नेता जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम नहीं चाहते कि उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को अपनी-अपनी सीटों पर भिजवाइए और फिर कोई संतोष न हो तो उस वक्त आप इनकी टीम को वापस ला सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं और आपकी पार्टी के सदस्य आपका सम्मान न करें, यह हमको पीड़ा देता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, यह हाउस में आज पहली बार नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह +++ तो पहली बार हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस हाउस में मैंने ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि अध्यक्ष महोदय बीच में नहीं पड़ते तो एक सार्जेण्ट की कांग्रेस

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पार्टी के लोग हत्या कर देते। उसके कपड़े फाड़ दिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (चांदीकुई) : आपकी पार्टी के लोगों ने किया था, हमारी पार्टी ने नहीं किया था। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया था।

एक माननीय सदस्य : जब सत्ता पक्ष में थे तब इन्होंने ही किया था यह काम। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने—(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो वरिष्ठ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप आरोप नहीं लगायें, यह आपको शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय विपक्ष के नेता महोदय विराजमान हैं, आप कहते हैं सदन में किसी के प्रति ऐसा काम नहीं हुआ। आपके समय में क्या हुआ था? आपने तो हमारी टांगें तुड़वाई थीं और आप उधर बैठे थे मुख्य मंत्री बन कर, उस समय इसी सदन के अन्दर जब हम किसानों के लिये बिजली की मांग कर रहे थे आपने हमारी टांग को तुड़वाया था इस सदन के अन्दर और आप कहते हैं यहां कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आपके समय में क्या-क्या हुआ? वो हुआ जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। वो आपके टाइम में हुआ। यह किसानों की मांग करने पर हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो श्रीमान मदन दिलावर जी हैं उन्होंने यहां मंत्री रहते हुए क्या कृत्य किये थे वे किसी से छिपे नहीं हैं। गोपीचंद गुर्जर की विधान सभा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने यहीं पर हमारी आंखों के सामने पिटाई की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने सदस्यों को आसन ग्रहण कराइए। आप बोलिए, उसके बाद संतुष्ट न हों तो ये वापस आ जाएंगे। आप बोलें तब तक तो हाउस की गरिमा बनी रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं हाउस की गरिमा रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको आप अपने स्थान पर भेजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सरकार का उत्तर सुनूंगा और उत्तर सुनने के बाद में हमारी पार्टी यह फैसला करेगी कि करना क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए जब तक तो बिठाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बैठे रहने दीजिए, क्या आपत्ति है। आपत्ति क्या है? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : × × ×

श्री जनार्दन गहलोत : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री महेन्द्र मीणा : × × ×

श्री जनार्दन गहलोत : × × ×

श्री महेश जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। हां बिराजें। (व्यवधान) माननीय दिलावर जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया है:... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बिराजिए प्लीज। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि तथ्यात्मक स्थिति क्या है। मेरी विनम्र प्रार्थना प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह है कि आपने एक इश्यू उठाया, अब आपने सीधा प्रोटेस्ट चालू कर दिया, हाउस में डिसआर्डर क्रिएट कर दिया। हम लोग पहले यह जानना चाहते हैं पहले मंत्रीजी का वक्तव्य आए, आप क्लेरीफिकेशन सीक करें। अगर उनका वक्तव्य आता है, जो तथ्यात्मक जानकारी से अलग हटकर है तो आप सदन के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, लेकिन अब हम उससे बिलकुल अनभिज्ञ हैं। तो पहले मिनिस्टर का स्टेटमैंट हो जाए उसके बाद हो। इसलिए पहले मिनिस्टर का स्टेटमैंट आ जाए और उसके बाद नेता महोदय अपना वर्जन रखें और आपने जो आदेश दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार का स्टेटमैंट आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपकी डिमाण्ड क्या है यह पता पड़े तो स्टेटमैंट देगी सरकार। किस पर दें स्टेटमैंट ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिनिस्टर....

श्री उपाध्यक्ष : इश्यू क्या है स्टेटमैंट में ? What is the issue ? स्टेटमैंट किस पर दें ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यहीं तो अतिक्रमण वाला चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अतिक्रमण का नहीं है, यही तो प्राब्लम है। अतिक्रमण का नहीं है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अतिक्रमण का इश्यू नहीं है। एक ही इश्यू है हाउस को नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. को होश भी आया तो बहुत देर से आया और पूरा नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने घोषणा की थी कि हम विधान सभा का घेराव करेंगे तो पांच लाख आदमी लाएंगे। आदमी कम आये, इश्यू यह है। इसलिए असलियत का तो पता लगा। आदमी कम आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शायद हाउस में नहीं थे, यह इश्यू अतिक्रमण का नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो आचरण भारतीय जनता पार्टी ने किया (व्यवधान) पहले मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान) सुनो तो सही मेरी बात को। आप ऐसे करोगे तो अकेले पड़ जाओगे। पाकिस्तान की तरह अकेले पड़ जाओगे आप। ऐसा मत करो। मैं जो कहना चाहता हूं वह सुनिए आप। मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष में हम भी हैं, परन्तु आज माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने ऐसा व्यवहार यहां पर किया कि हमको कांफिडेंस में लिया ही नहीं और अकेले जैसे बी.जे.पी. ही विपक्ष है, या तो आप कह दें हम जो 10-11 हैं विपक्ष के नहीं हैं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जो आपने मुद्दा रेज किया है वह मुद्दा ही पता नहीं है। पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता को उस मुद्दे को रखना चाहिए था और रख कर हमें जानकारी देते। यह सब कुछ हो गया, एकदम से कह दिया हल्ला करो, हल्ला करो। यह कोई बात थोड़े ही है इस तरीके की। यह कोई शोभा की बात नहीं थी। आप पहले अपनी बात रखते और फिर सरकार से पूछते और सरकार नहीं मानती तो हम भी साथ हैं आपके इस मामले में। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने आत्म हत्या की है, क्या कारण रहे, क्या नहीं कारण रहे। बी.एस.पी. जो हमारी पार्टी है, वह भी पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की है। आज आप हंस रहे हो। जिन लोगों ने आपको वोट दिये हैं उनकी जब मैं बात करता हूं, आप इसलिए हंस रहे हो कि हम संख्या में कम हैं। स्वामी विवेकानन्दजी ने यह कहा था कि पहले जो काम आप शुरू करोगे उसके ऊपर लोग हंसेंगे, फिर जब आप थोड़े से ताकतवर बनोगे तो लोग-बाग आपकी आलोचना करेंगे और तीसरी स्टेज आयेगी जब आप और ताकत में आओगे तो लोग-बाग आपकी जय बोलेंगे और आपका सम्मान करेंगे। आज हम मानते हैं इस बात को कि बी.एस.पी. को, राष्ट्रीय जनता दल को डेढ़ दो साल हुए हैं, हम आज जो भी बात कहते हैं, हम खूब समझते हैं, आप हंसते हो। और सबसे बुरी बात तो यह है कि मेरे दलित वर्ग के लोग, आप लोग मनुवादी विचारधारा के हो, हंसते हो, +++ मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूं। आज यह जो भाई हमारा मरा है, आत्महत्या की है मीणा भाई ने, जो एस.टी. का है और उसके परिवार के साथ में हमारी पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता को हम

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

लोगों से यह पूछना चाहिए था। आप अकेले बी.जे.पी. के ही कारण प्रतिपक्ष के लीडर नहीं हैं, हम भी हैं। तो आप पहले बताते। इश्यू को आप रेज करते, बजाय कपड़े फड़वाने के। यह तो कोई बात नहीं हुई। आप बतायें इस बात को और फिर हम भी अपने विचार रखते और सरकार इसको नहीं मानती है तो हम आपकी मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, उसने आत्महत्या की हैं, कैसे प्रमाणित हो सकता है कि उसने किस मामले में हत्या की है? हो सकता है कि उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया होगा, कर्जे में दब गया होगा और किस कारण से आज हिन्दुस्तान में कितने लोग मरते हैं। यह कैसे मान सकते हो? इस बात को लेकर आपने खड़ा कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपने एक मुद्दा उठा लिया, आत्महत्या की है, आत्महत्या की है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : आत्महत्या का कारण क्या है... (व्यवधान) कोई रेकार्ड है क्या आपके पास ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान के इतिहास में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो अतिक्रमण हटवाए उससे आपको तकलीफ हो रही है। जो भू-माफिया गिरोह था वह आपसे मिला हुआ था, इस बात को लेकर आप यह कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमें विश्वास है और यह मुद्दा खतम हो जाएगा और अतिक्रमण हटेंगे और हटेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आप लोगों ने खूब कराया हैं अतिक्रमण। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं ... (व्यवधान) आपको कैसे मालूम हुआ ? तकलीफ बहुत हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय आप बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) बोलिये। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करवाइये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सदस्य तो नीचे बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोलेंगे, वो बोलेंगे।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा कभी नहीं रही। यह बोलेंगे उससे पहले सदस्यों को सीटों पर बिठा दो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और उनसे सदस्य नीचे बैठे हों। (व्यवधान) पुराना सारा रिकार्ड निकाल लीजिये।

श्री खेमराज कटारा : इनके सदस्य नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : हम उनका सम्मान करने के लिए बैठे हुए हैं। वे भी बैठें, उनकी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : वे नहीं चाहते उनका सम्मान करना तो क्या करो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप ऐसा न समझें कि वह उनका कहना नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप माननीय भैरोंसिंह जी को इतना कमजोर न समझें कि उनके कहने के बावजूद भी यह सीट पर नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी उनका चेला रहा हूं। माननीय भैरोंसिंहजी अगर चाहें तो एक बार यों करें तो सारे बैठ जाएं। ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु आप कर नहीं रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : आज कल विपक्षी दल के नेता महोदय की अंगुली पर मत चलो।

श्री जगत सिंह दायमा : आप गलतफहमी में मत रहो।

श्री जनार्दन गहलोत : वह जमाना गया जो अंगुली पर चलते थे।

श्री रतन लाल ताम्बी : जब पहले आप साथ थे तब ऐसा मानते थे, अब नहीं मानते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय भैरोंसिंह जी की अपनी पार्टी पर उतनी ही पकड़ है जितनी पहले थी परन्तु यह मन से नहीं कर रहे हैं, मन से कहते ही आ जाएंगे सब। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का वक्तव्य उनकी पार्टी ही सुनना नहीं चाहती और प्रोटेस्ट कर रही है और इस प्रोटेस्ट में धरना देकर बैठी है तो उनके वक्तव्य देने का क्या अर्थ रह गया? इसका कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : वक्तव्य के वक्त पर बैठे हैं तो फिर विरोध ही हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : सदन के सामने सवाल है, महेन्द्र मीणा जो यहां फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करता था, उसका व्यवसाय हटाने के कारण आहत होने से उसने आत्महत्या की है।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो आप भी धरने पर बैठो।

श्री अमराराम (धोद) : वह आपको पूछकर बैठूंगा क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, जब गरीबों को उजाड़ा जा रहा था, आज से 25 दिन पहले सबसे पहले आपरेशन पिंक.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या इश्यू है ?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, इसी इश्यू पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, (व्यवधान) यह कोई इश्यू ही नहीं है। अभी हाउस में ही नहीं है कोई बात। नहीं, आप बिराजें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 25 दिन पहले जब इस राजधानी में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को उजाड़ा जा रहा था, बुलडोजर चलाया जा रहा था, कांग्रेस चला रही थी, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता चुप था। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय के वह शब्द सुनाना चाहता हूं जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इन्होंने कहे थे। जब गरीब उजाड़ा जा रहा था तो कोई नेता नहीं बोल रहा था, जब गरीब राजधानी में उजाड़े जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के शब्द मुंह पर नहीं आ रहे थे लेकिन जब बड़े-बड़े लोगों को भू-माफियाओं को उजाड़ने लगे तो भारतीय जनता पार्टी भी उद्वेलित है, कांग्रेस के नेता भी अन्दर ही अन्दर उद्वेलित हैं कि यह आपरेशन पिंक नहीं चलाया जाए। वरना हिम्मत है तो सारे बड़े-बड़े लोगों ने, जिन्होंने जयपुर में कब्जे किये हैं अवैध, उनको तोड़ा जाए। लेकिन उनको एक को भी नहीं तोड़ा गया। उन गरीबों की रोजी-रोटी को उजाड़ा गया है जिसके कारण से आज एक महेन्द्र मीणा ने आत्महत्या की है। आने वाले दिनों में सैकड़ों ऐसी आत्महत्याएं होंगी क्योंकि आज झूठे बयान राज्य सरकार के मंत्री की ओर से आते हैं कि जिनको उजाड़ा है उनको रिहेबिलिटेट कर दिया गया है, 800 लोगों को कियोस्क दे दिये गये हैं। लेकिन आज तक उजड़े हुए लोगों में से एक का भी रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया है। हो रहा यहां तक है, उपाध्यक्ष महोदय, पांच रुपये का फार्म ढाई सौ और पांच सौ रुपये में इनका नगर निगम में बिक रहा है। उन गरीबों को केवल उजाड़ा ही नहीं गया और लूटा जा रहा है। उनको लूटा जा रहा है। तो जो महेन्द्र मीणा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज सरकार कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे और जो उजाड़े हैं उनको बसाने की योजना बाद में बनायेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण महेन्द्र मीणा ने आत्महत्या की है न कि उनको उजाड़ने के कारण। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसने आत्महत्या की है। इस बात का राजनीतिकरण किया

(एक माननीय सदस्य)

जा रहा है जबकि यह लोक कल्याणकारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की रक्षक है। उसने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से आत्महत्या की है।

(13.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : यह जो सवाल रखा गया है, महेन्द्र मीणा ने जो मजबूरी के कारण आत्महत्या की है उसके परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और वापस उसके परिवार को बसाया जाए। सरकार की तरफ से यह घोषणा की जानी चाहिए। इसके अलावा जितने भी उजाड़े गये हैं, जो कि फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे उनके लिए भी यह सरकार आश्वस्त करे कि उनको 15 दिन के अन्दर वापस रोजी-रोटी के लिए तैयार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप बोलना चाहते हैं? आपके सदस्यों को यदि आप वहां बिठाना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह बता दीजिये कि ये सदस्य अगर यहां बैठे रहें और आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं देंगे तो फिर हो गया।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

शिक्षा विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, शिक्षा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 24(4) शिक्षा-6/94 दिनांक 2.11.99 एवं अधिसूचना संख्या प. 24(4) शिक्षा-6/94 दिनांक 25.2.2000 जिसके द्वारा कतिपय व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 24(4) शिक्षा-6/94 दिनांक 2.3.2000 जिसके द्वारा कतिपय विधायकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

परिवहन विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(96) परि/कर/मुक्त/मु/97 पार्ट-II दिनांक 4.10.99 जिसके द्वारा दिनांक 11.10.99 से 20.10.99 की अवधि में अन्य राज्यों

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

से अजमेर शहर को जाने-आने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिए 3500 रुपये से अधिक उन करों का परिहार किया गया है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 6(103) परि/कर/मु/पार्ट-II दिनांक 4.10.99 जिस के द्वारा संविदा वाहनों द्वारा माह जून, 1990 में दिनांक 1 जून, 1990 से 26 जून, 1990 तक की अवधि में देय विशेष पथ कर के अन्तर का समानुपातिक आधार पर इस शर्त पर परिहार किया गया है कि जमा कर वापस देय नहीं होगा।

(3) अधिसूचना संख्या प. 6(96) परि/कर-मुक्त/मु/97 पार्ट-II दि. 24.1.2000 जिसके द्वारा विद्युत बैटरीचलित समस्त प्रकार के यानों पर देय करों का परिहार किया गया हैं।

(4) अधिसूचना संख्या प. 7(98) परि/रूल्स/सच. क्यू/99 दिनांक 5.11.99 अधिसूचना संख्या एफ. 6(96) परि/कर/संयुक्त/सर्वे/96 दि. 11.11.99 अधिसूचना संख्या प. 7(94) परि/रूल्स/एच. क्यू/94 दि. 11.1.2000 एवं अधिसूचना संख्या प. 7(94)परि/रूल्स/एच. क्यू/94 दि. 22.1.2000 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन।

कृषि विभाग

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 3(12) कृषि ग्रुप-II/98 दिनांक 1.11.1999 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कतिपय परिसर (कैम्पस) कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधीन स्थानान्तरित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा।

खनिज विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (सूचना एवं जन संपर्क राज्य मंत्री) (श्री हीरालाल इन्दोरा, खनिज मंत्री के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं खनिज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाए सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 14 (3) खान/ग्रुप-II/86 दिनांक 22.7.1999 जिस के द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.3.1986 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 15(5) खान/ग्रुप-II/96 दिनांक 23.9.1999 जिस के द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 15(5) खान/ग्रुप-II/96 दि. 7.12.19999 जिसके द्वारा खनिज मार्बल के अनियमित

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ब्लॉक की रायल्टी दर में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 15(20) खान/ग्रुप-II/91 दिनांक 27.12.1999 जिसके द्वारा राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1986 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 14(13) खान/ग्रुप-II/95 दिनांक 29.1.2000 जिसके द्वारा एकल व्हील कटर्स से मार्बल के असमान ब्लॉक्स की चिराई करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 10(2) खान/ग्रुप-II/85 दिनांक 26.7.1999 जिसके द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को कतिपय शक्तियां दी गयी हैं।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 14(2) ग्रुप-II 85 दिनांक 30.12.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 14(2) खान/ग्रुप-II/85 दि. 1.12.1994 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1998-99

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी.डी. कल्ला।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–99

श्री बी. डी. कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल्स लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–99

डा. जितेन्द्र सिंह (सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आज्ञा से, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–99

श्री भगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जल अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। श्री नारायण सिंह।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति, 1999–2000 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री नारायण सिंह (सभापति, याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, याचिका समिति, 1999-2000 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलने देना चाहते तो क्या करें। (व्यवधान) आपके नेता बोलें और आप नीचे बैठे रहें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप परम्परा को तोड़ना चाहते हो। श्री लक्ष्मण सिंह।

सदन की बैठक गुरुवार, 30 मार्च, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.05 बजे गुरुवार, 30 मार्च, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु किये गये प्रयास

62. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न प्रकार के क्या-क्या स्रोत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत वर्ष के दौरान भारी विद्युत संकट रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संकट के कारण इस वर्ष प्रदेश में कृषि उत्पादन में कमी होने की आशंका प्रबल है ?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत संकट के कारण प्रदेश में गत वर्ष के दौरान अनेक प्रमुख उद्योग बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत उत्पादन के निम्न लिखित स्रोत हैं :—

अ. स्वयं के विद्युत गृह :

1. कोटा तापीय विद्युत गृह
2. सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह
3. माही तथा लघु पन विद्युत गृह
4. रामगढ़ गैस विद्युत गृह

ब. भागीदारी स्रोत :

1. चम्बल पन विद्युत गृह श्रृंखला
2. भाखड़ा पन विद्युत गृह श्रृंखला
3. सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह

स. केन्द्रीय विद्युत गृहों से आवंटन :

सिंगरोली, रिहन्द, अन्ता, ओरिया; दादरी गैस, नरोरा आणविक, रावत-भाटा आणविक, ऊंचाहार प्रथम व द्वितीय, सलाल, चमेरा, टनकपुर तथा उड़ी ।

द. निजी परियोजना :

1. जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना

(2) जी नहीं, रबी की फसल के समय मांग के बढ़ने के कारण तथा आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की उपलब्धि कम होने के कारण नवम्बर व दिसम्बर 1999 में विद्युत आपूर्ति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस कमी को दूर करने के लिये पड़ौसी राज्यों, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र व केन्द्रीय विद्युत गृहों के गैर आवंटित कोटे से आवंटन करवा कर मांग व आपूर्ति में संतुलन बनाये रखा गया है ।

(3) रबी की फसल को ध्यान में रखते हुए किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माह दिसम्बर, 1999, जनवरी व फरवरी 2000 में शहरी क्षेत्रों में दिन में 2 से 3 घण्टे तथा उद्योगों पर 25% से 100% तक कटौती की गई । इस

(ऊर्जा मंत्री)

प्रकार कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर विद्युत आपूर्ति करने से रबी की फसल पर बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी की कोई आशंका नहीं है।

(4) बिजली की कमी के कारण प्रमुख उद्योगों के बन्द होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

विदेशी पर्यटकों के साथ होटल मालिकों एवं व्यापारियों द्वारा ठगी

63. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 1990 से 2000 तक कितनी रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किये और उनके क्या परिणाम रहें ?

(3) क्या राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से टैंपो, टैक्सी एवं होटल मालिकों और व्यापारियों द्वारा ठगी के मामले विभाग के ध्यान में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-1999 तक राज्य में आये देशी व विदेशी पर्यटकों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। राज्य में आने वाले पर्यटकों की सूचना कलेण्डर वर्ष के अनुसार संकलित की जाती है। वर्ष 2000 की सूचना इस कलेण्डर वर्ष के अन्त में संकलित की जाएगी।

(2) राज्य में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पर्यटन साहित्य के माध्यम से पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर-राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देने, सेमीनार, कॉन्फ्रेन्स, प्रदर्शनियों, मेले एवं त्यौहारों का आयोजन किया जाता है। इससे प्रतिवर्ष पर्यटकों के राज्य में आगमन में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर-राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन मेलों में भाग लेकर राजस्थान का एक पर्यटक राज्य के रूप में प्रचार किया जाता है।

(3) जी हां। इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस विभाग एवं सम्बन्धित संस्थाओं को लिखा जाता है।

वर्ष 1990 से 99 तक आये देशी व विदेशी पर्यटकों की सूची

वर्ष	राज्य में आये पर्यटक	
	देशी	विदेशी
1	2	3
1990	3735174	417641
1991	4300857	494150
1992	5263121	547802
1993	5454321	540738
1994	4699886	436801

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

1	2	3
1995	5248862	534749
1996	5726441	560946
1997	6290115	605060
1998	6403310	591369
1999	6675528	562685

महिला आयोग द्वारा प्रेषित सिफारिशों की क्रियान्विति

64. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में महिला आयोग के गठन के पश्चात् कितने परिवाद आयोग को प्राप्त हुए तथा कितने परिवादों में आयोग ने कार्यवाही करने की अभिशंषा सक्षम अधिकारियों/न्यायालयों/सरकार को प्रेषित की और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों ने विभिन्न महिला सदन, बाल/शिशुगृह का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में महिला आयोग के गठन के पश्चात् माह फरवरी, 2000 तक 550 परिवाद आयोग को प्राप्त हुए। आयोग ने 15 परिवादों पर कोई कार्यवाही करना महसूस नहीं किया है। शेष में से 151 प्रकरणों में की गई कार्यवाही एवं वे परिवाद जिन पर कार्यवाही करना महसूस नहीं किया गया, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा 384 प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों से अन्तिम पालना रिपोर्ट आना अपेक्षित है।

(2) महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा महिला सदन जयपुर, बाल शिशु गृह/बालिका गृह व महिला कारागार, जयपुर का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा शिशु गृह का निरीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 7.10.99 को आयोग को प्रस्तुत की गई।

महिला सदन का निरीक्षण दिनांक 23.9.99 को एवं शिशु गृह व बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण दि. 24.1.2000 को किया गया व महिला कारागार का निरीक्षण दिनांक 16.2.2000 को किया गया।

शिशु गृह के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट आयोग द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 8.10.99 को प्रेषित की गई। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

महिला सदन के निरीक्षण के उपरान्त आयोग द्वारा कोई निरीक्षण रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को नहीं भेजी केवल निरीक्षण के साथ ही मौखिक निर्देश अधीक्षिका, महिला सदन को दिये गये।

जेल विभाग में दिनांक 16.2.2000

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

को किये गये निरीक्षण की पालना रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

महिला आयोग द्वारा 12 सिफारिशें विभिन्न विभागों को प्रस्तुत की गई है। इनमें से एक सुझाव की पालना करते हुए राज्य सरकार ने राज्य महिला नीति जारी कर दी है, शेष 11 सिफारिशों पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है। महिला आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशों का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत चुनावों में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की जांच

65. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पंचायतराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायत चुनावों में प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दो परिपत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करने थे, जो दोष सिद्ध व मुकदमों के सम्बन्ध में थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि पीठासीन व निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ऐसे घोषणा पत्रों की जांच करना आवश्यक नहीं माना गया ?

(3) क्या यह सही है कि यदि किसी उम्मीदवार ने इन घोषणा–पत्रों में तथ्य छुपाये गये पाये जाने पर सरकार कार्यवाही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

ग्राम मोरजन्ड खारी (श्रीगंगानगर) में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

66. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड है ? जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 1999-2000 में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उक्त में डाक्टर/नर्स के कितने पद सृजित हैं ? क्या उक्त सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सृजित एवं रिक्त पदों की सूची क्रमवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गांव मोरजन्ड खारी तहसील सादूलशहर जिला श्री गंगानगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुरोध पर दान दाताओं द्वारा बनाया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में दो सामुदायिक चिकित्सालय हैं ? यदि हां, तो उनमें स्टाफ की क्या स्थिति है ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्थापित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जिला हनुमानगढ़ से भादरा पंचायत समिति के ग्राम गदरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उक्त संस्थान में डाक्टर एवं नर्स के सृजित एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(3) ग्राम मोरजन्द्र, खारी, तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत भवन का निर्माण करवाया गया है, किन्तु उक्त भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु बनाने के पूर्व चिकित्सा विभाग से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। ग्राम मोरचन्द्र खारी, पंचायत समिति सादुलशहर के अन्तर्गत आता है, जिसकी ग्रामीण जनसंख्या 1.28 लाख है। मानदण्ड अनुसार 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विपरीत 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, अतः एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(4) जी हां, विधान सभा क्षेत्र संगरिया में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उक्त में स्टाफ की स्थिति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लिपिक, बी.एच.वी. (मेल/फिमेल) मलेरिया निरीक्षक, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परिवार कल्याण कार्यकर्ता के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं संगणक के रिक्त पदों को निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के द्वारा पदस्थापित किये जाने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध है। अतः वाहन चालक एवं सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा शिथिलता एवं नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक/नर्स के सृजित पद कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

विधानसभा क्षेत्र संगरिया में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पद सृजित (संख्या)		कार्यरत		रिक्त	
	चिकित्सक	नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय	चिकित्सक	नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय	चिकित्सक	नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय
1	2	3	4	5	6	7
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाबां	1	2	1	1	—	1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माला रामपुर	2	3	2	2	—	1
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीनगढ़	1	2	1	2	—	—
4. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, किशनपुरा	1	2	1	2	—	—
5. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, पन्नीवाली	1	2	1	2	—	—
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरसिंहपुर	1	1	1	1	—	—
7. —यथा— लालगढ़	1	2	1	2	—	—
8. —यथा— हाकमबाद	1	1	1	1	—	—
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	6	6	5	6	1	—
10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादुलशहर	3	7	3	7	—	—

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की स्थिति का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	सृजित पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादुलशहर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन, मेडिसन)	2	2	–	—
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध
	नर्स श्रेणी प्रथम	3	3	–	एक पद पर नर्स श्रेणी-II पद विरुद्ध
	नर्स श्रेणी द्वितीय	4	4	–	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	1	1	—
	वरिष्ठ लिपिक	2	2	–	एक पद पर कनिष्ठ लिपिक
	वाहन चालक	2	2	–	—
	बी.एच.सी. (मेल/फिमेल)	2	2	–	एल.एच.वी. पद विरुद्ध
	एल.एच.वी.	1	1	–	—
	मलेरिया निरीक्षक	1	1	–	प्रा.स्वा. केन्द्र पर प्रतिनियुक्त है ।
	संगणक	1	–	1	—
	सहायक रेडियोग्राफर	1	1	–	—
	लेब टेक्नीशियन	1	1	–	—
	वार्ड बॉय	7	7	–	—

1	2	3	4	5	6
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	–	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	2	2	–	एक के पद विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	—
	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	—
	नर्स श्रेणी-प्रथम	1	1	–	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	5	–	—
	प्रसाविका	4	4	–	—
	रेडियोग्राफर	1	1	–	—
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	—
	वरिष्ठ लिपिक	2	–	2	—
	कनिष्ठ लिपिक	2	2	–	—
	वाहन चालक	2	1	1	—
	मलेरिया निरीक्षक	1	–	1	—
	वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1	–	1	—
	लेब टेक्नीशियन	1	1	–	—
	नेत्र सहायक	1	1	–	—
	बी.एच.एस. (मेल/फिमेल)	2	–	2	—
	संगणक	1	–	1	—
	एल.एच.वी.	1	1	–	—
	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	–	1	—
	सहायक कर्मचारी	13	5	8	—

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

67. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत होने के पश्चात भी अधिकांश को पेंशन भुगतान कई माह से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

इस विधान सभा क्षेत्र में 4516 वृद्ध व्यक्तियों वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। हां, यह सही है कि 1.4.99 के बाद के 760 नये पेंशन प्रकरणों में भुगतान नहीं हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में सर्वे के दौरान चिन्हित नये पेंशन प्रकरणों के बारे में शिकायत प्राप्त होने के कारण इन प्रकरणों की जांच करने हेतु पुनः सर्वे के आदेश एफ-9(5)(6)वृपें/सकवि/99/ दिनांक 17. 11. 99 को किये गये। उक्त जांच व सर्वे का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात नये वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों पर भुगतान की कार्यवाही हेतु विचार किया जावेगा।

जिला नागौर की स्वीकृति शुदा निरस्त सड़कें

68. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक सरकार द्वारा जिला नागौर में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की किस-किस योजना में दी गई ? उक्त में से कितना-कितना निर्माण कार्य हुआ ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में इससे पूर्व में स्वीकृत की गई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति निरस्त भी की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों की तथा किस-किस योजना में ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन सड़कों की स्वीकृति निरस्त की है उनके ठेके भी हो गये थे और कुछ निर्माण कार्य भी हुआ था ? यदि हां, तो किन-किन का ? विवरण सड़कवार व विधानसभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक सरकार द्वारा जिला नागौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति की गई है उनका विवरण विधान सभा क्षेत्रवार मय स्वीकृत लागत के एवं निर्माण की प्रगति के संलग्न परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त अवधि के दौरान नागौर जिले में पूर्व में स्वीकृत की गई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति निरस्त नहीं की गई है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में प्रेषित उत्तर अनुसार।

जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला नागौर में सड़कों के निर्माण कार्यों की जारी की गई स्वीकृति की सूची

1. विधान सभा क्षेत्र नागौर

क्र सं. 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृत राशि 3	भौतिक प्रगति 4
	बजट मद 5054 – सड़कें एवं पुल (राज्य पथ)		
1.	इम्प्रूवमेन्ट–नागौर–फलौदी सड़क कि.मी. 623/0 से 648/0 = 25 कि.मी	9.50	कार्य पूर्ण
	बजट मद : 5054 सड़कें एव पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)		
1.	बिरलोका से कुड़ची सड़क कि.मी. 17/0 से 20/0 = 3 कि.मी.	10.00	कार्य पूर्ण
2.	सड़क निर्माण खींवसर से देऊ कि.मी. 0/0 से 2/0 = 2 कि.मी.	15.00	कार्य पूर्ण
3.	सड़क निर्माण नागौर चूटिसरा श्यामनगर कि.मी. 0/0 से 6/0 = 6 कि.मी.	18.00	वित्तीय संसाधनों के सन्दर्भ में कार्य दिम्सबर से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।
	बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (आधार-भूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)		
1.	सड़क निर्माण मावन्डा–धारणावास वाया चारड़ा 9 कि.मी.	54.00	वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में कार्य दिस. 99 से बंद है। कार्यों पर रोक हटने के बाद पुनः शुरू करने की कार्यवाही जारी है।
2.	सड़क निर्माण नागड़ी से कुडछी वाया खुण्डाला 15 कि.मी.	85.00	—उपरोक्त—
3.	सड़क निर्माण पांचलासिद्धा से ईशरनावड़ा 9 कि.मी.	60.00	—उपरोक्त—
4	सड़क निर्माण मुण्डेल से चारणीसरा 10 कि.मी.	60.00	—उपरोक्त—
5.	सड़क निर्माण अलाय से कालडी 10 कि. मी	70.00	—उपरोक्त—

1	2	3	4
6.	सड़क निर्माण पांचला से आगिचा 10 कि. मी.	70.00	—उपरोक्त—
7.	सड़क निर्माण खुन्डाला से जोधपुर सीमा 3 कि. मी.	18.00	—उपरोक्त—
	योग	469.50	

2. विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोडर्नाईजेशन)

1.	मूण्डवा–कुचेरा–मेड़तासिटी 4 कि.मी.	20.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बंद है।
2.	मूण्डवा से कुचेरा कि.मी. 2/0 से 18/0 = 16 कि.मी.	25.00	आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।
3.	मूण्डवा से आरोप 27/0 से 32/0 = 5 कि. मी.	15.00	कार्य पूर्ण

बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)

1.	सड़क निर्माण रोल सू मूण्डवा 7 कि. मी.	40.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। कार्यों पर रोक हटने के बाद पुनः शुरू करने की कार्यवाही जारी है।
	योग	100.00 लाख	

3. विधान सभा क्षेत्र जायल

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (राज्य पथ)

1.	इम्प्रूवमेन्ट बाड़ीघाटी–डेगाना तरनाऊ सड़क कि.मी. 90/0 से 95/0 एवं 107/0 से 116/0 = 14 कि.मी.	37.74	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।

1	2	3	4
बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (आधारभूत–न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)			
1.	सड़क निर्माण कुचेरा से सांजू 8 कि.मी.	40.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। कार्यों पर से रोक हटने के बाद पुनः शुरू करने की कार्यवाही जारी है।
2.	सड़क निर्माण सेवड़ी से पींपासर कि. मी. 4	16.00	
3.	सड़क निर्माण रोल से मूण्डवा 7 कि.मी.	40.00	—उपरोक्त—
बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)			
1.	जायल – खियाला – रोटू सड़क कि.मी 8/0 से 10/0 एवं 18/0 से 19/0 = 3 कि.मी.	10.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।
2.	सम्पर्क सड़क जोचिना कि.मी. 0/0 से 2/0 = 2 कि.मी.	8.00	कार्य पूर्ण
3.	जायल से डेहू सड़क कि. मी. 27/0 से 34/0 = 7 कि.मी.	15.00	कार्य पूर्ण
4.	कुचेरा से सांजू कि.मी. 17/500 से 20/0 = 2.5 कि.मी.	14.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।
	योग	180.00	

4. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (राज्य पथ)

1.	मोर्डनाईजेशन ग्राफ सरवाड़–डीडवाना सुजानगढ़–लाडनू (एसएच-7) कि.मी. 197/0 से 201 = 4 कि.मी.	14.00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4
2.	मोर्डनाईजेशन बाड़ीघाटी–तरनाऊ–डीडवाना (एसएस 18) कि.मी. 135/0 से 142/0 एवं 148/0 से 157/0 = 16 कि.मी.	46.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की संभावना है।
	बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)		
1.	मोर्डनाईजेशन आफ दौलतपुरा से लोसल रोड कि.मी. 3/0 से 23 = 20 कि.मी	60.00	—उपरोक्त—
2.	मोर्डनाईजेशन आफ डीडवाना से दयालपुरा रोड कि.मी. 3/5000 से 13/500 = 4.5 कि.मी.	11.00	—उपरोक्त—
	योग	131.00	

5. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं

बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)

1.	स्टेन्थिग एवं मोर्डनाईजेशन आफ मीण्डासरी बस स्टेण्ड से सांवसाद रेल्वे स्टेशन कि.मी. 0/0 से 2/0 = 2 कि.मी	7.00	—उपरोक्त—
2.	मोर्डनाईजेशन आफ डीडवाना मीठड़ी सालासर रोड कि.मी. 0/0 से 0/500 एवं 3/0 से 12/0 = 9 कि.मी.	26.00	—उपरोक्त—
3.	मोर्डनाईजेशन आफ डीडवाना दयालपुरा रोड कि.मी. 3/500 से 13/500 = 4.5 कि.मी.	11.00	—उपरोक्त—

बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)

1.	सड़क निर्माण तीतरी से खामियाद = 3.6 कि.मी.	12.50	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। कार्यों पर रोक हटने के बाद पुनः शुरू करने की कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4
2.	सड़क निर्माण लेडी से डाबड़ी = 3.6 कि.मी.	20.00	—कार्य प्रगति—
	योग	76.50	

6. विधान सभा क्षेत्र नांवा

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)

1.	मोर्डनाईजेशन ग्राफ नांवा मारोठ श्यामगढ़ कि.मी. 13/0 से 18/0 = 5 कि. मी.	10.00	कार्य पूर्ण

7. विधान सभा क्षेत्र मकराना

बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)

1.	मोर्डनाईजेशन ग्राफ मकराना बोरावट रोड कि.मी. 2/500 से 5/500 बाइपास सी. सी. रोड 800 मीटर	87.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है । आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की सम्भावना है ।
	योग	87.00	

8. विधान सभा क्षेत्र मेड़तासिटी

बजट मद : 5054 सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)

1.	गोठन से टालनियाऊ सड़क कि.मी 3/0 से 6/0 = 3 कि.मी.	9.00	कार्य-पूर्ण
2.	नसीराबाद थांवला सड़क कि.मी. 21 = 2 कि.मी.	10.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस 99 से बन्द है । आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य होने की सम्भावना है ।
3.	मेड़ता–जसनगर कि.मी. 99/0 से 104/0 = 5 कि.मी.	10.00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4
4.	मेडता–गोठन 11/0 से 17 0 = 6 कि. मी.	13.00	कार्य पूर्ण
	बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)		
1.	मिसिगलिंग घनापा से खवासपुरा 5,5 कि. मी.	75.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है।
2.	सम्पर्क सड़क रामधाम–रेण 1.5 कि. मी.	9.60	कार्यों पर रोक हटने के बाद पुनः शुरू करने की कार्यवाही जारी है।
	बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (राज्य पथ)		
1.	दातीवाड़ा–पीपाड़ मेड़ताशहर–परबतसर कि.मी. 98, 105, 106 एवं 115/0 से 117/0 = 10 कि. मी.	30.00	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की सम्भावना है।
2.	संतूर जहाजपुरा–ब्यावर–मेडतारोड मूण्डवा–नागौर कि.मी. 67/0 से 78/0 = 11 कि.मी.	25.00	कार्य पूर्ण
	बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (नाबार्ड)		
1.	माणकियास से झिटिया सड़क 8.7 कि. मी.	57.19	वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्य दिस. 99 से बन्द है। आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य शुरू होने की सम्भावना है।
	योग	238.79 लाख	

9. विधान सभा क्षेत्र डेगाना

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं मोर्डनाईजेशन)

1.	डोडियाना–टेहला–थावला सड़क कि.मी. 8/0 से 13/0 = 5 कि.मी.	17.00	कार्य पूर्ण
2.	नागौर–मेडता वाया कुचेरा कि.मी. 20/0 से 25/0 = 5 कि.मी.	12.50	कार्य पूर्ण

1	2	3	4
3.	भैरून्दा–डेगाना सड़क कि.मी. 58 एवं 59 = 2 कि मी.	10.00	कार्य पूर्ण
4.	डेगाना–हरसोर सड़क कि.मी. 0/500 से 2/0 = 1.5 कि.मी.	9.00	कार्य पूर्ण
5.	थावला से पुरोहितासणी कि.मी. 3/0 से 8/0 = 5 कि.मी.	15.00	कार्य पूर्ण
6.	रेण से सांजू कि.मी. 17.0 से 22/0 = 5 कि.मी.	15.50	कार्य पूर्ण

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम)

1.	आकेली गंगादास जी की प्याऊ सड़क निर्माण कार्य 0.5 कि.मी.	4.00	कार्य पूर्ण
	योग	83.00 लाख	

10. विधान सभा क्षेत्र परबतसर

बजट मद : 5054–सड़कें एवं पुल (रिनोवेशन एवं कोर्डिनाईजेशन)

1.	पीपलाद से बस्सी सड़क कि.मी. 7/0 से 17/0 = 10 कि.मी.	34.00	कार्य पूर्ण
2.	मंगलाना चौराहे का सुधार कार्य	2.00	कार्य पूर्ण
	योग	36.00 लाख	

अधिशासी/सहायक अभियन्ता कार्यालय बयाना के रिक्त पद

69. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र बयाना में अधिशासी/सहायक अभियन्ता के कार्यालयों में कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

विद्युत मण्डल के बयाना स्थित कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का

(ऊर्जा मंत्री)

विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

जी हां। मण्डल प्रशासन का कार्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यालयों में जिनमें अधिशासी / सहायक अभियन्ता, बयाना के कार्यालय भी सम्मिलित हैं, विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिशेष कर्मचारियों के स्थानान्तरण से अथवा योग्य कर्मचारियों को उच्च पद पर पदोन्नत / क्रमोन्नत कर भरने का विचार है। इसी क्रम में दिनांक 28.2.2000 को एक आदेश जारी कर समस्त संभागीय मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि शहरी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अधिशेष कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालयों में स्थानान्तरित करें ताकि कर्मचारियों की कमी से सम्बन्धित कार्यालयों में विभिन्न कार्यों में रुकावट पैदा नहीं हो। उक्त आदेश के अनुसार वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

बयाना खण्ड एवं उपखण्ड में स्वीकृत (मंत्रालयिक/तकनीकी) पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
खण्ड बयाना			
कार्यालय अधीक्षक-प्र.	1	–	1
स्टेनो द्वितीय	1	–	1
कम्प्यूटर	1	1	–
वरिष्ठ लिपिक	2	2	–
कनिष्ठ लिपिक	5	3	2
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2	1
उपखण्ड बयाना			
कनिष्ठ अभियन्ता	4	3	1
कार्यालय अधीक्षक द्वितीय	1	–	1
लेखाकार	1	1	–
वरिष्ठ लिपिक	2	–	2
कनिष्ट लिपिक	21	11	10
फोरमैन-II	1	–	1
लाईनमैन-I	2	–	2
मीटर इंस्पेक्टर	1	1	–
इले. कम वायरमैन प्रथम	1	–	1
लाईनमैन-II	3	3	–
इले. कम वायरमैन-II	1	–	1
एसएसए/एसबीए-II	3	1	2
फिटर-II	1	1	–
ड्राफ्टसमैन	1	1	–
सहायक प्रथम	14	23	(–) 9
सहायक-II	20	7	13
सीसीए-III	–	47	(–)47
एसएसए-III	–	17	(–)17
मीटर रीडर-I	3	3	–
मीटर रीडर-II	3	3	–
इले.-II	–	1	(–) 1

1	2	3	4
वाहन चालक	2	–	2
च. श्रे. कर्म./			
बिल वितरक	11	11	–

परन्तु मण्डल के आदेश संख्या-617 दि. 1.3.2000 के अन्तर्गत मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिये गये हैं एवं तकनीकी कर्मचारियों की सीधी भर्ती वर्ष 1980 से बन्द है। अतः रिक्त पदों को अभी भरना संभव नहीं है।

सड़क मार्गों पर संचालित मिड-वे रेस्टोरेन्ट

70. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य के किन-किन स्थानों पर मिड-वे/रेस्टोरेन्ट आदि सड़क मार्गों पर चलाये जा रहे हैं ?

(2) वर्ष 1999-2000 की अवधि में प्रत्येक पर कितनी आमदनी/व्यय हुआ और कितने लाभ/हानि में है ?

(3) खाने पीने के कौन-कौन आइटम इनमें सुलभ करवाये जा रहे हैं तथा उनकी क्या-क्या दरें हैं ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा राज्य के मार्गों पर संचालित रेस्त्राँ इत्यादि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1999-2000 की आय-व्यय के ब्योरे की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) निगम द्वारा संचालित मोटल्स के द्वारा सुलभ कराये जा रहे आईटम एवं दरों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रबन्ध निदेशक महिला विकास अभिकरण, श्री गंगानगर के विरुद्ध जांच

71. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 में प्रबन्ध निदेशक महिला विकास अभिकरण, श्रीगंगानगर के पद पर कौन पदस्थापित था ? क्या इसके विरुद्ध कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायत के आधार पर इसके विरुद्ध जांच करवाई गई ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त जांच में क्या यह दोषी पाई गई ? यदि हां, तो इस आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक पद पर नियुक्ति के पूर्व इसने सशर्त नियुक्ति की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो वह शर्त क्या थी और क्या इसी को स्वीकृति देते हुए नियुक्ति की गई थी ?

उत्तर

(1) जिला महिला विकास अभिकरणों में प्रबन्ध निदेशक का पद नहीं होता, इन अभिकरणों में परियोजना निदेशकों का पद सृजित है। वर्ष 1998–99 की अवधि में दिनांक 30.10.97 से 10.2.99 तक श्रीमती हरमिन्दर कौर एवं 10.2.99 से 30.10.99 तक श्रीमती चन्द्रिका सूद, परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, श्री गंगानगर के पद पर पदस्थापित रही।

जी हां। श्रीमती चन्द्रिका सूद के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। क्षेत्रीय उप निदेशक, श्री गंगानगर द्वारा इसकी जांच कराई गई जांच रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि श्रीमती सूद के संघ परिवार से सम्बन्धित संगठन भारतीय शिक्षा मण्डल, जोधपुर के अध्यक्ष पद पर होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला लेकिन अनेक समाचार पत्रों में छपे समाचारों तथा फोटोग्राफ आदि से अप्रत्यक्ष रूप से इनके भारतीय शिक्षा मण्डल से सम्बन्धित होने के अप्रत्यक्ष/परिस्थितिजनक प्रमाण है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद श्रीमती सूद को उनके पैतृक विभाग में भिजवाने के आदेश जारी कर दिये गये। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है। परिशिष्ट "ब"

(3) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

एक ही भवन में चल रहे प्राथमिक/शिक्षाकर्मी विद्यालय

72. **श्री अमराराम चौधरी** (पत्रपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी शिक्षाकर्मी पाठशालाएं चल रही हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में ऐसे कितने स्थान हैं जहां राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं और शिक्षाकर्मी पाठशालाएं एक भवन में साथ-साथ चल रही है ? क्या सरकार ऐसी शिक्षाकर्मी पाठशालाओं को उक्त स्थान से एक-दो किलोमीटर दूर उसी ग्राम की सरहद में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके हैं जहां शिक्षाकर्मी और राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं एक भवन में एक ही ग्राम में नहीं चलाकर ढाणियों में स्कूल खोला जाए ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक स्थान पर एक ही भवन में दो पाठशालाएं साथ चलने से सरकारी धन का दुरुपयोग होता? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 2708 शिक्षाकर्मी पाठशालाएं चल रही हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं है

(शिक्षा मंत्री)

जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय और शिक्षाकर्मी विद्यालय दोनों एक ही भवन में चल रहे हों।

(3) गोदावास खुर्द, पंचायत समिति बालोतरा में शिक्षाकर्मी विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पास-पास संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामवासियों का एक वर्ग राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानांतरण चाहता है और एक अन्य वर्ग शिक्षाकर्मी विद्यालय का स्थानांतरण चाहता है।

(4) ग्राम में एक ही प्राथमिक शाला रखने के मसले पर ग्राम सभा में चर्चा हुयी जिस पर सर्व सम्मति नहीं हो पायी।

शिक्षाकर्मी परियोजनान्तर्गत विद्यालयों एवं आंगन पाठशालाओं की संख्या

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	विद्यालयों की संख्या	क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	अजमेर	1. अराई प्रथम	18			15. सिवाना प्रथम	13
		2. अंराई द्वितीय	13			16. सिवाना द्वितीय	15
		3. केकड़ी	18			17. शिव	14
		4. जवाजा	14			18. चौरीमन्ना	7
		5. मसूदा प्रथम	22			19. बायतू प्रथम	14
		6. पीसांगन	15			20. बायतू द्वितीय	7
		7. किशनगढ़	10			21. बायतू आंगन पाठशाला	18
		योग	110				
2.	अलवर	9. थानागाजी	11			22. चोहटन प्रथम	16
		10. उमरैण	4			23. चोहटन द्वितीय	25
		योग	15			योग	198
3.	बाड़मेर	11. बाड़मेर	20	4.	बारां	24. बारा	7
		12. सिणधरी	13			25. अटरू	12
		13. बालोतरा प्रथम	18			26, किशनगंज प्रथम	13
		14. बालोतरा द्वितीय	18			27. किशनगंज द्वितीय	15

1	2	3	4
		28. शाहबाद प्रथम	16
		29. शाहबाद द्वितीय	18
		30. शाहबाद तृतीय	15
		31. शाहबाद चतुर्थ	15
		32. अन्ता	16
		33. छबड़ा प्रथम	13
		34. छबड़ा द्वितीय	13
		35. छीपाबडोद	4
		योग	**157**
5.	बांसवाड़ा	36. घाटोल प्रथम	15
		37. घाटोल द्वितीय	14
		38. सज्जनगढ़	13
		39. बागीदौरा	17
		40. गढ़ी प्रथम	16
		41. गढ़ी द्वितीय	16
		42. पीपलखूंट प्रथम	17
		43. पीपलखूंट द्वितीय	18
		44. आनन्दपुरी प्रथम	15
		45. आनन्दपुरी द्वितीय	7
		46. तलवाड़ा प्रथम	14
		47. तलवाड़ा द्वितीय	10
		48. कुशलगढ़	17
		योग	**189**
6.	बीकानेर	49. कोलायत प्रथम	18
		50. कोलायत द्वितीय	14
		51. कोलायत तृतीय	14
		52. लूणकरणसर प्रथम	18
		53. लूणकरणसर द्वितीय	12
		54. लूणकरणसर तृतीय	23
		55. बीकानेर प्रथम	14
		56. बीकानेर द्वितीय	14
		57. बीकानेर तृतीय	10
		58. बीकानेर चतुर्थ	14
		59. बीकानेर पंचम	14
		60. बीकानेर षष्टम	15
		61. (बी) बीकानेर सप्तम	12
		योग	**192**
7.	बून्दी	62. तालेड़ा	7
		63. नैनवा	7
		64. हिण्डोली	9
		योग	**23**
8.	भरतपुर	65. बैर	15
		66. बयाना	17
		67. कामां	8
		68. डीग	10
		योग	**50**
9.	भीलवाड़ा	69. कोटड़ी प्रथम	13
		70. हुरडा	13

1	2	3	4
		71. आसीन्द	8
		72. जहाजपुर	15
		73. रायपुर	5
		74. मांडलगढ़	17
		75. मांडल	14
		76. सहाड़ा	11
		77. बनेड़ा	12
		योग	**108**
10.	चित्तौड़गढ़	78. अरनोद	17
		79. बड़ी सादड़ी	23
		80. राशमी	7
		81. भैंसरोड़गढ़	11
		82. डूंगला	6
		83. भदेसर प्रथम	10
		84. भदेसर द्वितीय	10
		85. प्रतापगढ़ प्रथम	12
		86. प्रतापगढ़ द्वितीय	15
		योग	**111**
11.	चूरू	87. सरदारशहर	11
		88. सुजानगढ़ प्रथम	16
		89. सुजानगढ़ द्वितीय	12
		90. सुजानगढ़ तृतीय	13
		91. राजगढ़	1
		92. तारानगर	6
		93. रतनगढ़	13
		योग	**72**
12.	दौसा	94. बांदीकुई	21
		95. सिकराय प्रथम	18
		96. सिकराय द्वितीय	18
		97. दौसा	16
		98. लालसोट प्रथम	14
		99. लालसोट द्वितीय	9
		योग	**96**
13.	धौलपुर	100. राजाखेड़ा	18
		101. धौलपुर प्रथम	16
		102. धौलपुर द्वितीय	12
		103. बाड़ी प्रथम	13
		104. बाड़ी द्वितीय	8
		105. बसेड़ी प्रथम	11
		106. बसेड़ी द्वितीय	13
		योग	**91**
14.	डूंगरपुर	107. सागवाड़ा	5
		108. बिच्छीवाड़ा प्रथम	15
		109. बिच्छीवाड़ा द्वितीय	17
		110. आसपुर	3
		111. सीमलवाड़ा	3
		योग	**43**
15.	गंगानगर	112. अनूपगढ़	8
		113. सूरतगढ़	12
		114. रायसिंहनगर	8
		योग	**28**
16.	जयपुर	115. चाकसू	14

1	2	3	4
		116. फागी	7
		117. दूदू	17
		118. सांभर	11
		119. कोटपूतली प्रथम	14
		120. कोटपूतली द्वितीय	13
		योग	76
17.	जालोर	121. भीनमाल प्रथम	11
		122. भीनमाल द्वितीय	8
		123. आहोर	9
		124. जालोर	15
		125. जसवंतपुरा	7
		126. रानीवाड़ा	16
		127. सायला	7
		योग	73
18.	जैसलमेर	128. सांकड़ा	24
		129. सम	4
		योग	28
19.	जोधपुर	130. शेरगढ़ प्रथम	17
		131. शेरगढ़ द्वितीय	16
		132. ओसियां	16
		133. बालेसर	8
		134. मंडोर	4
		135. भोपालगढ़	5
		136. फलोदी प्रथम	13
		137. फलोदी द्वितीय	15
		138. फलोदी तृतीय	15
		139. फलोदी आंगन पाठशाला	13
		140. बाप	7
		141. मंडोर	4
		142. लूणी	14
		योग	143
20.	झालावाड़	143. बकानी	13
		144. खानपुर	9
		145. मनोहरथाना	16
		146. झालरापाटन प्रथम	14
		147. झालरापाटन द्वितीय	16
		148. डग	12
		149. सुनेल (पिड़ावा)	9
		योग	89
21.	झुन्झुनूं	150. खेतड़ी	2
		योग	2
22.	करौली	151. करौली प्रथम	17
		152. करौली द्वितीय	12
		153. करौली आंगन पाठशाला	9
		154. सपोटरा प्रथम	15
		155. सपोटरा द्वितीय	12
		156. हिण्डौन	19
		157. नादौती	14
		158. टोडाभीम	1
		योग	99
23.	कोटा	159. इटावा	16

1	2	3	4
		160. सांगोद	15
		योग	31
24.	नागौर	161. कुचामन सिटी प्रथम	12
		162. कुचामन सिटी द्वितीय	21
		163. कुचामन आंगन पाठशाला	22
		164. नागौर प्रथम	13
		165. नागौर द्वितीय	26
		166. नागौर आंगन पाठशाला	6
		167. मेडता	4
		168. डीडवाना	2
		169. परबतसर	7
		योग	113
25.	पाली	170. बाली प्रथम	14
		171. बाली द्वितीय	14
		172. बाली तृतीय	8
		173. रायपुर प्रथम	16
		174. रायपुर द्वितीय	15
		175. मारवाड़	3
		योग	70
26.	राजसमन्द	176. कुम्भलगढ़ प्रथम	14
		177. कुम्भलगढ़ द्वितीय	15
		178. कुम्भलगढ़ तृतीय	14

1	2	3	4
		179. देवगढ़	10
		180. भीम	15
		181. खमनोर	10
		182. रेलमगरा	1
		योग	79
27.	सवाई माधोपुर	183. खण्डार प्रथम	11
		184. खण्डार द्वितीय	10
		185. बौंली	15
		186. गंगापुर	4
		योग	40
28.	सिरोही	187. शिवगंज	7
		188. पिण्डवाड़ा	15
		189. आबूरोड प्रथम	15
		190. आबूरोड द्वितीय	12
		191. आबूरोड आंगन पाठशाला	5
		192. रेवदर	8
		योग	62
29.	सीकर	193. नीम का थाना प्रथम	13
		194. नीम का थाना द्वितीय	8
		योग	21
30.	टोंक	195. मालपुरा	23
		196. टोडारायसिंह	7
		197. टोंक	16
		198. निवाई	10
		योग	56

1	2	3	4	1	2	3	4
31.	उदयपुर	199. गिर्वा	14			210. सराड़ा प्रथम	15
		200. गोगुन्दा	16			211. सराड़ा द्वितीय	15
		201. झाडोल प्रथम	15			212. धरियावाद	14
		202. झाडोल द्वितीय	15			213. भीण्डर प्रथम	19
		203. झाडोल तृतीय	16			214. भीण्डर द्वितीय	16
		204. झाडोल ग्रां.पा.	14			215. मावली	1
		205. कोटडा प्रथम	16			योग	243
		206. कोटडा द्वितीय	15				
		207. कोटडा तृतीय	10			कुल योग	2708
		208. सलूम्बर प्रथम	15				
		209. सलूम्बर द्वितीय	17			2621 विद्यालय एवं 87 आंगन पाठशाला	

सामुदायिक चिकित्सालय टोडाभीम में ऑपरेशन सुविधा

73. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालय, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं और पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 1999–2000 में उक्त क्षेत्र में मानदण्डानुसार अब किस-किस स्थानों पर चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है?

(3) क्या यह सही है कि टोडाभीम चिकित्सालय में ऑपरेशन भवन तैयार है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार ऑपरेशन करने की सुविधा वर्ष 2000 से उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की रिक्ति की अवधि मय कारण के संस्थावार विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) सैक्टर सुपरवाईजर एवं ब्लाक हैल्थ सुपरवाईजर के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर, चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों पर प्रतिबन्ध होने के कारण वाहन चालक के पद को भरा जाना संभव नहीं हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में पंचायत नादौती पूर्ण एवं पंचायत समिति टोड़ाभीम का कुछ भाग आता है। भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डानुसार उक्त पंचायत समितियों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, व 23 उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिक है। निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध होने के कारण अतिरिक्त संस्थान खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। टोडाभीम चिकित्सालय में ऑपरेशन थियेटर का भवन माह जून, 1998 से निर्मित है, जिसमें ऑपरेशन का कार्य सम्पन्न हो रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर शहर में आयोजित विकलांग मेले में अव्यवस्था

74. श्री के. सी चौधरी (ब्यावर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 26 फरवरी, 2000 को ब्यावर शहर में उपखण्ड प्रशासन द्वारा एक विकलांग मेले का आयोजन किया गया था ?

(2) क्या उक्त मेले में मंच पर घोर अव्यवस्था हुई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मेले के मुख्य आयोजक ब्यावर के उपखण्ड अधिकारी मंच पर अनुपस्थित थे, जबकि उपखण्ड अधिकारी की ही उक्त जिम्मेदारी थी ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 26 फरवरी, 2000 को उपखण्ड प्रशासन द्वारा ब्यावर शहर में एक विकलांग मेले का आयोजन किया गया था।

(2) जी, नहीं। कार्यक्रम के दौरान एक विकलांग व्यक्ति ने मंच पर आकर अपनी समस्या रखी, जिसे समझा कर असंतुष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त मंच पर अन्य कोई अव्यवस्था नहीं हुई।

(3) इस मेले के मुख्य आयोजक उपखण्ड अधिकारी ब्यावर अन्य अधिकारियों के साथ थे। मंच पर केवल मंत्री महोदय एवं अन्य अतिथिगण ही विराजमान थे।

किसानों को वितरित प्रमाणित ग्वार बीज की गुणवत्ता

75. डा राम प्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. राम प्रताप)

(1) वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में ग्वार कितने क्षेत्रफल में बोई गई है ? राज्य सरकार कृषि विभाग ने ग्वार का प्रमाणित बीज कितने क्षेत्रफल के लिए कितनी मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाया है।

(2) क्या यह सही है कि प्रमाणित बीज की गुणवत्ता के बारे में किसानों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमाणित ग्वार के बीज के नमूने किन-किन महिनों में लिये गये और नकली बीज पाने पर दोषी बीज विक्रेताओं पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ वर्ष 1999 में 24.72 लाख हैक्टर में ग्वार की फसल की बुवाई की गई। कृषि विभाग द्वारा 5455 क्विण्टल प्रमाणित/उन्नत बीज 36000 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु वितरित किया। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा 286 क्विण्टल प्रमाणित बीज एवं निजी विक्रेताओं द्वारा 5169 क्विण्टल प्रमाणित/उन्नत किस्म का बीज किसानों को वितरित किया गया।

(2) ग्वार के प्रमाणित बीज की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ग्वार के प्रमाणित बीज के मई, 99 में 2 जून, 99 में 28, जुलाई, 99 में 17 एवं अगस्त, 99 में 1 नमूने कुल 48 नमूने लिये गये। जांच उपरान्त सभी नमूने मानक पाये गये परन्तु श्रीगंगानगर क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा स्थानीय अनाज विक्रेताओं एवं किसानों व 2 बीज विक्रेताओं से खरीद कर बोई गई ग्वार को ग्वारी बताकर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके तहत पंजीकृत दोनों बीज विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्वार व ग्वारी केवल स्थानीय भाषा का अन्तर बताया जबकि ग्वारी नाम का कोई प्रमाणित बीज नहीं होता है।

पाली जिले की मेटल सड़कों का डामरीकरण

76. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की मेटल सड़कों पर अब तक कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मेटल सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली की मेटल सड़कों के निर्माण पर अब तक राशि रुपये 680.85 लाख का व्यय किया गया है। सूची संलग्न प्रपत्र "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त मेटल सड़कों में से पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली चार सड़कों, जनसंख्या 1991 के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

22 सड़कों, सम्बल गांवों को जोड़ने 2 सड़कों धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली 24 सड़कों को डामरीकरण करना सड़क विकास नीति अनुसार वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रस्तावित है। शेष मेटल सड़कों का डामरीकरण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रपत्र "क"

क्र. सं.	कार्य का नाम	मेटल सड़क की लम्बाई (कि.मी. में)	व्यय राशि (लाखों में)	सड़क विकास नीति में आते हैं। हां/नहीं
1	2	3	4	5
1.	खारड़ा लूप सड़क	13.00	14.98	नहीं।
2.	फालना सुमेरपुर सड़क	10.00	4.95	,,
3.	रूगड़ी से पिलोवेनी	4.00	4.95	,,
4.	सम्पर्क सड़क पचपदरिया (1271/91)	6.00	8.00	हां।
5.	पाली बागडिया ददिया	6.00	9.88	नहीं।
6.	रोहट लालकी सड़क (1339/91)	5 00	9.49	हां।
7.	मुकनपुरा से मण्डलीदर्जियान (संबल गांव)	3.00	4.99	,,
8.	अरटिया ढाबर	3.00	2.00	नहीं।
9.	बाण्डाई से सरदारसमंद वाया मण्डली दर्जियान (सम्बल गांव)	7.00	11.95	हां।
10.	ढाबर कानावास	7.00	7.00	नहीं।
11.	कीरवा से गुडा एन्दला	4.00	3.75	,,
12.	बालराई नवागुडा	2.50	4.97	,,
13.	माण्डल से पुनाड़िया	4.00	4.98	,,
14.	रानी रेल्वे स्टेशन से भगवानपुरा	4.00	5.00	,,
15.	पावा से रोडला जिला सीमा तक	2.50	4.37	नहीं।
16.	सम्पर्क सड़क सरथूर (1171/91)	2.00	2.95	हां।
17.	आमली मीमाणा वाया ठण्डी बेरी	3.00	4.95	नहीं।

1	2	3	4	5
18.	सम्पर्क सड़क ठाकुरला से गुडा बिच्छू	2.00	3.00	नहीं।
19.	लिंक रोड स्टेट हाईवे-3 से एमडी आर-13 वाया पुनायता	5.00	5.00	,,
20.	धनी से बामनिया	2.00	2.00	,,
21.	कूरणा से गुडा प्रतापसिंह (धार्मिक स्थल)	5.00	5.00	हां।
22.	किरवा से खटूकड़ा (1349/91)	6.00	9.89	,,
23.	कुलथाना से गोदावास	5.00	7.62	नहीं।
24.	खौड से चांगवा	5.00	10.00	,,
25.	बालराई से गुडा खुन्नी	2.00	4.38	,,
26.	देवान से कूलथाना	3.00	4.80	,,
27.	सम्पर्क सड़क उमकली	1.00	1.20	,,
28.	नाना कोयलबाव पाटरिया सड़क	1.25	2.50	,,
29.	भीमाना से सेईडेम	2.00	4.30	नहीं।
30.	दांतीवाड़ा से पांचलवाड़ा	5.00	5.70	,,
31.	सम्पर्क सड़क भीटवाड़ा	1.00	1.00	,,
32.	खींबाड़ा पनौता से मेवीकलां	3.00	4.49	,,
33.	रोजड़ी खिनांदी सड़क	4.50	10.00	,,
34.	सम्पर्क सड़क कोट सोलंकियान	1.00	1.68	,,
35.	सम्पर्क सड़क सांसरी	1.50	1.75	,,
36.	सम्पर्क सड़क काला पीपल की ढाणी (1094/91)	3.00	4.50	हां।
37.	सम्पर्क सड़क मामाजी का थान (कारवा) (धार्मिक स्थल)	1.00	1.81	हां।
38.	खौड़ पुतली बालाजी थान (धार्मिक स्थल)	2.00	2.46	,,
39.	खातीखेड़ा से लाम्बिया	5.00	7.85	नहीं।
40.	सांवलता से बोला गुडा	3.00	4.99	,,
41.	सम्पर्क सड़क जोबा से सुथारों का गुडा	2.00	4.50	,,
42.	सम्पर्क सड़क जुंझार का मन्दिर राजपुरा (धार्मिक स्थल)	2.50	4.63	हां।

1	2	3	4	5
43.	सम्पर्क सड़क अम्बाजी माता मन्दिर (देसूरी) धार्मिक स्थल	1,00	1.48	हां।
44.	सम्पर्क सड़क गुडा मांगलिया	2.00	5.00	नहीं।
45.	सम्पर्क सड़क घोघारियों की गली, खीमेल	1.00	1.44	,,
46.	सम्पर्क सड़क एस/सी/एस/टी कालोनी बेड़ा	1.00	2.15	,,
47.	सम्पर्क सड़क हिंगोला (149/91)	3.00	8.00	हां।
48.	कोलीवाड़ा से सुमेरपुर	3.20	5.00	नहीं।
49.	गन्दोख से ठाकुरकला	3.00	6.00	,,
50.	सम्पर्क सड़क बायोसा थान मणिहारी (धार्मिक स्थल)	1.00	2.16	हां।
51.	सम्पर्क सड़क एससी/एसटी कालोनीडरी	0.50	0.50	नहीं।
52.	कूलवाना से चिगाणा	4.00	5.50	,,
53	देवल माता मन्दिर गड़वाड़ा (धार्मिक स्थल)	1.00	2.00	हां।
54.	बाण्डाई से चोटिला दरगाह (धार्मिक स्थल)	3.00	5.38	,,
55.	सम्पर्क सड़क सिराणा (1005/91)	6.00	9.19	,,
56.	मांवरी से उन्दरा	6.00	9.97	नहीं।
57.	सम्पर्क सड़क माताजी का बाड़ा (1081/91)	3.00	6.53	हां।
58.	सम्पर्क सड़क पुनाधर माताजी कि.मी. 101 एनएच–14 से (धार्मिक स्थल)	3.00	8.00	,,
59.	सम्पर्क सड़क गुडा जैतसिंह (1075/91)	3.00	4.94	,,
60.	सम्पर्क सड़क ज्वालेश्वर महादेव (धार्मिक स्थल)	2.00	3.05	,,
61.	सम्पर्क सड़क बरी	5.00	10.00	,,
62.	सम्पर्क सड़क बाड का स्कूल	0.40	1.47	,,
63.	सम्पर्क सड़क अंजनेश्वर महादेव (धार्मिक स्थल)	5.00	5.00	हां।

1	2	3	4	5
64.	सोमेसर से मोडवाड़िया	4.00	7.60	नहीं।
65.	पंचायत घर चांचोड़ी से हनुमानजी मंदिर (धार्मिक स्थल)	1.00	2.50	हां।
66.	सम्पर्क सड़क गुडा मोपसिंह	3.00	7.86	नहीं।
67.	खैरवा से देवाली वाया सापूनी कि.मी. 0/500 से 3/0	2.50	4.58	,,
68.	खैरवा से टेवाली खुर्द 3/0 से 7/500	4.50	8.37	,,
69.	सम्पर्क सड़क पोमावा 0/0 से 2/0	2.00	5.00	,,
70.	नोवी से बिठिया वाया जानाकृष्णनगर	2.00	4.00	,,
71.	बेड़ा से कांकराड़ी 0/0 से 3/0	3.00	5.00	,,
72.	बिसनपुरा से गौतमजी 3/0 से 6/0 (धार्मिक स्थल)	3.00	5.00	हां।
73.	गोरल्या से सांभरवाड़ा 0/0 से 5/0	5.00	10.00	नहीं।
74.	मीणा रेल्वे स्टेशन से सोनागिरी हनुमानजी 3/0 से 5/0 (धार्मिक स्थल)	2.00	5.00	हां।
75	मेटल सड़क भैसाणा ददोई	4.00	5.00	नहीं।
76.	सरदारसंमद से नौगजा दरगाह (धार्मिक स्थल)	1.50	3.12	हां।
77.	सम्पर्क सड़क सियाट	1.50	2.94	नहीं।
78.	सरदारपुरा से धन्धेडी महादेव (धार्मिक स्थल)	2.25	3.92	हां।
79.	सम्पर्क सड़क पांचवा कलां (1335/91)	3.00	4.75	,,
80.	सम्पर्क सड़क धन्धेड़ी (1318/91)	4.00	4.19	,,
81.	सम्पर्क सड़क शिवपुरा से बिजपुर	4.00	4.86	नहीं।
82.	गुडा रामसिंह से गुडा केसरसिंह	3.00	4.99	,,
83.	आऊवा से शिव मन्दिर सड़क (धार्मिक स्थल)	1.00	1.36	हां।
84.	जोजावर से गुडा मोकमसिंह	8.00	18.00	नहीं।
85.	सम्पर्क सड़क घोटालजी का मन्दिर (धार्मिक स्थल)	1.00	3.70	हां।

1	2	3	4	5
86.	बस स्टेण्ड मारवाड जक्शंन से रेल्वे स्टेशन मार. जक्शंन	1.00	4.89	नहीं।
87.	सम्पर्क सड़क सिनला वाया अवावास	3.00	5.00	,,
88.	ददोड़ से भैंसाणा	4.00	4.99	,,
89.	कंटालिया से शेखावास सड़क	4.00	4.69	,,
90.	माण्डा भैरूंजी का थान (धार्मिक स्थल)	3.00	4 00	हां।
91.	मारवाड़ जक्शन से हिंगोर की प्याऊ से सम्पर्क सड़क काजलवास (धार्मिक स्थल)	4.00	5.86	,,
92.	धामली से चारमुजा की प्याऊ (धार्मिक स्थल)	4.00	5.00	,,
93.	भिमालिया से चारमुजा की प्याऊ	4 00	5.00	नहीं।
94.	सम्पर्क सड़क अलखजी का मन्दिर (धार्मिक स्थल)	4.00	4.70	हां।
95.	सम्पर्क सड़क सिनला वाया अवावास	3.00	4.97	नहीं।
96.	कराड़ी से बाईसा	3.00	4.77	,,
97.	ईसाली गांव से ईसाली की प्याऊ	3.00	5.00	,,
98.	सम्पर्क सड़क बगियाड़ा (1305/91)	2.00	2.99	हां।
99.	सम्पर्क सड़क सोडपुरा	4.00	4.04	नहीं।
100.	सम्पर्क सड़क अमरपुरा (पी. एच. क्यू.)	1.00	2.30	कृ. उ. मं. में स्वीकृत है
101.	सम्पर्क सड़क दीपावास (पी. एच. क्यू.)	2.00	3.50	हां।
102.	सम्पर्क सड़क करमावास	1.50	2.56	नहीं।
103.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ शेरतान	2.00	2.336	,,
104.	सम्पर्क सड़क बिचड़ी (1012/91)	1.50	2.59	हां।
105.	सम्पर्क सड़क नाहरपुरा (1571/91)	0.50	1.61	,,
106.	सम्पर्क सड़क चांग रामगढ़ रेलड़ा	5.00	4.44	नहीं।
107.	अमरपुरा से चुंग क्रोसिंग	2.50	3.67	,,
108.	करमावास से कुशालपुरा	3.50	4.98	,,
109.	निम्बाज से कुशालपुरा	3.00	3.39	,,

1	2	3	4	5
110.	रायपुरा से झूंठा (पी. एच. क्यू.)	2.00	3.78	नहीं।
111.	मेगदड़ा से दीपावास	7.00	4.99	,,
112.	सम्पर्क सड़क कालब खुर्द (110491)	3.00	4.56	हां।
113.	सम्पर्क सड़क सिरमा (1285/91)	3.00	5.00	,,
114	सम्पर्क सड़क खोड़िया (पी. एच. क्यू.)	3.00	5.00	,,
115.	तेजा का थान से अजमेर सड़क जिला सीमा तक	5.00	4.85	नहीं।
116.	सम्पर्क सड़क धोलिया से बोरावड	3.00	5.00	,,
117.	सम्पर्क सड़क सेन्दड़ा गांव	1.50	3.87	,,
118.	निम्बाहेड़ा कलां से चावडिया	3.00	4.43	,,
119.	कुशालपुरा से चावडिया	6.00	8.26	,,
120.	पुराना रेल्वे स्टेशन से नया रेल्वे स्टेशन बर	1.00	1.77	,,
121.	झाला की चौकी से भैरू का नाका	1.50	1.97	,,
122.	खिवल क्रोसिंग से सोजत तहसील सीमा तक	3.00	3.37	,,
123.	चिताड़ा से बिराठिया खुर्द	4.50	3.07	,,
124.	मोहरा कलां से झूंठा	4.00	4.89	,,
125.	रामपुरा से चण्डावल	7.00	7.14	,,
126.	रामगढ़ से शेरतान से जिला सीमा तक	2.50	2.03	नहीं।
127.	सम्पर्क सड़क चांग से रामगढ़ रेलड़ा (पी. एच. क्यू.)	1.00	5·23 क्र. उ. सं. में स्वीकृत है।	
128.	झाला की चौकी से भैरू का थान (धार्मिक स्थल)	0.50	1.44	हां।
129.	सम्पर्क सड़क भाकरवाल (1214/91)	1.00	1.70	,,
130.	पाटवा से झांझनवास	5.00	4.12	नहीं।
131.	झांझनवास से बिजवाड़िया	2.00	2.84	,,
132.	बरणिया से राजादण्ड (1229/91)	4.00	4.98	हां।
133.	गरणिया से रानीवास (1011/91)	4.00	4.94	,,

1	2	3	4	5
7.	Large Industrial	11.39	56.95	136 77
8.	Bulk Supply for Mixed Load	0.72	3.59	8.61
	TOTAL :	37.88	189.40	455.00

Expected ARM due to revision in minimum charges	25 00
Total Impact	480.00

मेवात विकास बोर्ड में पंचायत समिति कोट कासिम का विलय

78. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि पंचायत समिति कोटकासिम मेवात विकास बोर्ड में शामिल नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कोटकासिम के दक्षिण में खैरथल एवं मुण्डावर पश्चिम में मुण्डवर एवं पूर्व में तिजारा पंचायत समितियों की सीमायें लगती है एवं पंचायत समिति कोटकासिम तिजारा, किशनगढ़, मुण्डावर की भाषा संस्कृति पहनावा, रहन-सहन मेवाती है ?

(3) मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने किसी भी पंचायत समिति के लिए क्या मानदण्ड रखे है ? क्या मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने के लिए सरकार मेवात की सभ्यता अथवा मेव जाति को आधार मानकर चलती है ? पंचायत समिति कोटकासिम एवं कठूमर में मेवों की आबादी एवं गांवों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) पंचायत समिति में 10 प्रतिशत मेव बाहुल्य ग्राम होने पर उस पंचायत समिति को मेव क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में किसी पंचायत समिति क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए मेव बाहुल्य ग्रामों की संख्या को आधार बना रखा है । वर्ष 1991 की जनगणना में मेव जाति की पृथक से गणना नहीं की गयी है । परन्तु प्रशासनिक अनुमानों के आधार पर पंचायत समिति कोटकासिम एवं कठुमर में मेवों की आबादी की जानकारी एवं ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

परिशिष्ट –1

पंचायत समिति कोटकासिम कुल ग्राम-116			पंचायत समिति कठूमर कुल ग्राम-160		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	मेव आबादी	क्र. सं.	ग्राम का नाम	मेव आबादी
1.	डालावास	689	1.	नगलामानसिंह	322
2.	देउवास	797	2.	नगला मुसेना	129
3.	किरवारी	855	3.	वाडला	565
4.	मूनपुर मेवान	143	4.	नापापाड़ा	161
5.	सारवा	300	5.	सीहाडी	64
6.	मीकर	155	6.	मनोसर	90
7.	शाहपुर	195	7.	मानकपुर	693
8.	दौलतनगर गाँजरा	76	8.	गोठडी	362
9.	साधुका	70	9.	सन्तोकपुर	129
10.	गिरबास	65	10.	जहाड़ू	39
	योग	3230	11.	रोनीजाथान	116
			12.	सोसर	129
			13.	मसारी	268
			14.	मथुराहेड़ा	271
			15.	टिटपुरी	350
			16.	सेडा मैदा	179
				योग	3075

अतिरिक्त कलक्टर (पचार)

अलवर

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण कर्ताओं के विरुद्ध अभियान

79. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्धारित कार्य के मानदण्ड के लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या गत तीन वर्ष में खाद्य पदार्थ के अधिकतर नमूने छोटे दुकानदारों के यहां से लिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी, हां । विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने बड़े एवं छोटे दुकानदारों के लिये जाते हैं गत तीन वर्षों में लिये गये नमूनों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर दुकानदार खुदरा विक्रेता ही हैं, अतः खुदरा विक्रेताओं के नमूनों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है ।

(3) जी, नहीं । खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही निरन्तर प्रक्रिया है जिसे अभियान का रूप देना उचित नहीं होगा ।

राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एच/पीएफए/(90)/98/73 दिनांक:–23–5-98

विषय:–खाद्य निरीक्षकों को आवंटित लक्ष्य के अनुसार खाद्य नमूने संग्रहित करने के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लगभग सभी खाद्य निरीक्षकों द्वारा आवंटित लक्ष्यानुसार खाद्य नमूने संग्रहित नहीं किये जा रहे हैं ।

अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत खाद्य निरीक्षक को निर्देशित करें कि निदेशालय के पत्र क्रमांक आदेश एच/पीएफए/(440)/92/1068 दिनांक 24–8–92 के अनुसरण में जो निम्नलिखित है आवंटित लक्ष्यानुसार नमूने लेवे । उक्त आदेश की प्रति पूर्व में सभी अधिकारियों को प्रसारित की जा चुकी है ।

		त्रैमासिक निर्धारित लक्ष्यों की संख्या
1.	पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक जो खाद्य निरीक्षक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थापित है ।	25 नमूने
2.	अंशकालिक खाद्य निरीक्षक जो वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) कार्यालय में पदस्थापित है ।	10 नमूने
3.	अंशकालिक खाद्य निरीक्षक जो ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित है और उनके क्षेत्र में एक या एक से अधिक शहरी क्षेत्र आते हैं ।	10 नमूने
4.	अंशकालिक खाद्य निरीक्षक ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित है और जिनके क्षेत्र में एक भी शहरी क्षेत्र नहीं आता है ।	5 नमूने

ह०

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज०, जयपुर

भाग दो की सूची

क्र. सं	वर्ष	निर्माता थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	योग
1.	1999	1550	2088	3638
2.	1998	1413	1884	3297
3.	1999	806	1210	2016

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में प्रस्तावित नये छात्रावास

80. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने छात्रावास हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में अनुसूचित जनजाति का एक छात्रावास खोला गया है ।

(2) वर्तमान में नये छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला बाड़मेर में सरस्वती नदी के पानी का सर्वे

81. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या भूजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खान)

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में सरस्वती नदी का पानी मिला है? क्या सरकार इसका विस्तृत सर्वे कराने का विचार रखती है?

(2) जिला बाड़मेर के सीमावर्ती कौन-कौन से ग्रामों में सरस्वती नदी के भूगर्भ में पानी मिलने की संभावना है?

(3) क्या सरकार सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी के लिए विस्तृत सर्वे के लिए गम्भीर है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी, हां। भू-जल विभाग के द्वारा इस क्षेत्र से विस्तृत अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है।

(2) बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में प्राचीन जल प्रवाह मार्ग मिलने की संभावना नहीं है।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा राज्य के सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों का विस्तृत भू जल सर्वे पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रसारित कर दिया गया है। इसके अलावा भू-जल पुर्नमूल्यांकन वर्ष 1984–85 से समय-समय पर किया जाता रहा है। नवीनतम भू-जल पुर्नमूल्यांकन वर्ष 11.98 के आधार पर किया गया है।

खेडली मोड से फिरोजपुर झिरका मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में विलय

82. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर की सड़कें जीर्णशीर्ण हो चुकी है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार के समक्ष खेडली मोड से फिरोजपुर झिरका वाया खेडली को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया जायेगा। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कुल 246 10 किमी. लम्बाई की डामर सड़कें हैं। इनमें से 27.30 कि.मी. लम्बाई की सड़कें वर्तमान में बिल्कुल ठीक हालत में है। वर्ष 1999–2000 में योजना मद में 27.50 कि.मी. लम्बाई सड़क के नवीनीकरण हेतु 56.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अन्तर्गत 9.00 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष कार्य वित्तीय व्यय पर रोक होने के कारण नहीं कराये जा सके। इन शेष कार्यों को अब वित्तीय वर्ष 2000–2001 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार पूर्ण कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1999–2000 में गैर योजना मद में 15 लाख रुपये व्यय कर 4 कि.मी. सड़क का नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है एवं 55 कि.मी. की साधारण मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है तथा 14 कि.मी. सड़क का साधारण मरम्मत का कार्य

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रगति पर है। शेष 118.30 किमी. लम्बाई की सड़कों का आवश्यक साधारण मरम्मत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार वर्ष 2000 2001 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पीपलाज (झालावाड़) का क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर

83. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र खानपुर के ग्राम पीपलाज जिला झालावाड़ का ट्रान्सफार्मर दिनांक 28, 1999 को जल गया था? यदि हां, तो उसे अब तक नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राशि बकाया होने के कारण उक्त ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांव में जुलाई 1999 से बिजली नहीं आ रही तो फिर अब भी उनको किस तरह से बिल दिये जा रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) अब उक्त ग्राम में कब तक ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। निर्वाचन क्षेत्र खानपुर के ग्राम पीपलाज जिला झालावाड़ का ट्रांसफार्मर दिनांक 28-7-1999 को जल गया था कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की अत्यधिक बकाया होने के कारण ट्रांसफार्मर बदलने में ऊंची प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जिन क्षेत्रों में बकाया जमा कराने में तत्परता बरती जाती है वहां ट्रांसफार्मर बदलने में भी प्राथमिकता दी जाती है।

(2) बकाया वसूली के लिए कनेक्शन काटने का प्रावधान है। अधिक बकाया होने से ट्रांसफार्मर बदलने में प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(3) जुलाई, 1999 से केवल मण्डल नियमानुसार पुरानी बकाया राशि के आधार पर ही बिल दिये जा रहे हैं। यदि किसी प्रकार कम्प्यूटर की गलती से गलत बिल जारी हो जाता है तो उसे ठीक कर दिया जाता है।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ट्रांसफार्मर बदलने में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जो बकाया जमा कराने में तत्परता प्रदर्शित करते हैं।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

84. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में शिक्षा सत्र 1999-2000 के दौरान कुल कितने प्राथमिक

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा क्रमोन्नत किया गया ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा किन मानदण्डों को आधार मान कर क्रमोन्नति के आदेश जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षा सत्र में विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की किसी भी माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1999-2000 के दौरान 48 प्राथमिक, 24 उच्च प्राथमिक एवं 11 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। सूची क्रमशः परिशिष्ट–"अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट–"स" सदन के पटल पर रख दिया गया है। मानदण्डों के अतिरिक्त विद्यालय क्रमोन्नत करते समय ग्राम की जनसंख्या, छात्र संख्या, फीडर विद्यालय, अन्य शिक्षण की सुविधा, जन प्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धता आदि गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर विद्यालय क्रमोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

(3) जी, नहीं। शिक्षा सत्र 1999–2000 में नागौर जिले के विधान सभा क्षेत्र डेगाना में ईडवा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

शिक्षा सत्र 1999–2000 में नागौर जिले प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की विधान सभावार सूची

क्र. सं. 1	विधान सभा क्षेत्र 2	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम 3
1.	नागौर	1. रा. उ. प्रा. वि., प्रोटलिया मांझरा
2.	,,	2. ,, बूढ़ी
3.	मुण्डवा	1. ,, हरीमा
4.	,,	2. ,, अजासर
5.	,,	3. ,, मॉलगांव
6.	,,	4. ,, बासनी जलहीम

1	2	3
7.	मुण्डवा	5. रा. उ. वि. पोटलिया मांझरा इन्दास
8.	,,	6. ,, बैरावास
9.	,,	7. ,, धारणावास
10.	,,	8. ,, खुण्डाला
11.	जॉयल	1. ,, गुजरियावास
12.	,,	2. ,, खाबड़ियाना
13.	,,	3. ,, घींजपुर
14.	,,	4. ,, टालनियाऊ
15.	डेगाना	1. ,, ब्राह्मणाखुर्द
16.	,,	2. ,, पोलासविश्नोइयों
17.	,,	3. ,, केरियॉरांवा
18.	,,	4. ,, खींवताना
19.	,,	5. ,, नृसिंहबासनी
20.	,,	6. ,, बोडासखुर्द
21.	मेड़ता	1. ,, रोहिसी
22.	,,	2. ,, बॉयड़
23.	,,	3. ,, ढाढासनी
24.	,,	4. ,, गंगारड़ा
25.	,,	5. ,, सिरसिला
26.	,,	6. ,, माईदण्ड
27.	डीडवाना	1. ,, मोपजी का बास
28.	,,	2. ,, रामसर की ढाणी
29.	,,	3. ,, मण्डाबासनी
30.	,,	4. ,, चुगनी
31.	,,	5. ,, गणेशपुरा
32.	,,	6. ,, रेल्वे डीडवाना
33.	,,	7. ,, निम्बा का बास

1	2	3		
34.	डीडवाना	8.	रा. उ. प्रा. वि.	झाड़ोद
35.	,,	9.	,,	रामसालाड़ा
36.	लाडनूं	1.	,,	हीरावती
37.	,,	2.	,,	खाँनपुर
38.	,,	3.	,,	खोखरी
39.	नावां	1.	रा. प्रा. वि.	चान्दपुरा
40.	,,	2.	,,	दुनिया तीतलाई
41.	,,	3.	,,	नांवा (बालिक)
42.	मकराना	1.	,,	बगीची लौहपुरुष
43.	,,	2.	,,	ढ़ाणी बामरोली
44.	,,	3.	,,	नान्दोली चान्दावता
45.	परबतसर	1.	,,	चारणवास.
46.	,,	2.	,,	कँवलाद
47.	,,	3.	,,	हुलढ़ाणी
48.	,,	4.	,,	परबतसर

परिशिष्ट–"ब"

क्र. सं 1	विधान सभा क्षेत्र 2	मावि से उमा विद्यालय में क्रमो. 3	उ. प्रा. वि. से मावि क्रमोन्नति 4
1.	नागौर	उटांवालिया	कालडी
			झाड़ीसरा
			रायधनू
			नारवा किलां
2.	जायल	(बालिका) जायल	छाजोली
			ऊंचायडा

1	2	3	4
3.	मुण्डवा	बासनी बहलिया	नागरी
		पांचलासिद्धा	कड़लू
4.	मेडता	(बालिका) रियाबड़ी	रोहिसा
			लाम्बाजाटान्
5.	डेगाना	ईडवा	हिरणी ढाणी
			पून्दलोता
			मांझी
6.	लाडनूं	(बालिका) जसवन्तगढ़	ढुडास
			सिलनवाद
7.	डीडवाना	कोलिया	बालिया
			मुण्डूकरा
			शेरानीआबाद
8.	नावां	शिव	देवलीकलां
		मीठडी (नावां)	
9.	मकराना	—	बाजोली
			मकराना नं. 2
			गैलासर
10.	परबतसर	बिदियाद	जंजीला
			मडसिया

परिशिष्ट–"स"

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा–5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15

3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5. 2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु :

जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	2050	2000
छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा-8 छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	20
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (कि.मी.)	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

3. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु :

जनसंख्या 1. छात्र विद्यालय	4000	3000
2. छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र सं. कक्षा-10 छात्र संख्या	50	30
छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
दूरी (कि.मी.)	8	8

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान।
2. प्रशासनिक आधार।
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं।
4. भौगोलिक परिस्थितियां।
5. माध्यमिक एवं सी. उ. मा. वि. का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में कार्यरत चिकित्सालयों को स्वीकृत राशि

85. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुल कितने चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? उक्त किस-किस केन्द्र में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा किस-किस केन्द्र में कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के मौजमाबाद और गागरडू चिकित्सालयों में गत 6 माह से कौन-कौन कर्मचारी अनुपस्थित हैं ? उपस्थित/अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयवार वर्ष 1998–99 एवं 1999-2000 में कितनी राशि आवंटित की गई थी तथा उक्त चिकित्सालयों में वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही रही हैं ? उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुल 2 चिकित्सालय, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है । उक्त केन्द्रों में कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र के मौजमाबाद एवं गागरडू चिकित्सालय में गत 6 माह से कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहा ।

(3) उक्त चिकित्सालयों का मदवार बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण संलग्न है। दूदू चिकित्सालय में ई.सी.जी., एक्स-रे, प्रयोगशाला, प्रसवोत्तर सेवा, बाह्य एवं अन्तरंग, रोगी वाहन, दुर्घटना इकाई एवं मैजर एवं माईनर ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नरायना चिकित्सालय में एक्स-रे, प्रयोगशाला, बाह्य एवं अन्तरंग एवं मैजर व माईनर ऑपरेशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ।

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत	रिक्त	रिक्त होने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1,	सा. स्वा. केन्द्र दूदू	क. वि. (सर्जरी/मेडि.)	2	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	सा. स्वा. केन्द्र-दूदू	व चि. अ.	2	2	—	—
		चि. अ.	3	3	—	—
		मेल नर्स I	1	1	—	—
		नर्स II	7	7	—	—
		रेडि. ग्रापर	1	1	—	—
		व. लि.	1	1	—	—
		क. लि.	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		वाहन चालक	2	2	—	—
		वार्ड बाय	9	9	—	—
		स्वीपर	3	3	—	—
2.	रा. चि. नरायना	चि. अ.	2	2	—	—
		नर्स ग्रेड 2	2	2	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		जमादार	1	1	—	—
		वार्ड बाय	2	2	—	—
		स्वीपर	1	1	—	—
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र (ब्लाक) बिचून	चि. अ.	2	2	—	—
		बी. एच. एस.	1	1	—	—
		व. लि.	1	1	—	(निदेशालय में कार्य सम्पादन हेतु लगाया हुआ है)
		संगणक	1	–	—	98 से
		एल. एच. वी.	1	1	—	—
		प्रसाविका	2	2	—	—
		वाहन चालक	1	1	—	—
		स्वा. निरी.	1	–	1	7/99 से

1	2	3	4	5	6	7
	प्रा. स्वा. केन्द्र	नर्स ग्रेड 2	2	2	—	—
	(ब्लाक) बिचून	वार्ड बाय	3	3	—	—
		स्वीपर	1	1	—	—
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. अ.	1	1	—	—
	बोराज	नर्स ग्रेड 2	2	2	—	—
		स्वा. निरी.	1	1	—	—
		लेब. टेक.	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	—	1	1/98
		स्वीपर	1	1	—	—
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. अ.	2	2	—	—
	बोबास	नर्स ग्रेड 2	2	2	—	—
		एल. एच. वी.	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		वार्ड बाय	1	1	—	—
		स्वीपर	1	1	—	—
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. अ.	1	1	—	—
	मरवा	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		लेब. टेक.	1	1	—	—
		वार्ड बाय	1	1	—	—
		स्वीपर	1	1	—	—
7.	प्रा. स्व. केन्द्र	चि. अ.	1	1	—	—
	साखून	नर्स ग्रेड 2	2	2	—	—
		एल. एच. वी.	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		लेब. टेक.	1	1	—	—
		वार्ड बाय	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	प्रा. स्वा. केन्द्र	स्वीपर	1	1	—	—
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. श्र.	1	1	—	—
	लदेरा	नर्स ग्रेड 2	2	1	1	2/97
		प्रसाविका	1	–	1	1/97
		वार्ड बाय	2	1	1	5/98
		स्वीपर	1	1	—	—
9.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. श्र.	1	1	—	—
	गागरडू	नर्स ग्रेड 2	2	1	1	5/98
		प्रसाविका	1	–	1	4/97
		वार्ड बाय	2	2	—	कार्य सम्पादन के लिए जयपुर में
		स्वीपर	1	1	—	—
10.	प्रा. स्वा. केन्द्र	चि. श्र.	1	1	—	—
	मोजमाबाद	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		स्वा. निरी.	1	1	—	—
		लेब. टेक.	1	–	1	3/97
		वार्ड बाय	4	4	—	—
	मा. शि. क. केन्द्र	चि. श्र.	1	1	—	—
	मोजमाबाद	स्टाफ नर्स	1	1	—	—
		सेक्टर सुपरवाइजर	1	1	—	ये पद बिचून ब्लाक के लिए
		एम. पी. डब्ल्यू.	–	1	—	स्वीकृत है मुख्या. मोजमाबाद है

उपकेन्द्रों की सूची

1.	आकोदा	प्रसाविका	1	1	—	—
2.	सादुलपुरा	,,	1	1	—	—
3.	रोजडी	,,	1	1	—	—
4.	आचरोदा	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	माल्यावास	प्रसाविका	1	–	1	1/99
6.	मोखमपुरा	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
7.	गाडोता	प्रसाविका	1	1	—	—
8.	कडवा का बास	,,	1	1	—	—
9.	नासनोदा	,,	1	1	—	—
10.	महला	,,	1	1	—	—
11.	उगरिया बास	,,	1	1	—	—
12.	ढाकारामपुरा	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
13.	डीण्डा	प्रसाविका	1	1	—	—
14.	ढाणी बोराज	,,	1	1	—	—
15.	आसलपुर	,,	1	1	—	—
16.	गिदाणी	,,	1	1	—	—
17.	नानण	,,	1	–	1	12/96
18.	श्री रामपुरा	,,	1	1	—	—
19.	पीलयावास	,,	1	1	—	—
20.	चैनपुरा	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
21.	ममाणा	प्रसाविका	1	1	—	—
22.	कोरसीना	,,	1	–	1	3/2000
23.	हबसपुरा	,,	1	1	—	—
24.	स्वामी की ढाणी	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
25.	हट्टूपुरा	प्रसाविका	1	1	—	—
26.	पडासोली	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
27.	गहलोता	प्रसाविका	1	–	—	—
28.	दातरी	,,	1	1	—	—
29.	सिरोही कला	,,	1	1	—	—
30.	हरसोली	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
31.	धान्धोली	प्रसाविका	1	–	1	1/98
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
32.	गंगाती काल	प्रसाविका	1	1	—	—
33.	झाग	,,	1	1	—	—
34.	सावली	,,	1	1	—	—
35.	मानसिंहपुरा	,,	1	1	—	—
36.	माधोसिंहपुरा	,,	1	1	—	—
37.	रसीली	,,	1	1	—	—
38.	बिहारीपुरा	,,	1	1	—	—
39.	धामाणा	,,	1	1	—	3/98
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
40.	लोरडी	प्रसाविका	1	–	1	2/98
41	लुडियाला	,,	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
42.	मांगलवाडा	प्रसाविका	1	1	—	—
43.	सुनाडिया	,,	1	1	—	—
44.	हिरनोदा	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
45.	केसरीसिंहपुरा	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
46.	साली	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
		प्रसाविका	1	1	—	—
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
		वार्ड बाय	1	1	—	—
47.	रहलाना	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	–	1	2/97
		वार्ड बाय	1	1	—	—
48.	सावरदा	नर्स ग्रेड 2	1	–	1	9/98
		प्रसाविका	1	1	—	—
		वार्ड बाय	1	1	—	—
49.	सेवा	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		एम. डी. डब्ल्यू.	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—
		स्वीपर	1	–	—	7/99
50.	उरसेवा	नर्स ग्रेड 2	1	1	—	—
		प्रसाविका	1	1	—	—

भाग 3 की सूची

(राशि रुपये लाखों में)

मद	वर्ष 1998–99		वर्ष 1999–2000	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5
राजकीय चिकित्सालय, दूदू				
1. संवेतन	34.60	26.70	32.70	28.70
2. यात्रा व्यय	00.26	00.26	00.21	00.21
3. चिकित्सा	00.27	00.27	00.20	00.20
4. वर्दी	00.18	00.14	00.21	00.18
5. कार्यालय	00.15	00.15	00.15	00.15

	1	2	3	4	5
6.	खाद्य प्रदाय	00.16	00.16	00.08	00.03
7.	बिजली पानी	00.16	00.16	00.30	00.13
8.	वाहन	00.13	00.13	00.13	00.13
9.	स्टेशनरी	00.03	00.03	00.03	00.03
10.	प्रिंटिंग	00.03	00.03	00.03	00.03
11.	मजदूरी	00.22	00.13	—	—
12.	खाद्य सामग्री	—	—	00.22	—
राजकीय चिकित्सालय, नरायना					
1.	संवेतन	0.65	6.62	7.00	6.26
2.	यात्रा व्यय	0.06	0.06	0.05	—
3.	वर्दी	0.045	0.04	0.05	—
4.	चिकित्सा व्यय	0.06	0.06	0.06	—
5.	कार्यालय व्यय	0.01	0.014	0.03	—
6.	बिजली पानी	0.08	0.08	0.10	0.06
7.	सामग्री प्रदाय	0.02	0.02	0.02	—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के केन्द्रीय भण्डार से उपलब्ध करवाई गई औषधियां, उपकरण तथा बिस्तर आदि राशि का विवरण :

(राशि रुपये लाखों में)

	वर्ष 1998–1999	वर्ष 1999–2000
1. राजकीय चिकित्सालय, दूदू		
—भेषज एवं औषधियां	0.71	0.72
—उपकरण एवं औजार	0.80	0.09
—कपड़े व बिस्तर	0.028	0.13
2. राजकीय चिकित्सालय, नरायना		
—भेषज एवं औषधियां	0.29	0.41
—उपकरण एवं औजार	0.04	0.004

गरीब विधवा महिला की पुत्रियों एवं विकलांग बच्चे/बच्चियों के विवाह हेतु अनुदान

86. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1999 के बाद गरीब विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा विकलांग बच्चे/बच्चियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना व किस किसको ? नाम व पता मय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त हेतु कब से कितने आवेदन पत्र जिलेवार लम्बित हैं ? इनको कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । सूची परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है ।

(2) कुल 624 आवेदन पत्र लम्बित हैं । परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न हैं ।

वर्ष 99–2000 में इस योजना अन्तर्गत 46.51 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पत्रों अनुसार 712 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है । शेष आवेदन पत्रों को बजट उपलब्धता पर भुगतान किया जाना संभव होगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू कोटखावदा के मध्य ढूंढ़ नदी का क्षतिग्रस्त पुल

87. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चाकसू कोटखावदा के मध्य ढूंढ़ नदी पर बनी पुलिया (रपट) वर्षा के पानी से क्षतिग्रस्त होने से आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो अब उक्त पुलिया का काम कब तक चालू करा दिया जावेगा ।

(2) क्या यह भी सही है कि जितना हिस्सा पुलिया का टूटा था उससे भी ज्यादा अब विभाग ने तोड़ दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्तमान में कार्य बन्द है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार अब उक्त पुलिया पर कब तक कार्य कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । चाकसू कोट खावदा के मध्य कि.मी. 8 में ढूंढ़ नदी पर बनी रपट वर्षा के पानी से क्षतिग्रस्त होने के कारण रपट पर से आवागमन अवरुद्ध है परन्तु वर्तमान में आवागमन उप मार्ग से हो रहा है । इस पुलिया के रेस्टोरेशन व सुधार के कार्य हेतु राशि रुपये 15.00 लाख वर्ष 1999–2000 के योजना मद में स्वीकृत किये गये हैं परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय रोक के कारण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया है । अब वित्तीय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धतानुसार वर्ष 2000-2001 में कार्य पुनः प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(2) जी, हां। नदी पर रपट बनी हुयी है जो क्षतिग्रस्त हो गयी है। अब क्षतिग्रस्त भाग में आर. सी. सी. ह्यूम पाइप की लाइन की 10 लाइनें लगाना प्रस्तावित है। पाईप लगाने के उपरान्त सड़क की ग्रेड मिलान हेतु पुलिया को तोड़ा गया है। राज्य सरकार की वित्तीय रोक के कारण कार्य वर्तमान में बन्द है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार वर्ष 2000–2001 में कार्य पुनः प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

88. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितने गांव विद्युतीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन की कितनी पत्रावलियां जमा हैं व उनमें से कितनी पत्रावलियों के मांग पत्र जारी हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक नये कनेक्शन दिये जावेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वर्ष 1999–2000 में विद्युतीकरण हेतु निम्न आठ गांव स्वीकृत हैं :–

1– बिजालपुर
2– नालाचूना
3– भूरीपाड़ा
4– मोराज
5– हेला-मावली
6– जीरा-कोट
7– आम्बा
8– सामलासेर

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में घरेलू कनेक्शन हेतु 788 पत्रावलियां विचाराधीन हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– मांग पत्र जारी किये गये–	773
2– तकमीना–	15
	788

(3) जी, नहीं। मांग पत्र की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को वरियतानुसार सामान की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन निरन्तर जारी किये जाते रहे हैं। कभी-कभी मैचिंग सामान उपलब्ध नहीं होने से कनेक्शन में विलम्ब हो सकता है। मांग पत्र जमा कराने वाले आवेदकों को मण्डल नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने व बजट के अनुरूप इसी वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

व्याख्याताओं की अनिवार्य उपस्थिति

89. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप छात्रों की सत्तर फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में उपस्थिति का सख्ती से पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि व्याख्याताओं की उपस्थिति अनिवार्य है ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों का पालन कहां-कहां किया जा रहा हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्याख्याताओं की उपस्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप नहीं हो रही है ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यू. जी. सी. के निर्देशों के अनुसार छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ना कि 70 प्रतिशत राजस्थान विश्वविद्यालय ने उपस्थिति की अनिवार्यता की पालना हेतु सभी प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिये हैं । यही निर्देश महाविद्यालयों पर लागू हैं ।

(2) निदेशालय कालेज शिक्षा के अधीन सभी महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की उपस्थिति अनिवार्य है । किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की उपस्क्षिति की अनिवार्यता की परम्परा प्रारम्भ से नहीं रही है ।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से व्याख्याताओं की उपस्थिति सम्बन्धी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः वर्तमान में इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होती । राज्य सरकार व्याख्याताओं की भी उपस्थिति अनिवार्य बनाने को उचित समझती है और विश्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में सुझाव देने पर विचार किया जा रहा है ।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

90. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि इस बार सरकार ने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई थी ? यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों को कार्ड जारी किये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें । कितने-कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि की

(डा. किरोड़ी लाल)

चिकित्सा उपलब्ध कराई गई ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी. हां । मेडिकेयर कार्ड धारकों को ही मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से जिन व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराई गई है उनकी जिलेवार सुचना संलग्न है ।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत प्रसारित स्वीकृतियां

क्र. सं.	नाम व पता	स्वीकृत क्रमांक व दि.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	रोग का नाम
1	2	3	4	5
अजमेर				
1.	श्री रामनारायण पुत्र लादूराम ग्राम सुन्दरा, तह. भिनाय, अजमेर	13(1)97/72 दि. 5.10.99	1.20	हृदय वाल खराब
2.	श्री मिश्री लाल पुत्र गोपीराम ग्राम रायसर, अजमेर	13(1)97/149 दि. 24.2.2000	1.25	रहूमेटिक हार्ड डीजीज
अलवर				
1.	श्री विनय सिंह धाकड़, रायपुर (अलवर)	13(1)97/7 दि. 29.6.99	0.50	गुर्दे का इलाज
2.	रतीराम पुत्र मिधाराम ग्राम मंठा. पो. खानपुरा तह. मंडावर, अलवर	13(1)97/115 दि. 16.11.99	0.40	वरडि एण्ड ट्रस्टजिलेख
3.	श्री हनुमान पुत्र महादेव थानागाजी, अलवर	13(1)97/152 दि. 21.3.2000	0.20	कैंसर
बाड़मेर				
1.	श्री सुमान खां पुत्र हाजी खां ग्राम कसासर, तह. शिव, बाड़मेर	13(1)97/59 दि. 21.3.2000	0.75	हृदय रोग

1	2	3	4	5
2.	श्री अशोक गिरी पुत्र प्रेम गिरी इन्द्रा कालोनी, बाडमेर	13(1)97/98 दि. 5.10.99	0.00	हृदय रोग
	भरतपुर			
1.	श्री सोनू पुत्र सतीश चंद्र वार्ड सं. 8 वैर, भरतपुर	13(1)97/50 दि. 10.9.99	0.40	ओपन हार्ट सर्जरी
2.	श्री हनीफ पुत्र बन्नीमेव ग्राम धूलवास, पं.सं. कामा, भरतपुर	13(1)97/98 दि. 27.2.99	0.50	हृदय रोग
3.	श्री भजन लाल पुत्र रामस्वरूप वार्ड सं. 4, गुढागेट, डीग, भरतपुर	13(1)97/131 दि. 7.12.99	0.25	पीटीएमसी
	भीलवाड़ा			
1.	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र गोवर्धन कोशिक भवन, पेच एरिया, भीलवाड़ा	13(1)97/39 दि. 5.10.99	वास्तविक व्यय	हृदय रोग
2.	कु. शान्ता पुत्र भंवर लाल धूलखेड़ा, पं. सं. रायपुर, भीलवाड़ा	13(1)97/135 दि. 13.12.99	0.40	रहूमेटिक हार्ड डीजज
	बारां			
1.	श्री कस्तूर चन्द पुत्र राम लाल ग्राम मायली, बांरा	13(1)97/134	0.04	यूएसएण्डएफ.एन.यू.
	बीकानेर			
1.	श्री रजाक खां पुत्र छोगे खां पंडू बाजार, बीकानेर	13(1)97/102	0.25	केंसर रोग
	बून्दी			
1.	छोटेलाल पुत्र मांगीलाल मीणा ग्राम गोगपुरा, जिला-बून्दी	13(1)97/74 दि. 15.11.99	1.20	वाल आपरेशन

1	2	3	4	5
	चित्तौड़गढ़			
1.	श्री प्रहलाद पुत्र जयचन्द धाकड़ निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	13(1)97/3 दि. 22.6.99	0.40	हृदय रोग
	चूरू			
1.	श्री देवीलाल पुत्र मूलाराम मेहरूकलां, जिला-चूरू	13(1)97/43 दि. 10.9.99	0.75	हृदय रोग
2.	सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश सुभाष चौक, चूरू	13(1)97/122 दि. 24.2.2000	0.85	आरचएडी
3.	श्री भगवान राम पुत्र भीवराम खीवासर, चूरू	13(1)97/74 दि. 10.9.99	0.85	हृदय रोग
	धौलपुर			
1.	श्री लज्जाराम पुत्र वीरसिंह झालोनी का पुरा धौलपुर	13(1)97/62 दि. 10.9.99	0.50	गुर्दा खराब
2.	श्री रामनिवास पुत्र ज्वाला प्रसाद ग्राम सालिमपुर, धौलपुर	13(1)97/59 दि. 13.3.2000	1.25	आर चडी
3.	श्री मुकेश पुत्र जबीर फकीर मदीना कालोनी, धौलपुर	13(1)97/76 दि. 10.9.99	1.20	हृदय वाल खराब
4.	श्री भागचन्द जैन पुत्र पंचाराम ग्राम भिनाय, धौलपुर	13(1)97/143 दि. 14.12.99	0.85	वाल खराब
5	श्री डोगरा सिंह पुत्र मुन्नालाल ग्राम चंगेरा, राजाखेड़ा, धौलपुर	13(1)97/144 दि. 24.2.2000	0.25	कैंसर रोग
	दौसा			
1.	श्री सलीम पुत्र नब्बू खां बड़ा मोहल्ला, लाल सोट, दौसा	13(1)97/111 दि. 1.3.2000	0.50	कोरोजरी आर्टरी
2.	श्री अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम बसका जिला-दौसा	13(1)97/54 दि. 21.8.99	0.75	हृदय रोग

1	2	3	4	5
3.	श्री रेखा पुत्री ओमप्रकाश कालाहेडी तह. महुआ, दौसा	13(1)97/67 दि. 10.9.99	1.20	हृदय रोग
4	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र धोसोली जाटव ग्राम खेडला, तह. महुआ. दौसा	13(1)97/73 दि. 2.11.99	0.34	वाल खराब
	हनुमानगढ़			
1.	श्री मोहर सिंह पुत्र काशी राम ग्राम ललाना, तह.नोहर हनुमानगढ़	13(1)97/93 दि. 5.10.99	1.30	कैंसर रोग
	जोधपुर			
1.	श्री चैनाराम रायका ग्राम कलावास, भोपालगढ़, जोधपुर	13(1)97/6 दि. 23.6.99	0.80	हृदय रोग
2.	श्री लक्ष्मण पुत्र किशन सिंह मण्डोर, जोधपुर	13(1)97/27 दि. 20.8.99	0.42	हृदय रोग
3.	श्री रबिया बानो पत्नि रमजान मकरा मंडी, जोधपुर	13(1)97/121 दि. 15.12.99	1.20	रहूमेटिग हार्टडीजीज
	जयपुर			
1.	श्री राजेश शर्मा पुत्र रामू ग्राम चंदलाई, चाकसू, (जयपुर)	13(1)97/58 दि. 2.8.99	0.35	हृदय रोग
2.	श्री बनवारी पुत्र मांगीलाल सी-46, हाजी कालोनी, जयपुर	13(1)97/40 दि. 21.8.99	0.54	टी. बी.
3.	श्री महेन्द्र पुत्र भगवान सहाय अचरोल (जयपुर)	13(1)97/61 दि. 21.8.99	1 20	हृदय रोग
4.	श्री जरीना बानो पत्नि मो. फारूख रामगंज बाजार, जयपुर	13(1)97/23 दि. 10.9.99	0.75	वाल रिप्लेसमेंट
5.	श्री हनुमान सहाय पुत्र नेतराम बुनकर, ग्राम विनोई, जयपुर	13(1)97/106 दि. 22.10.99	0.75	वाल रिप्लेसमेंट
6.	श्री महेन्द्र पुत्र बृजमोहन हरिजन बिन्दारा, शाहपुरा, जयपुर	13(1)97/112 दि. 26.10.99	0.80	आरएचडीएआर

1	2	3	4	5
7.	श्री रामावतार पुत्र रामेश्वर ढाणी करणीसर, तह. शाहपुरा,	13(1)97/128 दि: 11.1.2000	1.20	आरएचडी
8.	श्री रामप्यारी पुत्र गिर्राज प्रसाद मीणा, कुशलपुरा, रायसर, जमवा रामगढ़, जयपुर	13(1)97/156 दि. 13.3.2000	0.85	वाल खराब
	झुन्झुनूं			
1.	श्री मेहर चन्द पुत्र रामेश्वर ग्राम मन्दरी, तह. खेतड़ी, झुन्झुनूं	13(1)97/138 दि. 24.2.2000	1.20	वाल खराब
2.	श्री राजेश पुत्र फूलाराम ग्राम दूलापुरा, झुन्झुनूं	13(1)97/45 दि. 10.9.99	1.30	हृदय रोग
3.	श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्योपाल सिंह ग्राम बसावा, नवलगढ़, झुन्झुनूं	13(1)97/41 दि. 21.8.99	1.20	वाल खराब
	झालावाड़			
1.	श्री रामस्वरूप पुत्र रामनारायण शर्मा वार्ड नं. 4, नई बस्ती, अकलेरा, झालावाड़	13(1)97/123 दि. 11.1.2000	1.25	आरएचडी
	जैसलमेर			
1.	श्री ईशाक खान पुत्र मुरीद खान लखमानों की बस्ती, तह. राम, जैसलमेर	13(1)97/137 दि. 11.1.2000	1.25	आरएचडी
	करौली			
1.	श्री वीरसिंह जाटव पुत्र रामखिलाड़ी इन्दौरा, तह. हिण्डोन, करौली	13(1)97/103 दि. 22.10.99	1.20	वाल खराब
2.	श्री रामकेश मीणा ग्राम गोठड़ा, करौली	13(1)97/1 दि. 22.6.99	0.25	वाल खराब
3.	श्री मुरारी लाल पुत्र सुखदेव मीणा ग्राम चोडा तह. पोटरा, करौली	13(1)97/151 दिनांक 24.2.99	0.80	आरएचडी

1	2	3	4	5
नागौर				
1.	श्रीमती विनोद कंवर ग्राम कुटम्बी तह. लाडनूं, जिला–नागौर	13(1)97/2 दि. 22.6.99	0.40	हृदय रोग
2.	श्री श्याम सुन्दर पुत्र हनुमान प्रसाद जायल, नागौर	13(1)97/57 दि. 10.9.99	0.85	हृदय रोग
3.	श्री हुसैन खां पुत्र बादरअली खां लाडनू, नागौर	13(1)97/157 दि. 13.3.2000	0.80	हृदय रोग
4.	श्री अर्जुनराम पुत्र हरलाल ढोली ग्राम रियाबडी, नागौर	13(1)97/58 दि. 13.3.2000	0.90	आरएचडी
पाली				
1.	श्री अमराराम, ग्राम लूनेरा, तह. सोजत, पाली	13(1)97/9 दि. 9.7.99	0.40	ट्रान्सप्लेशन आप
2.	श्री मूलाराम पुत्र सुसाराम ग्राम बिलावास, तह. सोजत, पाली	13(1)97/80 दि. 5.10.99	0.20	कैंसर रोग
राजसमन्द				
1.	श्री दौलत सिंह पुत्र हीरासिंह ग्राम उमड़ी, राजसमन्द	13(1)97/113 दि. 2.11.99	0.85	आरएचडीएमआर
सवाईमाधोपुर				
1.	श्री गिर्राज प्रसादशर्मा पुत्र गंगाराम मच्छीपुरा, सवाईमाधोपुर	13(1)97/11 दि. 21.8.99	1.20	वाल खराब
सीकर				
1.	श्रीमती मोली देवी पत्नी रतनलाल गूजरों का मोहल्ला, फतेहपुर सीकर	13(1)97/155 दि. 13.3.2000	0.80	आरएचडी
2.	श्री कमलजीत पुत्र बनवारी बागा का मोहल्ला, नीमकाथाना, सीकर	13(1)97/161 दि. 21.3.2000	0.25	आरएचडी सीवर मिटरल

1	2	3	4	5
3.	श्री अमर सिंह पुत्र केसर सिंह ग्राम खोरा, दातारामगढ़, सीकर	13(1)97/53 दि. 5.10.99	0.80	हृदय रोग
टोंक				
1.	श्रीमती गुलाब पत्नी जगदीश नि. सुनारी, तह. निवाई, टोंक	13(1)97/79 दि. 5.10.99	0.25	कैंसर रोग
सिरोही				
1.	श्री लाखा राम पुत्र दाना राम ग्राम पाटर. तह. रेवदर, जिला–सिरोही	13.(1)97/150 दि. 24.2.2000	0 80	रहूमेटिग हार्ट डीजीज

विधान सभा क्षेत्र रूपवास भरतपुर/वैर के छात्रावास भवन

91. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास, भरतपुर व वैर में अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई और कब-कब भवन निर्माण कार्य चालू करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पूरी राशि दे दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? उक्त राशि दिये जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ ? क्या सरकार उक्त तीनों छात्रावासों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास, भरतपुर व वैर में अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	भुगतान की गई राशि	भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक
1.	अनु. जाति छात्रावास, रूपवास	11.50	10.90	5/89
2.	अनु जाति छात्रावास, वैर	11.50	11.50	12/89
3.	अनु. जाति छात्रावास, भरतपुर	37.83	37.83	5/83

(2) रूपवास छात्रावास के अतिरिक्त स्वीकृत तकमीने के अनुसार वैर एवं भरतपुर के छात्रावासों को पूरी राशि भुगतान कर दी गई है। राशि के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि का दि.	भुगतान की गई राशि (राशि लाखों में)	कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	राज. अनु. जाति बालक छात्रावास, रूपबास	11.50	3.3.89 26.3.90 13.3.95	1.00 3.00 6.90	भवन निर्माण दोषपूर्ण
			कुल	10.90	
2.	राज. अनु. जाति बालक छात्रावास, वैर	11.50	16.10.90 19. 3.94	5.00 6.50	भवन निर्माण कार्य पूर्ण. बिजली पानी का कनेक्शन शेष
			कुल	11.50	
3.	राज. अनु. जाति बालक छात्रावास, भरतपुर	37.83	2. 2.95 7. 3.96 27. 1.97	18.00 18.00 1.83	अपूर्ण आवास विकास संस्थान बंद हो जाने के कारण
			कुल	37.83	

जी, हां। तीनों छात्रावासों का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

चौमू चंदवाजी रोड (जयपुर) के बीच जाटावाली पर कार्यरत टोल टैक्स केम्प

92. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि चौमू-चन्दवाजी रोड (जयपुर) के बीच जाटावाली के पास सरकार ने टोल टैक्स कैम्प लगा रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त टोल टैक्स की वसूली किस पुलिया/सड़क निर्माण की वजह से वसूली जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त टोल टैक्स कैम्प जाटावाली से हरमाड़ा सड़क जो नई निर्मित की गई है उसके ऊपर लगाया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो उसे गलत स्थान पर लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(5) क्या सरकार अब उक्त टोल टैक्स कैम्प को वर्तमान स्थान से हटाकर उचित स्थान पर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह टोल टैक्स कैम्प दिनांक 23.12.97 से स्थापित है।

(2) यह टोल टैक्स जोन--डी बाईपास सड़क चन्दवाजी से हरमाड़ा (जयपुर-सीकर रोड़ किमी. 249/711) वाया "जाटावाली एवं दौलतपुरा गांव" तक के निर्माण में लगी लागत को वसूल करने के लिये लगाया गया हैं।

(3) जी नहीं। उक्त टोल टैक्स चन्दवाजी जाटावाली होते हुये हरमाड़ा तक की 34 किमी. लम्बी सडक पर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पुल निगम द्वारा निर्माण एवं सुधार कार्य पर व्यय की गई राशि को वसूलने के लिये इसी सड़क पर चन्दवाजी के पास टोल टैक्स लगाया गया है। अतः इसे गलत स्थान पर नहीं लगाया गया है।

(4) चूंकि टोल टैक्स कैम्प लगाने में कोई गलती नहीं हुई है। अतः कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

(5) जी नहीं। क्योंकि टोल टैक्स कैम्प पूर्व में ही उचित स्थान पर लगा हुआ है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण

91. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड के स्वामित्व के हस्तांतरण करने का राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.12.1988 को निर्णय लिया जाकर दिनांक 8.9.1992 को इस सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो सरकार के निर्णय तथा आशय-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री घासीलाल मेघवाल)

उपक्रम को बेचने के निर्णय की दिनांक 20.8.92 को अन्य राजकीय उपक्रम भी घाटे में चल रहे थे ? यदि हां, तो कौन से उपक्रम कितने घाटे में तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? उपक्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपक्रम क्रय करने के लिये मैसर्स बी. के. निर्यात प्रा. लि. द्वारा मांगी गई सूचनाएं भिजवा दी गई थी ? यदि हां, तो भिजवाई गई सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त उपक्रम के शेयर्स हस्तान्तरण मैसर्स टोंक टेनरीज के पक्ष में नहीं करके उसके प्रोमोटर डाइरेक्टर के लिखित आवेदन को आधार मानकर दिनांक 12.11.92 के इकरारनामे की शर्त का उल्लंघन करके शेयर्स सर्टिफिकेट व्यक्तिगत नाम पर हस्तान्तरित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इस त्रुटी की दुरस्ती के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(5) क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपक्रम क्रेता फर्म के मालिक के प्रभाव में आकर कार्य करने, दिनांक 12.11.92 के अनुबन्ध की शर्त संख्या 1 (डी) (ई) (आई) (जे) (पी) के उल्लंघन तथा ट्राइमेक्स कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित कार्यों के नहीं करने के उपरान्त भी उपक्रम के स्वामित्व एवं शेयर्स का हस्तान्तरण व्यक्तिगत नाम लिखकर देने से उद्योग में उत्पादन नहीं होने के कारण सरकार के उपक्रम बेचान करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपक्रम हस्तान्तरण हो जाने का बहाना बनाने के बजाय प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वास्तव में मंत्रिमंडल निर्णय दिनांक 20 अगस्त, 1992 के अनुसरण में एक अनुबन्ध पत्र दिनांक 12.11.1992 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का स्वामित्व एक निजि कम्पनी को हस्तानान्तरित किया गया।

(2) स्टेट टेनरी के बेचने के निर्णय के समय 1992 में 12 राजकीय उपक्रम ऐसे थे जो उस समय घाटे में चल रहे थे सूची संलग्न है।

(3) यह उपक्रम क्रय करने हेतु मैसर्स बी. के. निर्यात प्रा. लि. के प्रस्ताव पर विचार कर तुलनात्मक दृष्टि से कम होने के कारण निरस्त कर दिया गया। अतः उन्हें सूचना भिजवाई जानी आवश्यक नहीं समझी गई।

(4) उक्त उपक्रम के शेयर्स हस्तान्तरित करते समय कुछ शेयर्स तो मैसर्स टोंक टेनरीज प्राइवेट लि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये गये परन्तु अन्तिम तिथि नजदीक आ जाने के कारण भूलवश कुछ शेयर्स केवल प्रोमोटर डाइरेक्टर के नाम हस्तान्तरित किये गये। चूंकि प्रोमोटर व्यवसायी इस इकाई को चला ही नहीं पाये अतः भूल सुधार के बजाय इस उपक्रम को अन्य किसी प्रोमोटर को दिया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) उपक्रम क्रेता की इच्छानुसार

जिला कोटा के बन्द उद्योग

93. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में कितने उद्योग बंद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त उद्योगों के बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हुए तथा सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई ?

(3) उक्त उद्योगों को पुनः चालू कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? इसके चालू होने से कितने लोगों को पुनः रोजगार के अवसर मिलेंगे ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में कुल 178 औद्योगिक इकाइयां बन्द उद्योगों की उद्योगवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ? (परि. "क")

(2) उक्त उद्योगों के बन्द होने से लगभग 7228 श्रमिक बेरोजगार हुये है । उद्योगों के बन्द होने से सरकार को हुई राजस्व हानि का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) बन्द उद्योगों के पुनर्चालन के लिये राज्य सरकार वृहद उद्योगों के लिए बी. आई. एफ. आर. के अनुमोदित पैकेज के अनुसार एवं अन्य उद्योगों के लिये दिनांक 2.7.94 को गठित कमेटी के निर्णयों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रयास करती है । उक्त बन्द उद्योगों के पुनर्चालन हेतु भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है । यदि उक्त बन्द उद्योग पुनः पुर्नचालन में आ जाते है तो इन औद्योगिक इकाइयों में पूर्व में कार्यरत सभी श्रमिकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चूरू में नमक उत्पादन में आवंटित भू-खण्ड नियमों में संशोधन

94. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला चूरू में नमक उत्पादन क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब से ?

(2) उक्त लवण क्षेत्रों में लवण उत्पादन के कितने-कितने एकड़ के भू-खण्ड किस-किस के नाम से हैं ? उक्त क्षेत्र इनके स्वामित्व में कब-कब से है ?

(3) क्या उक्त लवण उत्पादन भूखण्डों के बेचान से सम्बन्धित नियम बने हुये हैं ? क्या यह भी सही है कि इन नियमों से बेचान सिर्फ 15 एकड़ तक का ही हो सकता है ? उक्त नियमों की अब तक की संशोधित प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति/फर्म के पास उक्त नियमों में वर्णित क्षेत्रफल से अधिक का भू-खण्ड है ? यदि हां, तो क्या वह इसका बेचान कर सकता है ? यदि हां, तो उसे क्या प्रक्रिया अपनी होगी ?

(श्री केसाराम चौधरी)

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त नियमों में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भू-खण्ड वाले कोई साझेदार अलग हो सकते हैं? यदि हां, तो वर्ष 1996 से अब तक इस सम्बन्ध में क्या कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस के तथा कब-कब तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। चूरू जिले के ताल छापर लवण क्षेत्र में खुला लवण क्षेत्र स्थित है। लवण क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को लवण भूमि में रूपान्तरित करवाया गया है, राजकीय क्षेत्र में वर्ष 1962–63 से एवं कृषि के अकृषि में रूपान्तरित लवण भूमि में वर्ष 1977 से लवण उत्पादन किया जा रहा है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम 1970 सपठित संशोधित नियम 1996 के नियम 12(7) में लवण भूखण्डों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित है। नियम 12(7) 3(सी) में प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में हस्तान्तरण पश्चात हस्तानान्त्री के पक्ष में 15 एकड़ से अधिक भूमि की होल्डिग नहीं होनी चाहिए, नियमों की प्रति संलग्न है।

(4) जी, हां। लवण नियम 1970 सपठित संशोधित नियम 1996 प्रचलित होने से पूर्व कई इकाइयों को 15 एकड़ से अधिक के भूखण्ड आवंटित है। वर्तमान नियमों में 15 एकड़ से अधिक भूमि के भूखण्डों का हस्तान्तरण/बेचान सम्भव नहीं है। इस समस्या के निराकरण हेतु नियम 12(7) 3(सी) में 15 एकड़ के स्थान पर 150 एकड़ की सीलिंग का प्रावधान करने हेतु नियमों में संशोधन करने पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार विचार करेगी।

(5) वर्तमान लवण नियमों में निर्धारित 15 एकड़ से अधिक भूमि के प्रकरणों में हस्तान्तरण/भागीदारी अलग होने सम्बन्धी पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की औद्योगिक इकाईयां

95. श्री रघुवीरसिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितनी औद्योगिक इकाईयां खोली गई और उनमें से कितनी कार्यरत है तथा कितनी बन्द हैं?

(2) केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में नवीन इकाईयां न चल पाने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार इस क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना लागू कर रही है?

1	2	3	4	5	6	7
		29.1.2000	5	–	–	5
		8.2.2000	4	–	–	4
		9.2.2000	–	21	–	21
		15.2.2000	13	–	–	13
		योग	79	83	17	179
3.	उप का., बहरोड़	17.1.2000	4	1	–	5
		योग	4	1	–	5

नोट : दि. 21.1,2000 को उक्त बंदियों को जि. का. अलवर स्थानान्तरित किया गया*

4.	उप कारागृह	17.1.2000	20	–	–	3
	किशनगढ़बास	18.1.2000	9	29	–	38
		19.1.2000	4	–	–	4
		21.1.2000	3	–	–	3
		योग	36	29	–	65
5.	जिला कारागृह,	17.1.2000	6	–	–	6
	भरतपुर	18.1.2000	5	1	–	6
		19.1.2000	1	1	–	2
		20.1.2000	–	3	–	3
		21.1.2000	–	2	–	2
		22.1.2000	2	4	–	6
		1.2.2000	2	–	–	2
		2.2.2000	–	1	–	1
		3.2.2000	–	3	–	3
		4.2.2000	–	6	–	6

1	2	3	4	5	6	7
		8.2 2000	3	–	–	3
		योग	19	21	–	40
6.	जिला कारागृह सीकर	17.1.2000	5	3	–	8
		18.1.2000	2	–	–	2
		19.1.2000	–	6	–	6
		योग	7	9	–	16
7.	जिला कारागृह, झुन्झुनू	17.1.2000	1	–	–	1
		23.1.2000	–	–	1	1
		योग	1	–	1	2
8.	जिला कारागृह, धौलपुर	18.1.2000	4	–	–	4
		8.2 2000	3	–	–	3
		योग	7	–	–	7
9.	उप कारागृह, करौली	17.1.2000	4	–	–	4
		18.1.2000	8	–	–	8
		28.1.2000	5	–	–	5
		29.1.2000	3	–	–	3
		10.2.2000	–	11	–	11
		15.2.2000	–	4	–	4
		योग	20	15	–	35
10.	उप कारागृह हिंडोनसिटी	17.1.2000	14	--	--	14
		18.1.2000	8	--	--	8
		योग	22	--	--	22

1	2	3	4	5	6	7
		20.1.2000	–	5	–	5
		22.1.2000	–	14	–	14
		25.1.2000	1	2	–	3
		29.1.2000	10	–	–	10
		31.1.2000	–	5	–	5
		1.2.2000	–	5	–	5
		5.2.2000	–	5	–	5
		13.2.2000	1	8	–	9
		योग	31	44	–	75
17.	जि. का. चूरू	17.1.2000	–	3	–	3
		18.1.2000	–	1	–	1
		19.1.2000	–	4	–	4
		20.1.2000	–	3	–	3
		21.1.2000	3	10	–	13
		22.1.2000	–	7	–	7
		24.1.2000	–	1	–	1
		31.1.2000	–	–	1	1
		1.2.2000	–	1	–	1
		4.2.2000	–	1	–	1
		10.2.2000	–	2	–	2
		17.2.2000	–	1	–	1
		योग	3	34	1	38
18.	के. का. जोधपुर	17.1.2000	6	19	–	25
		18.1.2000	–	9	–	9
		19.1.2000	–	13	–	13

1	2	3	4	5	6	7
		20.1.2000	–	11	–	11
		21.1.2000	–	26	–	26
		22.1.2000	–	5	–	5
		24.1.2000	–	12	–	12
		28.1.2000	–	4	–	4
		29.1.2000	–	1	–	1
		31.1.2000	–	8	–	8
		1.2.2000	–	11	–	11
		2.2.2000	–	14	–	14
		3.2.2000	–	11	–	11
		4.2.2000	–	5	–	5
		5.2.2000	–	13	–	13
		7.2.2000	–	34	–	34
		8.2.2000	–	11	–	11
		योग	6	207	–	213
19.	जिला कारागृह, पाली	17.1.2000		5	–	5
		20.1.2000		5	–	5
		22.1.2000		3	–	3
		योग		13	–	13
20.	जिला कारागृह, बाड़मेर	17.1.2000		7	–	7
		19.1.2000		1	–	1
		22.1.2000		11	–	11
		योग	–	19	–	19

1	2	3	4	5	6	7
21.	जिला कारागृह, सिरोही	18.1.2000	8	8	–	16
		19.1.2000	5	6	–	11
		20.1.2000	–	2	–	2
		22.1.2000	1	–	–	1
		25.1.2000	–	1	–	1
		26.1.2000	7	–	–	7
		28.1.2000	2	–	–	2
		2.2.2000	3	8	–	11
		5.2.2000	4	–	–	4
		6.2.2000	23	–	–	23
		7.2.2000	–	2	–	2
		योग	53	27	–	80
22.	जि. का. जालौर	18.1.2000	–	1	–	1
		19.1.2000	–	2	–	2
		20.1.2000	–	3	–	2
		21.1.2000	–	1	–	1
		22.1.2000	–	2	–	2
		योग	–	9	–	9
23.	जि.का. जैसलमेर	17.1.2000	–	4	–	4
		19.1.2000	–	1	–	1
		21.1.2000	–	1	–	1
		22.1.2000	–	1	–	1
		25.1.2000	–	8	–	8

1	2	3	4	5	6	7
		29.1.2000	–	4	–	4
		योग	–	19	–	19
24.	उ.का. सोजतसिटी	17.1.2000	—	3	—	3
		18.1.2000	—	1	—	1
		19.1.2000	—	2	—	2
		योग	—	6	—	6
25.	उ.का. आबूरोड	28.1.2000	—	2	—	2
		योग	—	2	—	2
26.	उ.का. भीनमाल	22.1.2000	—	7	—	7
		योग	—	7	—	7
27.	उ. का. सांचौर	19.1.2000	—	10	—	10
		योग	—	10	—	10
28.	उ. का. जैतारण	17.1.2000	3	—	—	3
		18.1.2000	—	1	—	1
		21.1.2000	1	—	—	1
		योग	4	1	—	5
29.	के. का. उदयपुर	17.1.2000	13	—	—	13
		18.1.2000	5	13	—	18

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.2000	—	11	—	11
		20.1.2000	—	5	—	5
		21.1.2000	—	16	—	16
		22.1.2000	24	17	—	41
		23.1.2000	20	1	—	21
		26.1.2000	—	1	—	1
		30.1.2000	1	—	—	1
		4.2.2000	2	—	—	2
		5.2.2000	3	—	—	3
		8.2.2000	58	—	—	58
		योग	126	64	—	190
30.	जि. का. डूंगरपुर	17.1.2000	1	—	—	1
		19.1.2000	44	—	—	44
		20.1.2000	4	—	—	4
		21.1.2000	—	1	—	1
		22.1.2000	4	—	—	4
		23.1.2000	—	1	—	1
		9.2.2000	23	—	—	23
		योग	76	2	—	78
31.	जि. का. प्रतापगढ़	23.1.2000	14	3	—	17
		25.1.2000	4	—	—	4
		28.1.2000	—	1	—	1
		योग	18	4	—	22

1	2	3	4	5	6	7
32.	जि. का. राजसमन्द	14.2.2000	2	—	—	2
		योग	2	—	—	2
33.	जि. का. बांसवाड़ा	17.1.2000	—	4	—	4
		18.1.2000	—	2	—	2
		20.1.2000	—	4	—	4
		21.1.2000	—	2	—	2
		22.1.2000	—	1	—	1
		31.1.2000	—	2	—	2
		1.2.2000	22	—	—	22
		योग	22	15	—	37
34.	के. का. अजमेर	17.1.2000	13	—	—	13
		18.1.2000	—	4	—	4
		19.1.2000	—	3	—	3
		20.1.2000	—	8	—	8
		21.1.2000	—	4	2	6
		23.1.2000	—	1	—	1
		1.2.2000	—	5	—	5
		2.2.2000	—	1	—	1
		3.2.2000	—	1	—	1
		7.2.2000	1	1	—	2
		9.2.2000	—	1	—	1
		योग	14	29	2	45
35.	जि. का. टोंक	18.1.2000	4	4	–	8
		19.1.2000	–	9	–	9

1	2	3	4	5	6	7
		21.1.2000	–	8	–	8
		22.1.2000	–	3	–	3
		25.1.2000	–	9	–	9
		28.1.2000	–	33	–	33
		29.1.2000	–	14	–	14
		31.1.2000	–	12	–	12
		1.2.2000	–	10	–	10
		10.2.2000	6	3	–	9
		4.2.2000	–	4	–	4
		8.2.2000	4	–	–	4
		9.2.2000	–	4	–	4
		11.2.2000	1	–	–	1
		13.2.2000	7	–	–	7
		15.2.2000	10	–	–	10
		योग	32	113	–	145
36.	जि. का. नागौर	17.1.2000	–	5	–	5
		20.1.2000	–	2	–	2
		22.1.2000	–	1	–	1
		23.1.2000	–	2	–	2
		29.1.2000	–	2	–	2
		5.2.2000	–	4	–	4
		योग	–	16	–	16
37.	जि. का. भीलवाड़ा	17.1.2000	34	–	1	35
		योग	34	–	1	35

1	2	3	4	5	6	7
38.	के. का. कोटा	16.1.2000 से 16.2.2000	17	52	–	69
		योग	17	52	–	69
39.	जि. का. बून्दी	16.1.2000 से 16.2.2000	1	34	–	35
		योग	1	34	–	35
40.	जि. का. झालावाड़	16.1.2000 से 16.2.2000	78	24	15	117
		योग	78	24	15	117
41.	जि.का. गंगापुरसिटी	16.1.2000 से 16.2.2000	–	23	–	23
		योग	–	23	–	23
42.	जि. का. बांरा	16.1.2000 से 16.2.2000	–	69	–	69
		योग	–	69	–	69
43.	उ. का. सांगोद	16.1.2000 से 16.2.2000	32	1	–	33
		योग	32	1	–	33
44.	उ. का. नैंनवा	16.1.2000 से 16.2.2000	–	24	–	24
		योग	–	24	–	24

1	2	3	4	5	6	7
45.	उ. का. सवाई-माधोपुर	16.1.2000 से 16.2.2000	2	103	–	105
		योग	2	103	–	105

(2) दि. 16.2.2000 के बाद से राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द किये गये उक्त कर्मचारियों को कब-कब और किन-किन के आदेशों से छोड़ा गया का विवरण निम्न भांति है :—

क्र.सं.	कारागृह का नाम	रिहाई तिथि	रिहा किये गये बंदियों की संख्या	जिनके आदेशों से रिहा किये गये
1	2	3	4	5
1.	के. का. जयपुर	17.2.2000	14	श्रीमान् सी.जे.एम. जयपुर
		,,	4	श्रीमान् ए.सी.जे. (जेडी) एण्ड जे. एम. 6, जयपुर सिटी
		,,	1	ए.सी.जे. (एस. डी.) एण्ड ए.सी.जे. एम. 2, जयपुर सिटी
		,,	1	ए.सी.जे.एम. शाहपुरा
		योग	20	
2.	जि.का. अलवर	17.1.2000	49	सी.जे.एम. अलवर
		,,	3	ए.सी.जे. (जे.डी.) एण्ड जे.एम. अलवर
		,,	4	ए.सी.जे.एम. राजगढ़ (अलवर)
		,,	2	ए.सी.जे.एम. 1, अलवर
		,,	1	ए.सी.जे. (जे.डी.) एण्ड जे.एम. 2, अलवर
		,,	5	सी.जे.एम. किशनगढ़बास

1	2	3	4	5
		17.2.2000	1	ए.सी जे.एम. बहरोड़
		19.2.2000	12	एस.डी.एम. तिजारा
		योग	77	
3.	जि.का. भरतपुर	17.2.2000	8	ए.डी.एम. (सीटी) भरतपुर
		,,	16	ए.सी.जे.एम. नं 2, भरतपुर
		योग	24	
4.	जि.का. सीकर	17.2.2000	5	एम.डी.एम. सीकर
		,,	3	ए.सी.जे.एम. सीकर
		,,	3	सी.जे.एम. चूरू
		योग	11	
5.	उ.का. सांभर	17.2.2000	2	एस.डी.एम. सांभरलेक
		योग	2	
6.	के.का. बीकानेर के बंदी जो उ.का. नोखा पर रखे गये	17.2.2000	17	सी.जे.एम. बीकानेर
		,,	21	प्रति. न्यायिक मजि. बीकानेर
		,,	9	सिविल न्यायिक मजि. बीकानेर
		योग	47	
7.	के.का. जोधपुर	17.2.2000	9	सी.जे एम. जोधपुर
		,,	2	ए.सी.जे.एम. नं. 4, जोधपुर
		,,	4	ए.सी.जे. (जेडी) एण्ड जे.एम. नं. 3 जोधपुर

1	2	3	4	5
		17.2.2000	5	सी.जे. (जेडी) जे एम., जोधपुर
		योग	20	
8.	जि.का. पाली	17.2.2000	6	सी.जे.एम., पाली
		,,	1	ए.सी.जे.एम., पाली
		योग	7	
9.	जि. का. जालोर	17.2.2000	6	सी.जे.एम., जालोर
		योग	6	
10.	जि. का. सिरोही	17.2.2000	1	सी.जे.एम., सिरोही
		,,	1	एस.डी.एम., सिरोही
		योग	2	
11.	जि. का. बाड़मेर	17.2.2000	6	सी.जे.एम, बाड़मेर
		योग	6	
12.	जि. का. जैसलमेर	17.2.2000	17	सी.जे.एम., जैसलमेर
		योग	17	
13.	के. का. उदयपुर	17.2.2000	89	ए.डी.एम. सीटी/सी.जे.एम./एसी.जे. एम. नं. 1, उदयपुर
		योग	89	

1	2	3	4	5
14.	जि. का. प्रतापगढ़	17.2.2000	15	सी.जे.एम., चित्तौड़गढ़
		योग	15	
15.	जि. का. राजसमन्द	17.2.2000	2	सी.जे.एम. राजसमन्द
		योग	2	
16.	जि. का. बांसवाड़ा	17.2.2000	16	एस.डी.एम /सी.जे.एम., बांसवाड़ा
		योग	16	
17.	के. का. अजमेर	17.2.2000	4	ए.डी.एम. सिटी, अजमेर
		,,	5	ए.सी.जे.एम., ब्यावर
		,,	2	सी.जे एण्ड जे.एम., किशनगढ़
		,,	4	ए.सी.जे.एम. नं. 1, अजमेर
		,,	2	जे.एम., विजयनगर
		,,	3	ए.सी.जे.एम. नं. 2, अजमेर
		योग	20	
18.	जि. का. टोंक	17.2.2000	6	सी.जे.एम., टोंक
		,,	9	एम.जे.एम., टोंक
		,,	8	ए.सी.जे.एम., निवाई
		,,	2	ए.सी.जे.एम., मालपुरा
		,,	2	एम.जे.एम., टोंक
		,,	2	ए.जे.एम., मालपुरा
		,,	28	एम.जे.एम., देवली
		,,	12	एस.डी.एम., जयपुर

1	2	3	4	5
		17.2.2000	1	एस.एम.एम., टोंक
		योग	70	
19.	जि. का. नागौर	17.2.2000	15	सी.जे.एम. नागौर
		योग	15	
20.	जि. का. भीलवाड़ा	17.2.2000	13	ए.डी.एम. सिटी, भीलवाड़ा
		योग	13	
21.	के. का. कोटा	17.2.2000	9	सी.जे.एम. बूंदी एवं एस.डी.एम.,बूंदी
		,,	1	ए.सी.जे.एम. (सी.आर.), कोटा
		,,	52	ए.डी.एम. सिटी, कोटा
		योग	62	
22.	जि. का. बूंदी	17.2.2000	35	एस.डी.ओ., बून्दी
		,,		ए.सी.जे.एम. नं. 2, बून्दी
		योग	35	
23.	जि. का. झालावाड़	17.2.2000	11	एस.डी.ओ., झालावाड़
		,,	19	सी.जे एम., झालावाड़
		योग	30	
24.	जि.का. गंगापुरसिटी	17.2.2000	23	सी.जे.एम. गंगापुरसिटी
		योग	23	

1	2	3	4	5
25.	जि. का. बांरा	17.2.2000	17	ए.सी.जे.एम. बांरा
		योग	17	
26.	उ. का. सांगोद	17.2.2000	32	ए.डी.एम. सिटी, कोटा
		,,	1	ए.सी.जे.एम. (सी.आर.), कोटा
		योग	33	
27.	उ. का. नैनवा	17.2.2000	24	एस.डी.ओ. बूंदी/ए सी.जे.एम., बूंदी
		योग	24	
28.	उ.का. सवाईमाधोपुर	17.2.2000	4	सी.जे.एम. सवाईमाधोपुर
		योग	4	

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के भू-संरक्षण कार्य

97. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भू-संरक्षण के कितने कार्य चल रहे हैं ?

(2) अगले वर्ष में कितने कलस्टर कार्य स्वीकृत करने विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला बाड़मेर में कुल 68 कलस्टर तथा जैसलमेर जिले में 38 कलस्टरों में भू-संरक्षण कार्य जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में बाड़मेर जिले में 60 कार्य एवं जैसलमेर जिले के लिए 48 नवीन कार्यों के प्रस्ताव परीक्षण व स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ।

जिला अलवर में सिन्थेटिक दूध विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

98. **श्री भवन विलावर** (अटरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

(1) दिसम्बर, 1998 से 20 फरवरी, 2000 तक जिला अलवर में कहां-कहां सिन्थेटिक दूध के मामले कब-कब पकड़े गये ?

(2) उक्त मामले किस-किस अधिकारी के द्वारा पकड़े गये तथा इस की जांच कहां करवाई गई और जांच परिणाम क्या रहा? प्रत्येक मामलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में किस-किस अपराधी को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सिन्थेटिक दूध के नाम से कोई दूध नहीं होता यह एक काल्पनिक नाम मात्र है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के नियम 44 के तहत (एल) में उल्लेखित है, कि दूध या कोई दूध उत्पाद जिसमें कोई ऐसा पदार्थ मौजूद हो जो मूलतः दूध में नहीं पाया जाता है तो ऐसा दूध या दूध पदार्थ मिलावट की श्रेणी में आता है तथा इसका विक्रय प्रतिबन्धित है। भारत सरकार के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 15025/105/96 पी.एच. (एफ) दिनांक 12.8.98 के द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि ऐसे दूध के निर्माण में वनस्पति तेल, सोड़ा, यूरिया, सफेद पेस्ट, सफेद पेंट, डिटरजेंट, अरण्डी का तेल आदि पदार्थ प्रयोग में लिये जाते है। अलवर जिले में 1 दिसम्बर, 1998 से 20 फरवरी, 2000 तक दूध के कुल 200 नमूने जांच हेतु लिये गये। जिनमें से 48 नमूने मिलावटी पाये गये। मिलावटी 48 नमूनों में से 6 नमूनों में यूरिया एव वनस्पति तेल, एक में सोड़ा, तथा दो नमूनों में केवल वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई। उक्त 9 नमूनों को सिन्थेटिक मिल्क की संज्ञा दी जा सकती है।

(2) अलवर जिले के खाद्य निरीक्षकों द्वारा उक्त 9 नमूने ही ऐसे दूध के पकड़े हैं जो कि सिन्थेटिक दूध की संज्ञा में आते हैं। सभी नमूनों की जांच अलवर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कराई गई, उक्त 9 प्रकरणों की जांच रिपोर्ट संलग्न है।

(3) दूध तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत की जाती है तथा मिलावट होने पर नियमों के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों / अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे दायर किये जाते हैं। न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने का प्रावधान अधिनियम में वर्णित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को पकड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिला अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में खाद्य निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित कार्य पी.एफ.ए. एक्ट के अन्तर्गत किया गया मिलावटी दूध (जिनमें यूरिया, वेजीटेबल आयल, सोडा व अन्य की मिलावट) की सूची

क्र.सं.	दूध का सैम्पल लेने की तारीख	दूध विक्रेता का नाम व स्थान	प्रयोगशाला में नमूना जांच की दिनांक	प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट
1	2	3	4	5
1.	7.1.1999	महावीरप्रसाद पुत्र प्रभूदयाल गुप्ता मैसर्स रघुवीर डेयरी, बड़ौदा मेव, बस स्टेण्ड, जिला अलवर	13.1.1999	पी.एफ.ए. एक्ट के नियम 44 (बी) एण्ड (एल) के अनुसार मिलावटी घोषित हुआ।
2.	28.1.1999	श्री मिसरू खां पुत्र मिंगी हाल बस स्टेण्ड खुडियाना, इमरती का बास	5.2.1999	पी एफ.ए. एक्ट के नियम 44 (एल) के अनुसार मिलावटी घोषित हुआ।
3.	11.6.1999	ताहिर पुत्र श्री इसराल मेव, आन्धा का थाना, तिजारा।	28.6.1999	तेज एवं यूरिया की मिलावट से फैट अधिक मात्रा में पाई गई।
4.	13.7.1999	आसंम पुत्र धम्मन मेव, चौमा थाना रामगढ़	19.7.1999	वेजिटेबिल आयल एवं यूरिया की मिलावट पाई गई।
5.	15.7.1999	शरीफ पुत्र श्री अमीन खां, डाबरी थाना, रामगढ़	20.7.1999	दूध में सोडा की मिलावट पाई गई।
6.	—यथा—	सिराजु पुत्र श्री कासम मेव, करमाला थाना, रामगढ़	20.7.1999	वेजिटेबल आॅयल एवं यूरिया की मिलावट पाई गई।

1	2	3	4	5
7.	7.12.1999	नासीर पुत्र अमराद्दीन निवासी हमीरीका तह. तिजारा।	27.12.1999	वेजिटेबल आयल एवं यूरिया की मिलावट पाई गई।
8.	7.12.1999	श्री पप्पू पुत्र सूबे खां मेव निवासी खरखड़ा तह. तिजारा	—यथा—	—यथा—
9.	10.12.1999	श्री रहमू पुत्र इस्माईल, खोहा करमाला (रामगढ़)	—यथा—	यूरिया की मिलावट पाई गई।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति

99. **डा. रतनलाल जाट** (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में किन-किन सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने रोग विशेषज्ञों/डाक्टरों/महिला ए.एन.एम. नर्सों के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रिक्त पदों की पूर्ति बाबत सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोग विशेषज्ञ/डाक्टर/महिला ए.एन.एम. नर्सों के स्वीकृत/रिक्त पदों का संस्थावार विवरण की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, चिकित्सा अधिकारियों के 5 अभ्यार्थियों को सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में माह नवम्बर में तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर दन्त चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राज. लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पद सरकार से नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव होगा।

सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्त का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहाड़ा	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	2.2.97	
			चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			मेल नर्स प्रथम	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
			नर्स द्वितीय श्रेणी	4	1	4.2.94	
		2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	1	20.9.98	
			वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			चिकित्सा अधिकारी	4	—	—	
			दन्त चिकित्सक	1	1	1.4.98	
			नर्स श्रेणी प्रथम	5	4	4/97, 1.1.98	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	8	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	—	—	
		3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोशीथल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	1.5.99	
			चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	—	—	
		4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमली	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेन्द्रगढ़	चिकित्सा अधिकारी	2	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	3	1	12.9.98	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखोला	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—	
			म. स्वा. कार्यकर्ता	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटला	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		8. उच्चीकृत उप केन्द्र, नेगड़िया खेड़ा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		9. उच्चीकृत उप केन्द्र, सुरावास	मेल नर्स द्वितीय	1	1	7.7.99	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	7.7.99	
		10. उच्चीकृत उप केन्द्र, अरणिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	11/99	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		11. उप केन्द्र, सोनियाणा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		12. उप केन्द्र, भूणास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		13. उप केन्द्र, भरक	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		14. उप केन्द्र, नान्दसा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		15. उप केन्द्र, कांगनी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		16. उप केन्द्र, चौड़खेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		17. उप केन्द्र, चावण्डिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	6.11.99	
		18. उप केन्द्र, शिवरती	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
		19. उप केन्द्र, अड़सीपुरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		20. उप केन्द्र, सालेरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		21. उप केन्द्र, सांखला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		22. उप केन्द्र, डेलाना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		23. उप केन्द्र, लखमणीवास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		24. उप केन्द्र, सातलियास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		25. उप केन्द्र, उल्लई	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		26. उप केन्द्र, गलोदिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		27. उप केन्द्र, उम्मेदपुरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		28. उप केन्द्र, माकड़िया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		29. उप केन्द्र, मट्टूनिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	6.11.99	
		30. उप केन्द्र, सरगांव	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		31. उप केन्द्र, गोपलिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		32. उप केन्द्र, माणकनगर (भूतेला)	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
		33. उप केन्द्र, गिरड़िया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		34. उप केन्द्र, डियास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
2.	रायपुर	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथ. स्वा. केन्द्र रायपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	—	—	
			वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2	30.8.96 व 1.1.99	
			नर्स श्रेणी प्रथम	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	5	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	—	—	
		2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आशाहोली	चिकित्सा अधिकारी	2	1	13.6.97	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—	
		3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झड़ोल	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोखुन्दा	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	
			नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.1.2000	
		6. ऐड पोस्ट, बोरियापुरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—	
			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. उच्चीकृत उप केन्द्र, बागोलिया	नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1 1	— —	— —	
		8. उच्चीकृत उप केन्द्र, नाथड़ियास	नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1 1	— —	— —	
		9. उच्चीकृत उप केन्द्र, देवरिया	नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1 1	— —	— —	
		10. उप केन्द्र, गलवा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		11. उप केन्द्र, नान्दसा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	10.8.98	
		12. उप केन्द्र, रामा	—यथा—	1	—	—	
		13. उप केन्द्र, थाला	—यथा—	1	—	—	
		14. उप केन्द्र, मीटा	—यथा—	1	1	13.10.99	
		15. उप केन्द्र, खमाणा	—यथा—	1	—	—	
		16. उप केन्द्र, नाहरी	—यथा—	1	—	—	
		17. उप केन्द्र, सगरेव	—यथा—	1	—	—	
		18. उप केन्द्र, बोराणा	—यथा—	1	—	—	
		19. उप केन्द्र, खाकरमाला	—यथा—	1	—	—	
		20. उप केन्द्र, दुगंच	—यथा—	1	—	—	
		21. उप केन्द्र, बागढ़	—यथा—	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
		22. उप केन्द्र, घलखेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		23. उप केन्द्र, चारोट	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		24. उप केन्द्र, सरेवड़ी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		25. उप केन्द्र, नारायणखेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	16.7.99	
		26. उप केन्द्र, पनोतिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		27. उप केन्द्र, गल्यावड़ी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	
		28. उप केन्द्र, रेवाड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—	

दर्शन दन्त चिकित्सालय महाविद्यालय उदयपुर में प्रवेश प्रक्रिया

100. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर क्षेत्र में दर्शन दन्त चिकित्सा महाविद्यालय भवन का उद्घाटन प्रदेश के मुख्य मंत्री/चिकित्सा मंत्री/शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री की उपस्थिति में किया गया था ? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर।

(2) क्या सरकार ने इस बात की पूर्व में जानकारी कर ली थी कि निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नियमानुसार संचालित होने की सभी आवश्यक पूर्तियां हो चुकी थी ? यदि हां, तो उसकी विभिन्न स्तरों पर प्राप्त स्वीकृतियों की प्रति मय दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिस स्थान पर महाविद्यालय निर्माणाधीन है उसकी भूमि से सम्बन्धित सभी प्रकार की पूर्तियां कर विधिवत निर्माण हेतु नियमानुसार था ? यदि हां, तो कैसे ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय संस्थान द्वारा जो प्रचार-प्रसार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया गया उसमें छात्रों ने मनचाहा दान देकर अपना प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास किया ? यदि हां, तो प्रवेश के लिए संस्थान द्वारा अपनाई प्रक्रिया एवं विज्ञापन एवं कितने छात्रों ने आवेदन किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दर्शन डेन्टल हॉस्पीटल का उद्घाटन दिनांक 2.11.99 को गांव लोयरा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा मंत्री तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय तथा पंचायती राज मंत्री महोदय की उपस्थिति में किया गया था।

(2) दन्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां।

(4) प्रचार-प्रसार की औपचारिक जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर से जांच कराई गई जिसके आधार पर दर्शन डेन्टल कॉलेज के प्रबन्धक ट्रस्टी से स्पष्टीकरण मांगा गया। ट्रस्टी ने अवगत कराया है कि उन्होंने किसी से भी धनराशि नहीं ली और न ही किसी छात्र को प्रवेश किया है। उन्होंने यह भी लिखित में दिया है कि राज्य सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली विद्यार्थियों की सूची के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व डेन्टल कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रवेश दिया जावेगा। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। शिकायत कर्ता द्वारा भी शिकायत वापस ले ली गई है।

राज्य के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

101. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 2000 तक कुल कितने चिकित्सकों ने अपना रजिस्ट्रेशन मेडिकल कौंसिल में कराया है ?

(2) राज्य में कुल कितने चिकित्सक सरकारी हैं ?

(3) राज्य में कुल कितने अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान मेडिकल कौंसिल में 19,557 चिकित्सक दिनांक 18 मार्च, 2000 तक पंजीकृत हैं।

(2) राज्य में कुल 7230 सरकारी चिकित्सक हैं ?

(3) राज्य के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(4) जी हां, रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

सूची

पद	चिकित्सालय		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
	संस्थान की संख्या	रिक्त पद की संख्या	संस्थान की संख्या	रिक्त पद की संख्या	संस्थान की संख्या	रिक्त पद की संख्या	कुल रिक्त पद
वरिष्ठ विशेषज्ञ	27	38	—	—	—	—	38
कनिष्ठ विशेषज्ञ	51	114	132	151	—	—	265
व. चि. अधिकारी	44	52	53	60	28	28	140
चिकित्सा अधिकारी	84	164	30	34	66	66	264
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	6	6	13	14	—	—	20
	212	374	228	259	94	94	727

मेडिकल कालेज

रिक्त पद	
आचार्य	12
सह आचार्य	28
सहायक आचार्य	93
वरिष्ठ प्रदर्शक	76
योग	209

कुल पद – 1428

भरे हुये – 1219

रिक्त = 209

गांव गजनाई (पाली) हेतु सड़क निर्माण

102. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार वर्ष 1981 में 1500 आबादी तथा वर्ष 1991 में 1000 की आबादी के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पूर्व सड़क नीति के हिसाब से डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो पाली जिले में ऐसे कितने राजस्व गांव व ग्राम पंचायत मुख्यालय इस नीति के तहत डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली की तहसील रायपुर के राजस्व गांव सीरमा व कालबाखुर्द को सड़क नीति के अन्तर्गत अब तक डामर सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब चालू वर्ष में उक्त ग्रामों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या जिला पाली का गजनाई गांव भी आबादी के हिसाब से सड़क नीति के अन्तर्गत आता है ? क्या सरकार उक्त ग्राम में डामरीकृत सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस गांव को मेटल या डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा घोषित सड़क विकास नीति में सभी पंचायत मुख्यालयों एवं वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले समस्त राजस्व गांवों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण डामरीकृत सड़क से जोड़ने जाने का विचार रखती है। जिला पाली में उक्त सड़क विकास नीति के तहत डामर सड़क से नहीं जुड़े हुये पंचायत मुख्यालयों को एवं गांवों की (1991 की जनगणना पर 1000 से अधिक आबादी वाले) सूची परिशिष्ट "अ" (संलग्न) में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिला पाली की तहसील रायपुर के राजस्व गांव सीरमा (1285/1991) व कालबाखुर्द (1134/1991) को सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण अब तक डामर सड़क से जोड़ा नहीं जा सका है। चालू वर्ष में उक्त ग्रामों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ना उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(3) जी नहीं। जिला पाली के गजनाई गांव की आबादी 1991 की जनगणना पर 1000 से कम है एवं पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। अतः इस गांव के लिये सड़क निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है। इस कारण इस सड़क का निर्माण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–"अ"

जिला पाली के अधीन डामर की सड़क द्वारा नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	लम्बाई	वर्तमान में सड़क की स्थिति	विशेष विवरण
1.	अमरपुरा (591/91)	1.00 कि.मी.	मेटल सड़क	—
2.	बूंटीवास (1804/91	1.50 कि.मी.	ग्रेवल सड़क	कृषि उपज मण्डी में डामरीकरण तक स्वीकृत है ।

जिला पाली में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों की सूची जो डामर की सड़क से जुड़े हुये नहीं है :—

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	लम्बाई	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	माताजी का बाडा	1021	2.00	मेटल	डामरीकरण कृ. उ. मं. में स्वीकृत है ।
2.	छोडा	1006	4.00	ग्रेवल	स्वीकृत नहीं है ।
3.	सरथूर	1711	2.50	मेटल	,,
4	बोरडी	1027	4.00	मेटल	,,
5.	गुडा जैतसिंह	1075	3.00	मेटल	,,
6.	खातीखेडा	1249	4.00	मेटल	,,
7.	डूंगरपुर	1150	1.50	मेटल	कृ.उ.मं. में स्वीकृत है ।
8.	कालापीपल की ढाणी	1094	3.00	मेटल	स्वीकृत नहीं है ।
9.	लालकी	1339	5.00	मेटल	कृ.उ.मं. में स्वीकृत है ।
10.	पचपदरिया	1217	6.00	मेटल	स्वीकृत नहीं है ।
11.	सांवलताखुर्द	1064	3.00	ग्रेवल	,,
12.	सिराना	1005	6.00	मेटल	,,

1	2	3	4	5	6
13.	बूटीवास	1804	1.50	ग्रेवल	कृ.उ.मं. में स्वीकृत है।
14.	नाहरपुरा	1571	0.50	मेटल	स्वीकृत नहीं है।
15.	बिकरलाई	1812	3.00	मेटल	,,
16.	गुडा हेमराई	1111	7.00	ग्रेवल	,,
17.	कठमोर दयालपुरा	1271	4.00	मेटल	,,
18.	कोटरिया	1324	1.00	मेटल	,,
19.	राजादण्ड	1229	4.00	मेटल	,,
20.	रानीवास	1011	4.00	मेटल	,,
21.	बगीयारा	1305	2.00	मेटल	,,
22.	बिचरडी	1012	1.50	मेटल	,,
23.	कालबखुर्द	1134	3.00	ग्रेवल	,,
24.	लवाणा	1469	1.75	ग्रेवल	,,
25.	रावणिया	1296	3.00	ग्रेवल	,,
26.	रामगढ़ मेरेटान	1151	2.00	मेटल	,,
27.	सीरमा	1285	3.00	मेटल	,,
28.	मोबपुरा	1275	4.00	मेटल	कृ.उ.मं. में डामरीकरण स्वीकृत है।
29.	बुटेलाव	1129	3.00	ग्रेवल	,,
30.	चन्धेडी	1318	3.00	ग्रेवल	,,
31.	पाचवाकलां	1335	3.50	मेटल	,,
32.	करासनी	1068	7.00	ग्रेवल	,,
33.	उपरली निम्बली	1007	7.00	ग्रेवल	स्वीकृत नहीं है।
34.	लीलरिया	1241	5.00	मेटल	,,

रखर (अजमेर) की अपूर्ण सड़क का डामरीकरण

103. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय, कायमपुरा से रखर वाया मानपुरा की ढाणी तक संवत 2055 में डब्ल्यू.बी.एम. टापलेयर का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) क्या मानपुरा की ढ़ाणी राजस्व गांव वर्ष 1987 में घोषित हो चुका है ?

(3) क्या उक्त ढ़ाणी राजस्व ग्राम होने के नाते ग्राम मुख्यालय से जोड़ने हेतु सड़क विकास नीति की प्रथम वरियता में आती है ? अब सरकार कब तक इस अपूर्ण 4 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम मानपुरा की ढ़ाणी की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 949 है। जो कि 1000 से कम है एवं पंचायत मुख्यालय नहीं है। अत: इसे डामर सड़क से जोड़ना राज्य की सड़क विकास नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता में नहीं आता है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम भूरी भडान की निर्माणाधीन सड़क

104. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम भूरी भडान में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन सकेगी ? उक्त सड़क किस मद से तैयार की जा रही है ?

उत्तर

जी हां। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 8 के कि.मी. 173/520 से ग्राम भूरी तक डामर सड़क पूर्व में ही बनी हुई है। ग्राम भूरी से ग्राम भड़ान तक का सड़क निर्माण कार्य राज्य के योजना मद से किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सड़क विहीन ग्राम

105. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रही ग्राम पंचायतों को डामर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ऐसे कितने गांव हैं जो अभी तक सड़कों से

(श्री मांगीलाल गरासिया)

नहीं जुड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में कुल 59 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 47 पंचायत मुख्यालय डामर से जुड़े हुए हैं एवं 12 पंचायत मुख्यालय डामर से जुड़े हुए नहीं है, निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को डामर से जोड़ना शेष है :–

1. मेवाड़ों का मठ (876/91), 2. सामोली (703/91), 3. डांग (208/91), 4. उखलियात (464/91) 5. छाली (1039/91), 6. पानेर (1030/91), 7. चित्रावास (751/91), 8. ददिया (1363/91), 9. मोरवल (687/91), 10. पाटिया (961/91) 11. तिरोल (748/91), 12. गुन्दाली (1203/91)

(2) जी हां। राज्य की सड़क विकास नीति के अनुसार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 1999-2000 में कुल 12 पंचायत मुख्यालयों में से निम्नलिखित 6 पंचायत मुख्यालयों को डामर से जोड़ने के लिए कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिन पर कार्य प्रगति पर है :–

1. चित्रावास (751/91), 2. दादिया (1363/91) 3. मोरवल (687/91) 4. पाटिया (961/91) 5. तिरोल (748/91) 6. गुन्दाली (1203/91)

(3) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 750 से अधिक आबादी के गांवों को सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में गोगुन्दा तहसील एवं कोटड़ा तहसील आती है। गोगुन्दा तहसील जनजाति क्षेत्र में नहीं है एवं कोटड़ा तहसील की 19 पंचायत मुख्यालय गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में आते हैं इनमें से 2 गांव 1. बांकावास (1117/91) 2. तिलोई (1032/91) डामर से जुड़े हुए नहीं हैं।

सुमेरगंज मण्डी से चाणदा (बून्दी) पर पुल निर्माण कार्य

106. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की सुमेरगंज मण्डी से चाणदा तक की सड़क पर पुलिया का निर्माण कार्य नहीं किया जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थानीय नालों पर पुलिया नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में उक्त नालों में पानी के बहाव के कारण नालों की अप्रोच पर सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। उक्त सड़क का निर्माण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे अकाल राहत कार्य, जवाहर रोजगार योजना तथा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क रख-रखाव एवं विशेष मरम्मत कार्यक्रम के तहत किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उक्त सडक निर्माण में पुलिया निर्माण का कार्य सड़क बनाते समय नहीं करने का कारण सड़क निर्माण की स्वीकृति में पुलिया निर्माण की स्वीकृति सम्मिलित नहीं थी।

(2) जी हां। सुमेरगंज मण्डी से बाणदा खुर्द (इन्द्रगढ़ टीपरी एस.एच.-19) पर पुलिया निर्माण का अनुमोदन जिला कलक्टर बूंदी के निवेदन पर डांग विकास योजना के तहत 15.00 लाख रुपये का किया गया था। परन्तु उक्त अनुमोदन शासन सचिव, विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक एफ. 13(14) ग्रुप 6/डांग/96/836 दिनांक 25.9.96 के तहत निरस्त किया गया।

उक्त सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

परिशिष्ट "क"

क.सं. 1	कार्य का नाम 2	योजना का नाम 3	स्वीकृति का संदर्भ 4	स्वीकृत राशि 5	विशेष विवरण 6
1.	इन्द्रगढ़ टीपरी रोड	अकाल राहत संवत् 2044	उप शासन सचिव सहायक विभाग जयपुर के पत्रांक 62845–913 दिनांक 28.11.87	11.00 लाख	ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है।
2.	सम्पर्क सड़क इन्द्रगढ़ टीपरी	जवाहर रोजगार योजना	कलक्टर एवं अध्यक्ष जि.ग्रा.वि.प्र. बून्दी का क्रमांक एफ 10–413/ जे.आर.वाई./92–93/1954–66 दिनांक 26.3.96	4.90 लाख	किमी. 10/0 से 13/500 में मेटल सड़क का निर्माण
3.	स्ट्रथनिंग व 20 एमएमपी एमसी इन्द्रगढ़ टीपरी रोड किमी. 5/500 से 10/0 एवं 10/0 से 13/500	एस.आर. प्रोग्राम 92–93	मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्रांक सीई/आर1/ एस.आर./97–98/डी 603 दिनांक 3.5.97	15.72 लाख संशोधित वर्ष 1996–97	5/500 से 13/500 तक डामरीकरण पूर्ण
4.	रिसेटलिंग व 13 एमएमसी एमसी ओन इन्द्रगढ़ टीपरी रोड किमी. 13/500 से 17/00 जोब नं. 12/एसई /23054/93–94	एस.आर. प्रोग्राम 93–94	मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्रांक सीई/आर1/ एस.आर./डी 851 दिनांक 16.4.94	7.00 लाख	कि.मी. 13/500 से 17/00 तक डामरीकरण कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
5.	कन्स्ट्र. आफ मिसिंग लिंक रोड इन्द्रगढ़ टीपरी विद सीडी वर्क्स 1.5 किमी. (जोब नं. 36/5054/ एस.एच.डब्ल्यू./94–95	5054/आर एण्ड डी/ स्टेट हाइवे	मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्रांक एफ 2/107/ पीडब्लू/एस.एच./94/डी 544 दिनांक 11.5.94	9.00 लाख	17/0 से 18/500 तक यानि चाणदा खुर्द से जिला सीमा (चम्बल नदी तक) डामर सड़क एवं पुलियाओं का निर्माण

(शिक्षा मंत्री)

हैं तथा उसी के आधार पर प्रश्न-पत्र तैयार किये गये हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) अंग्रेजी अनुवाद में देरी के कारण बोर्ड पुस्तक नहीं छपवा पाया। वर्ष 2000-2001 के लिए अंग्रेजी पुस्तक छपवाने का कार्य चल रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय चौरसियावास (अजमेर) के शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध शिकायत

111. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय चौरसियावास (अजमेर) में शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या श्री इंसाफ अली विद्यालय से गैर हाजिर रहने के आदि है ? यदि हां, तो, उक्त गत वर्ष मे माहवार कितने–कितने दिन हाजिर रहे और कितने दिनों की छुट्टी पर रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षक के विरुद्ध ग्राम वासियों ने तथा स्थानीय विधायक ने समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर-प्रथम उप निदेशक शिक्षा जोन अजमेर आदि को शिकायत लिखित में की है ? यदि हां, तो उन शिकायती पत्रों पर अब तक क्या कारवाई हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां। उ. प्रा. वि. चौरसियावास (अजमेर) में शारीरिक शिक्षक दिनांक 5.9.91 से लगातार कार्यरत है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी-प्रथम को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निराधार पाई गई।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

112. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्राथमिक स्कूल कहां-कहां हैं ? प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है ?

(2) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में प्राथमिक पाठशालाओं तथा उनमें अध्ययनरत छात्र एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के

(पंचायती राज मंत्री)

प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 41 पद रिक्त है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची में भवन रहित विद्यालय

113. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे कितने विद्यालय है जो खुले स्थान पर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा खारची के अन्तर्गत निम्न पांच विद्यालय खुले स्थानों पर चल रहे हैं :-

1. रा.प्रा.वि. गोलकी
2. रा.प्रा.वि. गुडागांगा-II
3. रा.प्रा.वि. खेखो की ढाणी
4. शिक्षाकर्मी विद्यालय खानियों की ढाणी (सारण)
5. शिक्षाकर्मी विद्यालय राईकों की ढाणी (देवली)

(2) जी, हां। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण करवाया जायेगा।

जिला जालौर के विद्यालयों में रिक्त पद

114. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर के सेकेण्डरी/हायर सैकेण्डरी विद्यालयों में कितने पद कितने समय से रिक्त चल रहे हैं? उक्त पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों पर पद स्थापन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जालौर जिले में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का मय कारण दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के हटने पर उक्त पदों को भरा जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के निजी विद्यालयों को देय अनुदान प्रकरण

115. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) राज्य में कितने निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों को वर्ष 1998 व 1999 में कितनी राशि का अनुदान दिया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भेदभाव करके कुछ विद्यालयों को ज्यादा कुछ को कम अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ने उक्त अनुदान को आवंटित करने का क्या आधार बना रखा है ?

उत्तर

(1) राज्य में 13005 निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। संख्या सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-अ, ब, स)

(2) राज्य सरकार द्वारा इन रजिस्टर्ड निजी विद्यालयों में से 891 विद्यालयों को वर्ष 1998 एवं 1999 में क्रमशः 5172.70 लाख एवं 6302.67 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। संख्या विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (सामान्य, सहायता अनुदान एवं सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 11 के तहत गठित अनुदान समिति की अभिशंषा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मान्यता प्राप्त संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माध्यमिक विद्यालय लेड़ी (नागौर) के अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

116. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया था कि जिन विद्यालयों का परिणाम खराब रहेगा उनके अध्यापकों को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं ? उक्त आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय लेड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर का इस वर्ष का रिजल्ट अत्यन्त ही खराब रहा है और उक्त विद्यालय के किन-किन अध्यापकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने जो आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये हैं, उनकी पालना के सम्बन्ध में कभी समीक्षा की है ? यदि हां, तो कब तथा किस स्तर पर तथा उसमें क्या परिणाम सामने आये और सरकार के आदेशों की पालना किस सीमा तक हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) नागौर द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार शिक्षा सत्र 98–99 में रा.मा.वि., लेडी तहसील लाडनूं जिला नागौर का

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक परीक्षा परिणाम 6.55% रहा है। विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का परीक्षा परिणाम परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(3) जिन अध्यापकों के परीक्षा परिणाम न्यून रहे हैं, उनको सम्बन्धित विद्यालय से हटाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है।

परिशिष्ट–"क"

रा.मा.वि. लेड़ी तहसील लाडनूं के कार्यरत अध्यापकों का वर्ष 1998–99 का बोर्ड परीक्षा परिणाम

क्र. सं.	अध्यापक का नाम मय पद	विषय	परीक्षा परीणाम
1.	रूपाराम वरिष्ठ अध्यापक	गणित	42.6%
2.	नन्द किशोर वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	8.2%
3.	मानाराम, वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	37.7%
4.	ओंकारमल, वरिष्ठ अध्यापक	संस्कृत	34.4%
		हिन्दी	15.15%
5.	मानवेन्द्र कुमार वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	86.8%
		हिन्दी	0.0%

द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति प्रकरण

117. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को वर्ष 1997 से जनवरी, 2000 तक नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितने पदों पर एवं किस-किस विषय के अध्यापकों की भर्ती की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इतिहास एवं संस्कृत विषय के कितने पद कहां-कहां जयपुर जिले में रिक्त हैं ? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा विभाग में वर्ष 1997 से जनवरी, 2000 तक द्वितीय वेतन श्रृंखला के 3202 अध्यापकों की नियुक्ति की गई। विषयवार नियुक्त अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है :—

1. गणित–891 2. विज्ञान–1017
3. अंग्रेजी–920 4. संस्कृत– 249
5. शारीरिक शिक्षक–125

15.1.2000 के पश्चात भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला में इतिहास विषय हेतु पृथक से शिक्षक का कोई पद आवंटित नहीं है। वर्तमान में जयपुर जिले में किसी भी विद्यालय में संस्कृत विषय के द्वितीय वेतन श्रृंखला शिक्षक का पद रिक्त नहीं है।

(3) नियमानुसार भाग संख्या 2 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट–"क"

जयपुर जिले में इतिहास एवं संस्कृत विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद	
		इतिहास	संस्कृत
1	2	3	4
1.	रा. उ. मा. वि. पवाना	1	–
2.	,, अमरसर	1	1
3.	,, विराट नगर	1	1
4.	,, बगवाड़ा	1	1
5.	,, नारेहड़ा	1	–
6.	,, मनोहरपुर	1	–
7.	,, भैसावा	1	–
8.	,, मौढ़सर	1	–
9.	,, साईवाड़ (जरा)	1	–
10.	,, नांयला	1	–
11.	,, शाहपुरा	1	–
12.	,, बधाल	1	1

1	2		3	4
13.	रा. उ. मा. वि.	आंधी	1	—
14.	,,	बागोवास अहिरान	1	—
15.	,,	आहोता	1	—
16.	,,	जैतपुरा	1	—
17.	,,	नोनपुरा	1	—
18.	रा. बा. मा. वि.	चौमूं	1	—
19.	रा. उ. मा. वि.	साईवाड़ा (जाह)	—	1
20.	,,	पावटा	—	1
21.	,,	रेंनवाल	—	1
22.	बा. उ मा. वि.	अमरसर	—	1
23.	,,	विराट नगर	—	1
24.	रा. उ. मा. वि.	बामावस, अहिरान	—	1
25.	,,	रेनवालजी	—	1
26.	,,	चाकसू	—	1
27.	,,	बस्सी	—	1
28.	,,	मोतीकटला	1	—
29.	बा. उ. मा वि.	गांधीनगर	1	1
30.	रा. उ. मा. वि.	सिवार	1	—
31.	,,	खातीपुरा	1	—
32.	,,	गणपति नगर	1	—
33.	बा. उ. मा. वि.	महाराजा	1	—
34.	,,	आमेर	1	—
35.	,,	गोनेर	1	—
36.	रा. उ. मा. वि.	हुगा	1	—
37.	,,	साखुन	1	—
38.	,,	मारडू	1	—
		योग	29	13

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में बकाया घरेलू कनेक्शन

118. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में अप्रेल 1999 से पहले कुल कितने घरेलू कनेक्शन बकाया थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर 1999 तक राज्य सरकार द्वारा लम्बित घरेलू कनेक्शन जारी किये जाने थे । यदि हां तो उक्त अवधि के पश्चात् अब कितने घरेलू कनेक्शन बकाया रह गये हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त बकाया घरेलू कनेक्शनों को जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में घरेलू कनेक्शन हेतु माह अप्रेल, 1999 से पूर्व के कुल 3200 आवेदन पत्र लम्बित थे ।

(2) घरेलू कनेक्शन के लम्बित आवेदनों को माह मार्च, 2000 तक कनेक्शन देने के आदेश जारी किये गये थे उसके अनुसार कार्यवाही करके कनेक्शन जारी किये गये हैं । डेगाना क्षेत्र में दिसम्बर, 1999 के बाद 2742 आवेदकों को कनेक्शन देना शेष है ।

(3) जी, हां । लम्बित घरेलू आवेदकों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि को देखते हुए बजट प्रावधानों के अनुसार ही घरेलू कनेक्शन जारी करने के आदेश दिये गये हैं और उसके अनुसार ही कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

खेडली (अलवर) का स्वीकृत 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन

119. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के कस्बा खेडली में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उक्त सब-स्टेशन का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा और नहीं तो क्यों ?

(2) अब तक इसमें हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । अलवर के कस्बा खेडली में 132 के वी. का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं । इस सब स्टेशन के निर्माण के कार्य को विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण सहायता के लिये विश्व बैंक के अधिकारियों से वार्ता जारी है । इसका निर्माण विश्व बैंक ऋण मिलने के बाद ही सम्भव है ।

(2) इस योजना की स्वीकृति पूर्व में विश्व बैंक द्वारा क्रियान्वित होने वाली 44 योजनाओं में सम्मिलित थी । विश्व बैंक द्वारा वांछित ऋण सहायता समय पर न मिलने व संसाधनों की कमी के कारण इस योजना पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

रायपुर (पाली) के राजस्व गांवों को जवाजा विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति

120. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की विद्युत हाई पावर समिति द्वारा तहसील रायपुर के गांव कलालिया आसन जिलेलाव बगड़ी, बेलपना, कोट-किरणा तथा सीरमा को पीपलिया कलां (पाली) से अति दूरस्थ होने के कारण खण्ड ब्यावर के उप खण्ड विद्युत केन्द्र जवाजा से जोड़ने की सिफारिश की गई थी ?

(2) उक्त गांवों को जवाजा विद्युत उपखण्ड से जोड़ने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

(3) उक्त सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) अब सरकार कब तक उक्त राजस्व गांवों को जवाजा से जोड़कर उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध करा देगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला पाली की अधिकार सम्पन्न समिति की आयोजित बैठक में गांव कलालिया, आसन जिलेलाव, बगड़ी, बेलपना, कोटकिराणा तथा सिरमा को पिपलिया कलां उपखण्ड (पाली) से हटाकर जवाजा (ग्रामीण) उपखण्ड से जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

(2) प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं।

(3) उपरोक्तानुसार

(4) उपरोक्तानुसार

छोटी सरवा (कुशलगढ़) में प्रस्तावित 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन

121. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के छोटी सरवा में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान कुशलगढ़ से 0 किलोमीटर दूरी पर है ? क्या विद्युत लाईन लम्बी होने से व अधिक कृषि कनेक्शन होने के कारण उक्त कनेक्शन पर अधिक भार है ?

(3) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु छोटी सरवा में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है। यदि नहीं तो क्यों।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। विद्युत लाइन लम्बी होने के कारण वोल्टेज में कमी की समस्या रहती है।

(3) उक्त समस्या के समाधान हेतु छोटी सरवा में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के कार्य का एक प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

जिला बांसवाड़ा के अविद्युतीकृत ग्राम

122. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत नहीं हुए हैं ? सूची पंचायत समिति व गांव वार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम सरसीयापाड़ा/वडलीपाड़ा / सोमजीपाड़ा / चनावला/बोरकुन्डा/कुन्दीबड़ी विद्युतीकरण से वंचित हैं ? यदि हां, तो अब उक्त गांव कब तक विद्युतीकृत कर दिये जावेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में माह फरवरी, 2000 तक 251 गांव ऐसे हैं जो कि विद्युतिकृत नहीं हुए हैं । पंचायत समिति व ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ का ग्राम बड़लीपाड़ा वर्ष 1986 से विद्युतिकृत घोषित है जिसमें मांग होने पर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है । ग्राम सरसीयापाड़ा, सोमजीपाड़ा, चनावाला, बोरकुण्डा एवं गुन्दीबड़ी संभावित डूब क्षेत्र में होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण इनका विद्युतीकरण किया जाना फिलहाल संभव नहीं है ।

परिशिष्ट "अ"

जिला बांसवाड़ा में अविद्युतीकृत (पंचायत समितिवार) गांवों की सूची

क्र. सं.	प.स.	कोड नं.	गांव का नाम	क्र. सं.	प.स.	कोड नं.	गांव का नाम
1	2		3	1			3
1.	घाटोल 24/1/	5	सोद्रोन की कुण्डी	8.		21	टांडा बंजारा
				9.		22	सुरपुरा
2.		6	रूपपुरा	10.		25	पधारा
3.		13	श्यामपुरा	11.		23	अमरापुरा
4.		15	अमलीफाला	12.		33	खोबाला
5.		17	कालीमगरा	13.		44	मदनपुरा
6.		19	सांचोर	14.		49	हुंमा का टाण्डा
7.		20	टांडा सोबजी	15.		81	रोहणी कालिया

1	2	3	1	2	3
16. घाटोल	24/1/ 82	गंगजी का खेड़ा	44. गढ़ी	24/2/ 18	डाणी
17.	83	वेरीपुरा	45.	104	पातीया
18.	85	सुवावानारु	46.	111	अराई
19.	86	सुवावा बरगूट	47. तलवाड़ा	24/3/ 54	भीमागढ़
20.	91	परिबापोर	48.	105	ववेलपुरा
21.	92	जेतपुरा	49.	109	लीमखोरा
22.	95	बंसरीखेड़ा	50.	112	परखामहुरा
23.	98	लोद	51.	202	सीमलिया
24.	101	हमीरगढ़	52.	203	बोरखेड़ा
25.	103	कुन्नीकाएेरा	53.	210	लोघागरिया
26.	104	हरमाद्या	54.	211	लालूपारा
27.	107	महापुरागेरा	55.	212	जगपुरा
28.	108	महापुराबारेल	56.	214	बरोडा
29.	114	गरड़ा	57.	217	बादलिया
30.	115	गरनावट	58.	221	मानपुरा
31.	141	बदनपुरा	59.	230	नाथपुरा खुर्द
32.	144	पादरा	60.	249	रानीबानी
33.	150	डुंगरा	61.	252	सुरजीपुरा
34.	156	कुशालीतलाब	62.	254	रघुनाथपुरा
35.	157	देलियातलाब	63.	257	फतेहपुरा
36.	159	आकरिया	64.	259	मोजिया खुर्द
37.	164	कांग्रेस का खेड़ा	65.	260	टागोपीपली
38.	166	सादड़ी	67.	274	भगवानपुरा
39.	168	मूण्डरीपाड़ा	68.	275	छापर
40.	196	कीकाकीनाल	69.	276	रतनपुरागालियां
41.	197	गोजराठोर	70.	277	छानीमाहुरी
42.	200	गडरा	71.	278	सज्जनगढ़
43.	205	भीमा का खेड़ा	72.	283	खेरा

1	2	3	1	2	3
73 तलवाड़ा	24/3 290	भेजीयातालाब	101. पीपल-	24/1/303	माण्डली
74.	291	बगेरीचारपोटा	102. खूंट	304	मामेरी
75.	292	बरवाड़ामैरूजी	103.	305	ठाकरा
76.	294	बगेरु हारैग	104.	306	परथीपुरा
77.	296	बगेरी मैदा	105.	316	मऊ
78.	298	देयोका	106.	33	रामगढ़
79.	307	घावरादारा	107.	34	पाड़ा
80	308	सांगेसरी	108.	35	बागरा
81.	312	मांगलिया खोरा	109.	36	खेरडी
82.	313	रूपपुरा	110.	37	खालदा
83. पीपल-	24/1/207	बागटोर	111.	38	स्यारी
84. खूंट	210	छारी	112.	39	झामलीया
85.	237	सीदरीमहुरी-ए	113.	40	खजूरी
86.	253	बादुड़ी	114.	41	खूंटाबड़ी
87.	254	रीछड़ी	115.	42	मातासूला
88.	255	मालियां	116.	43	गगरवा
89.	256	बांरा	117.	47	कानपुरी
90.	258	बिलरिया	118.	48	ठीकरिया
91.	259	बरवाड़ा	119.	49	खालीयावार
92.	262	नालंदा	120.	50	पाटीगांगरा
93.	294	खारखोटी	121.	51	बीलाखो
94.	295	अखापुरा	122.	52	कोटरा
95.	296	कूपड़ा	123.	119	पंचलवासा
96.	297	हारो	124.	120	छोटीमाला
97.	298	सालीया	125.	121	बड़ीमाला
98.	300	मांडवी	126.	122	जीवाकापरेड़ा
99.	301	रानपुर	127.	153	वांक
100.	302	रोहनिया	128.	124	खामपुरा

1	2	3	1	2	3
129. पीपल-	24/1/125	मुहरीपारा	157. बागी-	24/4/ 228	कूंपरी
130. खूंट	126	मुडरीपारा	158. दौरा	229	खारोड़ी
131.	127	बीलरिया	159.	230	झाझरवा खुर्द
132.	128	सजवानीया	160.	239	कूण्डला
133.	129	छापरीया	161.	241	शिवपुरा
134.	130	लालपुरा	162.	244	हुरमाटिया
135.	132	डांकरी	163.	245	झेरमनी
136.	145	केलवानी	164.	247	खूंटाडालजीमला
137.	155	जूनाखेरा	165.	259	चीताथोला
138.	195	रेल	166.	260	मीण्डीलेहरा
139.	196	नापला	167. आनन्दपुरी	1	डाण्डवा
140.	197	कीकापारा	168.	4	पीपलाई डूडा
141.	198	तलाब	169.	6	जेतीयाबारा
142.	199	चीताब	170.	7	कूबा
143.	200	मामा	171.	8	डामझारा
144.	324	नादीया	172.	9	बरखोटा
बागीदौरा			173.	11	खातेरिया
145.	24/4/ 154	भूराटेम्बा बड़ा	174.	13	खूंटाफारगी
146.	155	भूराटेम्बा छोटा	175.	14	कनिला
147.	156	बागखोरा	176.	16	नारानीया
148.	197	घुलियागढ़	177.	17	रोहानिया
149.	198	गेरा	178.	18	तलवारीरतनपुरा
150.	215	बोरतलाई	179.	19	पातीया
151.	218	हमीरपुरा छोटा	180.	21	पुंछीबारा
152.	219	पाण्डेरा	181.	33	बोरमाटोर
153.	220	डूंगरी	182.	43	दाद
154.	222	उपरा	183.	44	महुरीखूंटा
155.	224	पीपलाईजोगरा	184.	45	हालेरा
156.	226	खूंटावीरजी			

1		2	3	1		2	3
185.	आनन्दपुरी	53	पाण्डोला	212.	कुशल- 24/5/	53	मरखोमजी
186.		75	बरातलाब	213.	गढ़	54	झलकीया
	कुशलगढ़			214.		55	कुम्भपुरा
187.	24/5/	213	काजलपारा	215.		56	कालाखेत
188.		221	फेराडूंगरी	216.		57	खूंटाचतरा
189.		224	कूंडिया	217.		58	खूंटारतना
190.		225	तलाइपारा	218.		77	लाम्बोदेरी
191.		226	खूंटा	219.		79	मामरी
192.		232	बलाचूना	220.		80	पड़ला बरकीया
193.		323	सीमसागर	221.		82	बोरमाटोर
194.		325	सीमलदड़ा	222.		83	बालासिन्दूर
195.		342	उमरझोंका	223.		88	पड़लाकटरा
196.		350	भावानोकी टोडी	224.		89	जोगरीमाता
197.		356	मुरजीपारा	225.		90	साबेला
198.		368	आम्बोक	226.		101	मागारंडा
199.		372	खेरा				कातेला साथ
200.		378	सींगलाकूण्डी	227.		134	माटखेरी
201.		380	अमलियामल	228.		136	चितूराखालसा
202.		383	कूडवाली खुर्द	229.		137	चितूरामाफी
203.		386	मटवालालाखोरा	230.		139	कडाइमल
204.		391	सेमलवारा	231.		142	सरसियापारा
205.		4	झागोला	232.		159	घोती की टोडी
206.		5	छानवाला	233.		160	सोमजीपारा
207.		12	जीराकोट	234.		166	गरिया की टोडी
208.		14	अम्बा	235.		172	मीमखोरा
209.		28	गोदवारा मंजी	236.		173	तलाईपारा
210.		49	गनेशपुरा	237.		252	सलोन
211.		52	महुरीयानाथा	238.		253	बोराजनई

1	2	3	1	2	3
239.	254	बोराजजूनई	246.	268	आमलीझारान
240.	255	घोरवारा	247.	271	बोरकूण्डा
241.	256	छोटीया	248.	274	हिम्मतगढ़
242.	257	चक घोरवाड़ा	249.	276	सतेनराकलां
243.	262	कोई दोबान	250.	277	फूलपुरी
244.	265	गुण्डीकलां	251.	240	उदयगढ़ कलां खेत
245.	266	गुण्डीखुर्द			

राज्य के बाहर से क्रय की गई विद्युत का भुगतान

123. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पिछले 18 महीनों में उपभोक्ता सम्मेलनों एवं सब-स्टेशनों के शिलान्यास एवं उद्घाटनों में विज्ञापनों सहित कितना व्यय हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य के बाहर से विद्युत खरीद पर 18 माह में कितना भुगतान किस-किस को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में पिछले 18 माह में उपभोक्ता सम्मेलनों व सब-स्टेशनों के शिलान्यास एवं उद्घाटनों पर कुल 8,07,108.00/- रुपये व्यय हुए, जिसका वृतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । इन सम्मेलनों एवं उद्घाटनों पर माह फरवरी 2000 तक अनुमानित 11,92,-220/- रु. के विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ जारी किये गये । कुल खर्च 19.99 लाख रुपये ।

(2) राज्य में पिछले 18 माह में (सितम्बर, 1998 से फरवरी, 2000) विभिन्न स्रोतों से किये गये विद्युत क्रय मय पूरक बिलों के तथा 15.3 2000 तक किये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	स्रोत का नाम	विद्युत क्रय की राशि	भुगतान 15 3.2000 तक रिबेट सहित (राशि करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	एन.टी.पी.सी.	1689.51	1543.50

1	2	3	4
2.	एन.एच.पी.सी.	276.69	211.67
3.	एन.ए.पी.पी.	811.11	730.00
4.	पी.जी.सी आई.एल.	192.44	143.22
5.	पी.एस.ई.बी.	127.33	121.65
6.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	23.50	2.00
7.	एच.पी.एस.ई.बी.	8.34	—
8.	बी.बी.एम.बी. (आर एफ.एफ.)	42.67	41.08
9.	आर.एम.पी.सी.आई.एल.	0.19	0.16
10.	एम.एस.ई.बी.	3.47	—
	योग	3175.25	2793.28

उक्त विद्युत क्रय के पेटे मण्डल द्वारा विद्युत क्रय के पूर्ण एवं समय पर भुगतान न करने की स्थिति में देय सरचार्ज की राशि सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट –अ

गत 18 माह में उपभोक्ता सम्मेलन/सब-स्टेशनों के शिलान्यास/उद्घाटन पर किये गये खर्च का वृत (पवस) वार विवरण

क्र सं.	पवस वृत का नाम	उपभोक्ता सम्मेलन पर किया गया व्यय	सबस्टेशन के शिलान्यास/उद्घाटन पर किया गया व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1.	अलवर	31794.42	—	31794.42
2.	भरतपुर	—	10000.00	10000.00
3.	कोटा	53830.00	—	53830.00

1	2	3	4	5
4.	झालावाड़	—	—	—
5.	सवाईमाधोपुर	17151.00	36293.00	53444.00
6.	जयपुर नगर, वृत	—	—	—
7.	जयपुर जिला वृत	—	47500.00	47500.00
8.	दौसा	—	1250.00	1250.00
9.	अजमेर	22049.33	5545.00	27594.33
10.	नागौर	—	62287.00	62287.00
11.	भीलवाड़ा	—	6114.00	6114.00
12.	झुंझुनूं	40000.00	162998.00	202998.00
13.	चूरू	29503.00	28174.00	57677.00
14.	सीकर	—	70000.00	70000.00
15.	बीकानेर	59978.00	1826.50	61804.50
16.	गंगानगर	—	—	—
17.	हनुमानगढ़	12661.00	—	12661.00
18.	उदयपुर	22500.00	—	22500.00
19.	बांसवाड़ा	—	—	—
20.	चित्तौड़गढ़	14844.00	—	14844 00
21.	जोधपुर नगर वृत	22322.00	—	22322.00
22.	जोधपुर जिला वृत	—	14500.00	14500.00
23.	पाली	—	—	—
24.	बाड़मेर	33988.00	—	33988.00
		योग–360620.75	446487.50	807108.25

अस्थाई कनेक्शन हेतु जमा अग्रिम राशि का भुगतान

124. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फ्लोर मिल के एस.आई.पी. कनेक्शन एवं शादी विवाह आदि के लिए अस्थाई कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि जमा की जाती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि माह नवम्बर, 1998 से नवम्बर, 1999 तक सहायक अभियन्ता कार्यालय विद्याधर नगर, जयपुर में एस.आई.पी. एवं शादी विवाह कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि जमा हुई ? यदि हां, तो किस-किस द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा कराई गई ? विवरण मय आवेदक के नाम एवं रसीद संख्या की छाया प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों में से किन्हीं आवेदकों ने अपनी राशि जो रसीद संख्या 89 बुक नम्बर 46 दिनांक 19.11.1998 एवं रसीद सं. 76 बुक नं. सी 3627 दिनांक 17.2.99 से जमा कराई थी को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं कब ?

(4) क्या उक्त आवेदकों को उक्त जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

(5) क्या सरकार उक्त आवेदकों को उनकी जमा राशि वापस करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनरल कण्डिशन ऑफ सप्लाई जो कि नोटिफिकेशन न. एफ/फ. 14(397)63 दिनांक 24.6.64 के द्वारा जारी की गई थी व इसके तहत जारी आदेशों के अनुसार एस.आई.पी. व अस्थाई कनेक्शनों के लिये अग्रिम राशि ली जाती है। वर्तमान में फ्लोर मिल के स्थाई एस.आई.पी. कनेक्शन के लिए रु. 4000/– अग्रिम राशि व शादी विवाह हेतु अस्थाई कनेक्शन हेतु कनेक्शन जारी करने पर होने वाला खर्च अनुमानित विद्युत खर्च व कनेक्शन हटाने में होने वाला खर्च आदि को जोड़ कर अग्रिम राशि ली जाती है, जो कि अलग-अलग आवेदक के लिये लोड व कनेक्शन की अवधि के अनुसार अलग-अलग ली जाती है।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता कार्यालय विद्याधर नगर, जयपुर में नवम्बर, 1998 से नवम्बर, 1999 तक एस.आई.पी. के स्थाई कनेक्शन हेतु 101 आवेदकों तथा शादी विवाह के लिए अस्थाई कनेक्शन हेतु 68 आवेदकों द्वारा अग्रिम राशि जमा करवाई गई थी जिसका आवेदक वार मय राशि, रसीद संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। रसीद संख्या 89 बुक न. 46 से सम्बन्धित आवेदक मै. सीताराम फ्लोर मिल आवेदक कर्ता द्वारा दिनांक 5.8.1999 को अग्रिम राशि वापसी हेतु

(ऊर्जा मंत्री)

आवेदन किया था परन्तु रसीद संख्या 76 बुक न. 3627 से सम्बन्धित आवेदक कर्ता द्वारा अग्रिम राशि वापसी के लिए कोई आवेदन कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

(4) रसीद संख्या 46/89 से संबंधित आवेदक को रु. 4000/– की राशि वापस करने हेतु चैक सं. 221320 दिनांक 9.3.2000 जारी किया जा चुका है तथा रसीद संख्या 3627/76 से सम्बन्धित आवेदक की तरफ अग्रिम अमानत राशि रु. 600/– के विरुद्ध रु. 618/- विद्युत खर्च होना पाया गया है। अत: विद्युत मंडल को रु. 18/- आवेदक से लेने हैं अत: वापस करने योग्य कोई राशि नहीं है। इस प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई है, अत: प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है।

(5) उपरोक्तानुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अविद्युतकृत ग्राम

125. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1995 या उससे पूर्व के विद्युतीकृत घोषित गांवों में अब तक एक भी कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन, वन पोल, टू पोल, नर्सरी या बिजली चोर योजना के अन्तर्गत कितने कनेक्शन दिए गए हैं? प्रति वर्ष योजनावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कृषकों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करादी और उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिये हैं यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सही है कि सरकार की घोषणा के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र हीरावाला व बस्सी को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है और किसानों को मात्र तीन चार घण्टे ही बिजली दी जाती है?

(5) वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से टैरिफ दरों में कब-कब क्या परिवर्तन किए गए? मय दिनांक टैरिफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा में चयनित कृषकों या अनुसूचित जनजाति के कृषकों को वरीयता के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं? यदि नहीं तो क्यों?

(7) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों के कई कुओं के कनेक्शन किन्हीं कारणों से काट दिये गये? राज्य सरकार के निर्देशानुसार कनेक्शन पुन: करवाने हेतु किसानों द्वारा राशि जमा कराने के बावजूद भी अब तक कनेक्शन नहीं किए गए? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1995 या उससे पहले विद्युतिकृत किए गए ग्रामों में से निम्न ? ग्रामों में अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए हैं :–

अ. शंकरपुरा

ब. मण्डावरी

स. अजमेरीपुरा

द. शक्कर खावदा

इ. जहूरीपुरा उर्फ बांसड़ा

फ. यादगारपुरा

ज. बाड़ यादगारपुरा

ग्राम शंकरपुरा में ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण ट्रान्सफार्मर नहीं रखा जा सका तथा शेष ग्रामों में लाईन का कार्य अपूर्ण होने के कारण कनेक्शन जारी नहीं किए जा सके। मण्डल द्वारा जारी आदेश में जिन ग्रामों की लाईनें क्षतिग्रस्त व अपूर्ण हैं, ऐसे ग्रामों में 58 हजार रुपये तक का व्यय आने पर विद्युतिकृत किए जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन उक्त सभी ग्रामों में 58 हजार रुपयों से अधिक का खर्चा आता है इसलिए सीमित साधनों के कारण लाईन का कार्य पूर्ण कर कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन, वन पोल, टू पोल व चोरी करने वाले कृषकों को उपखण्डवार निम्न कनेक्शन जारी किए गए:–

	जनवरी, 99 से मार्च, 99 तक			अप्रैल, 99 से फरवरी, 2000 तक		
	बस्सी	चाकसू	कुल	बस्सी	चाकसू	कुल
सामान्य	6	7	13	36	98	134
अनु. जाति	6	2	8	17	40	57
वन-टू पोल	–	–	–	7	—	7
नर्सरी	27	4	31	72	60	132
चोरी करने वाले कृषक	–	–	–	15	7	22
विशेष सामान्य	–	1	1	—	—	—
	39	14	53	147	205	352

(3) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कृषकों ने निम्न उप-खण्डवार डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवायी है :-

कृषि श्रेणी	चाकसू	बस्सी	कुल
विशेष योजना (चोरी के मामले)	23	-	23
नर्सरी	20	278	298
सामान्य	16	5	21
एल.एच.एन.सी.	8	-	8
अनु. जाति	6	20	26
	-	-	-
	73	303	376

अत्यन्त आर्थिक तंगी के कारण वांछित सामान्य उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन अब सामान की उपलब्धता के अनुसार अतिशीघ्र कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र हीरावाला एवं बस्सी में केवल सायंकाल 6 से 10 बजे के दौरान इण्डस्ट्रीज चलाने पर रोक रहती है। कृषकों उपलब्धता के अनुसार 6 से 8 घण्टे तक बिजली दी जा रही है।

(5) जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की टेरिफ की दरों के परिवर्तन का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(6) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वर्ष 1999-2000 की घोषित कृषि नीति के अनुसार उक्त क्षेत्र में गरीबी रेखा में चयनित कृषकों या अनुसूचित जनजाति के कृषकों को वरीयता के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अनु. जाति के कृषकों को बिना इन्तजार किए कनेक्शन दिए जाते हैं। ट्राइबल सब-प्लान एरिया में अनुसूचित जन जाति के कृषकों को भी इसी प्रकार प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(7) जिन काश्तकारों में बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन काट दिए गए थे उनके द्वारा बकाया राशि मय ब्याज जमा करवाने व वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई थी, उनके कनेक्शन पुनः जोड़ दिए गए हैं और जिन्होंने कनेक्शन जुड़वाने हेतु वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की हैं, उन्हीं के कनेक्शन पुनः नहीं जोड़े गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत जोन सी-प्रथम (जयपुर शहर) में लम्बित घरेलू कनेक्शन

126. श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घरेलू विद्युत कनेक्शन के मामले गत तीन माह से भी अधिक समय से लम्बित है?

(2) जयपुर शहर के विद्युत जोन सी-प्रथम में दो माह से अधिक के विद्युत घरेलू कनेक्शन के कितने मामले वर्तमान में लम्बित है? क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नानूराम कक्करालिया)

(3) क्या विद्युत मण्डल उक्त जोन सी-प्रथम के घरेलू बकाया विद्युत कनेक्शन मार्च, 2000 में करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्यवाही की गई है और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जयपुर शहर के विद्युत उपखण्ड (सी-जोन–I) में 2 माह से अधिक के वर्तमान में 37 आवेदन पत्र लम्बित हैं (जिनके मांग पत्र की राशि जमा हो चुकी है) । मांग पत्र जमा आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) जी, हां । उपरोक्त लम्बित आवेदन पत्रों में से माह मार्च, 2000 तक संसाधनों की उपलब्धि व बजट के अनुरूप अधिक से अधिक संख्या में कनेक्शन जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिशिष्ट–"अ"

दो माह से अधिक लम्बित घरेलू विद्युत आवेदन पत्रों की सूची
(सी-प्रथम से सम्बन्धित)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मांग पत्र की जमा राशि दिनांक	कनेक्शन में लगने वाले खम्भों की संख्या
1	2	3	4
1.	सुमित्रा देवी, बी–2 खादी कालोनी ।	17–11–99	2
2.	शान्ती देवी 90, एन. बी. सी. के पीछे ।	17–11–99	3
3.	भावना महरवाल 488, विद्युत नगर ।	15–11–99	2
4.	राजेन्द्र सिंह एस–137 शान्ती नगर ।	18–11–99	1
5.	राधादेवी ए–34, दुर्गा कालोनी ।	19–11–99	2
6.	सीता देवी 5, राजीव नगर	22–11–99	1

1	2	3	4
7.	सुशीला रस्तोगी 5 जमना नगर।	24–11–99	1
8.	भंवरलाल 48, श्री नारायण पुरी।	25–11–99	1
9.	जयपाल सिंह बी–18, हनुमान नगर।	29–11–99	1
10.	दमयन्ती देवी 133 ए पंचवटी कालोनी।	29–11–99	2.
11.	रामकुमार सिंह 208, सिंह भूमि।	30–11–99	1
12.	दिलीप सिंह 59, कल्याण कालोनी।	30–11–99	1
13.	गोतम लाल शर्मा शिवपुरी योजना।	2–11–99	6
14.	बलराम दुर्गा कालोनी।	3–12–99	
15.	एम. एम. जोशी 80, नेमी सागर।	1–12–99	1
16.	जे. के. मीना लक्ष्मी नगर।	4–12–99	1
17.	भंवरलाल शिवपुरी योजना।	6–11–99	पोल वर्क्स
18.	मिथलेश कुमारी 2, जमना नगर।	7–12–99	4
19.	शिवराम कंवर 130, नित्यानन्द नगर।	7–12–99	लाईन एवं पोल वर्क्स
20.	जानकी देवी शिलावतों की ढाणी।	4–12–99	2
21.	हुसैन खान 75, वेलकम कालोनी।	8–12–99	2

1	2	3	4
22.	महेश प्रसाद महर्षी, 54, ग्रिन एवन्यू ।	10–12–99	2
23.	बनवारी लाल पारीक 248-ए, चांद बिहारी नगर ।	13–12–99	1
24.	रूपनारायण कटियार शिवपुरी योजना ।	14–12–99	पोल वर्क
25.	जय कुमार जैन व विजय कुमार जैन 209-ए व बी नेमी सागर ।	14–12–99	5
26.	अशोक शर्मा सुशील पुरा ।	15–12–99	5
27.	विष्णु दयाल सिंह 1-बी सुशीलपुरा ।	—	5
28.	सुरेश मण्डल 19बी सुदामापुरी ।	15–12–99	2
29.	कमल वर्मन नवदुर्गा कालोनी ।	23–12–99	1
30.	कमोद कंवर बी-144, के. एस. स्कीम ।	27–12–99	2
31.	चन्द्रवीर सिंह 213 शान्ती नगर ।	28–12–99	1
32.	जगदीश प्रसाद 43, शिवपुरी ।	29–12–99	1
33.	जितेन्द्र प्रताप सिंह 78, नेमी सागर ।	31–12–99	4
34.	विशम्भर दयाल 209-सी नेमी सागर ।	1–1–2000	4
35.	घनश्याम चन्द्र शर्मा	1–1–2000	4
36.	शंकरलाल एच-3 आजाद नगर ।	12–1–2000	2
37.	मनराजी देवी एच-15 जमना नगर विस्तार ।	20–1–2000	1

अलवर वृत्त में विद्युत केबलिंग एवं अर्थिंग में अनियमितता की जांच

127. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल के अलवर वृत्त में वर्ष 1991 से 1994 में केबलिंग एवं आर्थिंग के कार्यों में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या इस घोटाले की जांच कराई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 में इस घोटाले में लिप्त अभियन्ताओं/अधिकारियों/कर्मचारियों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी सेवा नियम (सीसी एण्ड ए) रेग्यूलेशन, 1962 (7) (1) के अन्तर्गत मेजर चार्जशीट दी गई ? यदि हां, तो कितने लोगों को कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घोटाले में लिप्त अधिकारियों/अभियन्ताओं कर्मचारियों को मात्र मेजर चार्जशीट दी गई थी और उनमें से अनेकों को पदोन्नतियां भी दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त आरोपियों में से अनेक विद्युत मण्डल से सेवा निवृत्त हो गये ? क्या उक्त सेवा निवृत्तों के भुगतान आदि पर रोक लगाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त घोटाले में लिप्त ठेकेदारों/फर्मों के विरुद्ध भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार आज भी विद्युत मण्डल में फर्मों के नाम बदल कर ठेकेदारी का कार्य कर रहे है ? यदि हां, तो क्यों और आज भी विद्युत मण्डल उक्त ठेकेदारों को मण्डल में ठेके के कार्य क्यों दे रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अलवर वृत्त के शहर खण्ड अलवर में 218 पी. एण्ड एफ. केबलिंग वर्क के 29.505 लाख रुपये के आदेश जारी किये गये और विभिन्न उपखण्डों के द्वारा 135.04 लाख रुपये के 600 अन्य आदेश जारी किए गए। वर्ष 1991–92 से 1994–95 तक शहर खण्ड अलवर में 125 आदेश अर्थिंग कार्य के जिनकी कीमत 17.24 लाख रुपये थी, उप-खण्ड द्वारा जारी किए गए थे। इसी प्रकार जिला खण्ड अलवर में विभिन्न उप-खण्डों द्वारा 237 आदेश जिनकी कीमत रुपये 48.046 लाख थी, जारी किये गये। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त घोटालों में लिप्त 36 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विनियम —7(1) दीर्घदण्ड के तहत आरोप पत्र जारी किये गये थे जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। इनमें से 7 आरोपियों द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्रों का जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी ने इनके विरुद्ध निम्न कार्यवाही करने का निर्णय लिया है :—

दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव

(ऊर्जा मंत्री)

का दण्ड आदेश दिनांक 21.1.98 को दिया था। तत्पश्चात अपील प्राधिकारी ने उन्हें दिनांक 7.3.98 को दोष मुक्त कर दिया गया।

मामला समाप्त किया गया।

एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिनांक 27.7.98 द्वारा दिया गया। तत्पश्चात अपील प्राधिकारी ने उन्हें लिखित चेतावनी दिनांक 15.4.99 को दी गई।

मामला समाप्त किया गया।

मामला समाप्त किया गया।

मामला समाप्त किया गया।

(3) जी, नहीं। अलवर जिले में केबलिंग एवं अर्थिंग के कार्य से सम्बन्धित मामले में जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई। श्री राम लाल मदान, अधिशाषी अभियन्ता दिनांक 31.3.99 को सेवा निवृत हुये थे। उन्हें शत-प्रतिशत प्रोविजनल पेंशन ही स्वीकृत की गई है।

(4) जांच में ठेकेदारों पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। उक्त ठेकेदार अन्य नामों से विद्युत मण्डल में ठेकेदारी कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर में 132 ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

128. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य तकनीकी तौर पर स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) उक्त जिले में 132. के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण कराने में कितना समय लगेगा?

(3) उन्डू 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। बाड़मेर जिले में सिवाना एवं सावा पर 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से सिवाना पर 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन दिनांक 11.12.1999 को चालू किया जा चुका है।

(2) सवा में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2000–2001 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है।

(3) ग्राम उन्डू में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण कार्य चालू है। आवश्यक सामग्री की उपलब्धतानुसार उक्त कार्य 31 मार्च, 2000 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कोटा संभाग के अधीक्षक रहित छात्रावास

129 श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में पूर्व सैनिक सरकारी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो उन्हें हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) राज्य में वर्तमान में कितने छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक नहीं हैं या किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है और कितने छात्रावासों में शिक्षा विभाग से पूरे समय के लिए प्रति नियुक्ति पर कर्मचारी लिये हुए हैं ?

(3) कोटा संभाग में किस-किस छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक बतौर कौन-कौन कब-कब से कार्यरत हूं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) किस-किस छात्रावास में बच्चों के भोजन इत्यादि की किश्त कोषाधिकारी द्वारा कब-कब जारी की गई ? क्या इसमें किसी जिले में देरी हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में कितनी देर हुई ?

(5) उक्त अन्तराल में छात्रों के भोजन की व्यवस्था कैसे हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1999 से पूर्व छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर रखे गये थे । उक्त पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के आदेश कार्मिक (क-2) विभाग क्रमांक प. 17(7) कार्मिक/क–2/99 दिनांक 27.5.99 की पालना में हटाया गया है ।

(2) जिन छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक नहीं है/अतिरिक्त चार्ज की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है । शिक्षा विभाग के पूरे समय के लिये कोई भी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिए गए हैं ।

(3) कोटा संभाग मे कार्यरत छात्रावास अधीक्षक की सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है ।

(4) छात्रावासों में बच्चों का भोजन इत्यादि के बिल कोषाध्यक्षों द्वारा पारित किये है इसमें कुछ जिलों में द्वितीय किश्त के भुगतान में कुछ विलम्ब हुआ है । सूची परिशिष्ट (स) पर संलग्न है ।

(5) उक्त अन्तराल के दौरान संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा उधार पर क्रय कर भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संगरिया (जिला हनुमानगढ़) का कामकाजी महिला छात्रावास प्रकरण

130. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कामकाजी

(श्री के. सी. बिश्नोई)

महिला छात्रावास के नक्शे का माडल भारत सरकार द्वारा दिया जाता है तथा उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है ? यदि हां, तो संगरिया ज़िला हनुमानगढ़ में बनाये गये कामकाजी महिला छात्रवास के नक्शे के माडल की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कामकाजी महिला छात्रावास महाविद्यालय परिसर में हो सकता है ? यदि हां, तो दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) संगरिया जिला हनुमानगढ़ में कामकाजी महिला छात्रावास कहां पर बना हुआ है तथा उसमें कितने कमरे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि कामकाजी महिला छात्रावास में रहने वाली महिलाओं से शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? क्या उक्त छात्रावास में वार्डन भी रखा जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 से संगरिया कामकाजी महिला छात्रावास में रहने वाली महिलाओं से कितना शुल्क लिया, कौन-कौन वार्डन रही व वार्डन को कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है ? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि कामकाजी महिला छात्रावास के रखरखाव हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और नहीं तो इन छात्रावासों की आय का स्रोत क्या है ?

(6) क्या यह सही है कि कामकाजी महिला छात्रावास जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित हुआ है, को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है ? क्या संगरिया जिला हनुमानगढ़ में कामकाजी महिला छात्रावास का उपयोग सिर्फ कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए ही किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त छात्रावास का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है यदि हां, तो संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(7) संगरिया जिला हनुमानगढ़ में कामकाजी महिला छात्रावास में वर्ष 1987 से फरवरी, 2000 तक कौन-कौन महिलाएं रहीं तथा वे कहां-कहां नौकरी करती रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या यह सही है कि संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कामकाजी महिला छात्रावास का समय-समय पर अंकेक्षण होता रहा है ? यदि हां, तो अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। भवन का माडल नक्शा भारत सरकार के निर्देश बिन्दु 10 के अनुसार संस्था द्वारा ही तैयार कर प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा जाता है । संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कामकाजी महिला छात्रावास का नक्शा संस्था द्वारा बनवाया जाकर प्रस्तुत किया है ।

(2) भारत सरकार के निर्देशों में कामकाजी महिला छात्रावास के भवन का

(समाज कल्याण मंत्री)

निर्माण महाविद्यालय परिसर में नहीं हो सकता, ऐसा उल्लेखित नहीं है। दिशा निर्देशों के सम्बन्धित अनुच्छेद की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(3) यह कामकाजी महिला छात्रावास वाटर वर्क्स रोड, रामबाग के पास स्थित है तथा इसमें 51 कमरे हैं।

(4) जी, हां। प्रत्येक महिला से 70 रुपये प्रतिमाह लिया जाता है। वार्डन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाती है जिसे 2000/– रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है।

(5) वर्ष 1987 से 1996 तक का रेकार्ड संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मचन्द जैन द्वारा न दिए जाने के कारण संस्था द्वारा अभियोग संख्या 400 दि. 1.10.99 को दर्ज करवा रखा है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। वर्तमान में संस्था द्वारा वर्ष 96 से सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

जी नहीं। संस्था अपनी आय शुल्क व ब्याज आदि से प्राप्त राशि से संचालित करती है।

(6) जी नहीं। कामकाजी महिला छात्रावास में 96–97 से कामकाजी महिलाएं ही रह रही है जिसकी सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(7) वर्ष 1987 से 96 तक का रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण संस्था द्वारा पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

वर्ष 96 से फरवरी, 2000 तक इस छात्रावास में रहने वाली महिलाओं की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(8) वर्ष 1987 से 96 तक का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। वर्ष 96-97 से 31.3.99 तक की चार्टर्ड अकाउन्टेंट की अंकेक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रति बिस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम खोहरा मुल्ला (दौसा) के प्राथमिक विद्यालय भवन पर अतिक्रमण

131. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति महुवा के ग्राम खोहर मुल्ला के प्राथमिक विद्यालय भवन पर अतिक्रमणी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा हैं ? यदि हां, तो उसे कब तक हटाकर कब्जे राज ले लिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी महुवा को अनेकों बार कब्जा हटाये जाने हेतु अन्य अधिकारियों ने लिखा है, फिर भी कब्जा नहीं हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमी के विरुद्ध मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महुवा की ईजलास में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448 में चालान पेश किया जा चुका है। न्यायालय के निर्णय अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी।

इन्द्रगढ़-रमजपुरा (बून्दी) सड़क निर्माण कार्य

132. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले में इन्द्रगढ़ सवाईमाधोपुर रोड से ग्राम रमजपुरा तक सम्पर्क सड़क बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त राशि का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है यदि हां तो इसके क्या कारण हैं व विभाग द्वारा कार्य शुरू कराने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उत्तर उपेक्षित नहीं है।

(3) उत्तर उपेक्षित नहीं है।

विकास अधिकारी देसूरी (पाली) द्वारा अनियमितताएं

133. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देसूरी (पाली) में कार्यरत विकास अधिकारी को कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विकास अधिकारी ने पंचायत समिति देसूरी के सरपंचों/सचिवों को परेशान करने हेतु रिकार्ड जांच के नाम पर काफी पत्र निकाले हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही से काफी राशि वसूल की गई और राशि नहीं मिलने वाले सरपंचों/सचिव का रिकार्ड जमा कर लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? जमा किये गये रेकार्ड का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसकी सेवाएं पुनः पैतृक विभाग में लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां । प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण कार्यक्रम के पत्र निकाले गये हैं तथा लम्बित जांच की जांच हेतु भी पत्र निकाले गये है । पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत की जांच की गई है जांच रिपोर्ट में सरपंचों एवं सचिवों से पैसा वसूलने का उल्लेख नहीं है । जांच रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । विकास अधिकारी ने तीन पंचायतों के पट्टे रजिस्टर आदि जांच हेतु मंगवाये हैं, विवरण संलग्न है ।

(4) जी, नहीं । विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी के विरुद्ध जिला कलेक्टर द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं । जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत दुगारी (जिला बूंदी) में फर्जी मृत्यु संबंधी इन्द्राज

134. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1991 से 1993 की अवधि में ग्राम पंचायत दुगारी (बूंदी) के जन्म मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु सम्बन्धी फर्जी इन्द्राज करने तथा फर्जी मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में की गई जांच कार्यवाही पूरी हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बताई गई फर्जी मृत्यु का इन्द्राज सरकारी दस्तावेज में करने तथा मृत्यु सम्बन्धी असत्य कथन की शाहदत देने वाले के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाये जाने बाबत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी, नहीं । जन्म मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु सम्बन्धी फर्जी इन्द्राज करना तथा फर्जी मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप जांच रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं हुआ है ।

(जांच रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची में प्रस्तावित पर्यटन स्थल

135. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में पर्यटन स्थल घोषित करने के क्या मानदण्ड है ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र खारची में स्थित आचार्य श्री भिक्षु स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी पर्यटन स्थल घोषित करने के मानदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं। जिन स्थलों स्थलों पर वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का आवागमन रहता है, वे स्थल स्वत: पर्यटक स्थल हो जाते है। तत्पश्चात पर्यटन विभाग उस स्थल पर पर्यटकीय सुविधाओं तथा उसके प्रचार-प्रसार को विभागीय योजना में शामिल करता है।

(2) जी, नहीं। विभाग द्वारा किसी भी स्थान को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

जिला भीलवाड़ा के पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं

136. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा में ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक स्थल एवं पर्यटन स्थल कहां-कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस स्थल को एवं कब तक ?

(3) क्या उक्त स्थलों पर पेयजल सुविधा, सुलभ काम्पलेक्स, धूप व वर्षा से बजाव हेतु शेड का निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

भीलवाड़ा जिले में राज्य सरकार द्वारा संरक्षित पुरातात्विक महत्व के स्मारक

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान
1	2	3
1.	मीनार (प्रहरी स्तम्भ)	मण्डल
2.	छतरी (बत्तीस खम्भों की छतरी)	मण्डल

1	2	3
3.	प्रतिमायुक्त शीतला मन्दिर	घट्टनोप
4.	विष्णु मन्दिर	घोड़
5.	रूठी रानी का मन्दिर	घोड़
6.	स्व. श्री केसरीसिंह बारहठ का भवन (श्रीमती नम्रदा देवी पत्नी श्री आत्मानन्द मानव के कब्जे में)	शाहपुरा में जैन मन्दिर से लगा हुआ तथा चारभुजा मन्दिर के नजदीक नगरपालिका शाहपुरा संख्या 9/346

भीलवाड़ा जिले में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित पुरातात्विक महत्व के स्मारक

1.	माहकाल व अन्य दो मन्दिर	बिजोलिया
2.	शिलालेख (17वीं शति)	बिजोलिया
3.	शिलालेख (पार्श्वनाथ मन्दिर परिसर में) 12वीं शति	बिजोलिया
4.	प्राचीन मन्दिर (कनेट की पुतली)	खादीपुर

भीलवाड़ा जिले में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल

1. मण्डलगढ़ किला
2. मेनाल
3. बिजोलिया
4. भीमलत
5. तिलस्वा महादेव मन्दिर

जिला भीलवाड़ा में संचालित योजनाओं का मूल्यांकन

137. श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं ? वर्ष 1995–2000 तक गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना तथा किन-किन प्रवृत्तियों पर व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त योजनाओं का कभी भौतिक मूल्यांकन भी करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 बाल विकास परियोजनाएं एवं महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला महिला विकास अभिकरण संचालित है इनमें से 3 बाल विकास परियोजनाएं वर्ष 1999–2000 में ही स्वीकृत की गई हैं।

वर्ष 1995-2000 तक व्यय धनराशि का विवरण निम्नानुसार है

1- बाल विकास कार्यक्रम (राशि लाखों में)

क्र सं.	वर्ष	आयोजना व्यय	आयोजना भिन्न व्यय	सीएसएस	योग
1	2	3	4	5	6
1.	1995-96	4.28	47.45	91.17	142.90
2.	1996-97	18.64	—	133.75	152.39
3.	1997-98	19.07	—	157.03	176.10
4.	1998-99	16.54	—	198.14	214.68
5.	1999-2000 (2/2000 तक)	15.59	—	158.82	174.41
	योग :-	74.12	47.45	738.91	860.48

2- महिला विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों रुपये में)				
		95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	महिला विकास कार्यक्रम (सामान्य)	15.08	19.34	18.26	22.28	14.88
2.	किशोर बालिका योजना	0.68	1.92	0.96	2.58	1.68
3.	महिला राजगीर योजना	0.20	—	—	0.14	0.95
4.	स्वयं सहायता समूह	—	—	—	0.16	1.17
5.	सामूहिक विवाह अनुदान	—	—	8.30	—	—
6.	यू.एन.एफ.पी.ए.	—	1.74	—	—	1.79
7.	जिला महिला सहायता समिति	—	—	—	0.06	0.02
8.	महिला चेतना योजना	—	—	—	—	—
9.	महिला समृद्धि योजना	—	—	—	1.00	—
	योग	15.96	23.00	19.52	26.22	20.49

(2) समेकित बाल विकास कार्यक्रम तथा महिला विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन राज्य सरकार के मूल्यांकन संगठन से करवाया गया है । जिसका विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ", "ब" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रणाली में प्रभाव

138. **डा. किरोड़ीलाल** (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु राज्य सरकार ने महाराष्ट्र प्रणाली लागू की है ? उसका प्रारूप क्या है ? प्रारूप की प्रति तथा केबिनेट में किये गये फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) महाराष्ट्र प्रणाली लागू कर दिए जाने के बाद अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों के हित में क्या क्या परिणाम आये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देश तथा केबीनेट में किये गये फैसले की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2000–2001 से किया जावेगा। तत्पश्चात ही अनु. जनजातियों/आदिवासियों के हितों के परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम भंवरकी (पंचायत समिति बामनवास) की स्वीकृत सड़क

139. **श्री किरोड़ीलाल** (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विशिष्ट योजनान्तर्गत पंचायत समिति बामनवास के ग्राम भंवरकी हेतु करीबन 26 लाख रु. की सड़क की स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खुर्रीमाता दौसा जिला सीमा से भंवरकी वाया नारोली चौड़ का सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य क्यों नहीं चालू किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ 26( ) सुरो/सड़क सैक्ट/96/2537 दिनांक 4.1.97 के सिफारिश के आधार पर इस विभाग के पत्रांक एफ 4 (20) वियोस/सुरोयो.स.माधोपुर/94/1022-23 दिनांक 15.2.97 द्वारा पंचायत समिति बामनवास के ग्राम भंवरकी हेतु रु. 29.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर का पत्र दिनांक 4.1.97 परिशिष्ट–"अ" पर एवं इस विभाग द्वारा जारी स्वीकृति की फोटो प्रति परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी, नहीं। खुर्री माता दौसा जिला सीमा से भंवरकी वाया नारोली चोड़ सड़क का सर्वे नहीं हुआ है।

डामरीकरण कार्य भी पी.डब्ल्यू.डी. विभाग उनके स्वयं के संसाधनों से किया जावेगा ।

4– कार्यों का सम्पादन किसी भी प्रकार से ठेकेदारों के माध्यम से नहीं करवाया जावेगा ।

5– योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित रोजगार की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा ।

ह./–
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1– जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जि ग्रा वि. अभिकरण, सवाई माधोपुर ।

2– परियोजना निदेशक, जि.ग्रा.वि अभिकरण, सवाई माधोपुर ।

ह./–
उप शासन सचिव

सांगानेर एयर पोर्ट के लिए भूमि अवाप्त प्रकरण

140 श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांगानेर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता थी और उसमें से कितनी भूमि अब तक किस-किस स्थानों से अवाप्त की जा चुकी हैं ? वर्ष 2000–2001 में किन-किन स्थानों से अब और कितनी भूमि अवाप्त किये जाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सांगानेर एवं जगतपुरा में बसी आवासीय कालोनियों को वर्ष 2000-2001 में अवाप्त करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो किस-किस कालोनी की कितनी भूमि अवाप्त की जानी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने और भूमि अवाप्ति करने हेतु सीमा की चकबन्दी की है ? यदि हां, तो चकबन्दी एरिया में कौन से गांव एवं आवासीय कालोनी चिन्हित की गई तथा उक्त भूमि को अवाप्ति करने हेतु अब क्या किया जा रहा है, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिये और क्या-क्या सुविधा हेतु सांगानेर एवं जगतपुरा क्षेत्र के किसानों की जमीनें अवाप्ति करने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सांगानेर एयरपोर्ट को अन्तर-राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये 483 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है जिसका

(राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन)

अवार्ड दिनांक 6.4.95 एवं 7.8.95 को को जारी किया जा चुका है। अवाप्त की गई ग्रामवार भूमि निम्न अनुसार है :---

ग्राम का नाम	रकबा बीघा
1. बुद्धसिंहपुरा	96·01
2. मनोहरपुरा	79·08
3. टीलावाला	47·05
4. वाढटीलावाला	77·07
5. जगतपुरा	2·04
6. खोखावास	12·18
7. सूरजपुरा घाटी	29·11
8. सवाई गेटोर	138·19
कुल	483·13

वर्ष 2000-2001 में किन-किन स्थानों से कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की जानी है इसके बारे में विमानपत्तन प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) वर्ष 2000-2001 में सांगानेर एवं जगतपुरा में बसी आवासीय कालोनियों की भूमि अवाप्ति के कोई प्रस्ताव विमान पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) और भूमि अवाप्ति हेतु किसी भी ग्राम एवं आवासीय कालोनी में भूमि की चकबन्दी एवं भूमि चिन्हित करने बाबत विमान पत्तन प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर में मूलभूत सुविधायें

141. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में ऐसे कितने विश्वविद्यालय एवं कालेज हैं जिनमें छात्रों के अनुपात में मूलभूत सुविधाएं फर्नीचर, कुर्सी/टेबिल, पुस्तकें समय-समय पर उपलब्ध नहीं हो रहीं है ? उक्त विश्वविद्यालयों के नाम एवं कॉलेजों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 1998-1999 में कुल कितना बजट आवंटित किया गया उसमें से कितनी राशि किन-किन मदों पर व्यय की गई और कितनी राशि प्रयोगशाला पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावासों में छात्रों को पीने का पानी, फर्नीचर, अध्ययन टेबिल, कुर्सी, बुक रेक, पलंग, विद्युत व्यवस्था तथा भवनों की रंगाई पुताई की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों को पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त छात्रों को पुस्तकें पुस्तकालय से उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्राय: सभी महाविद्यालयों में छात्रों के बढ़ते प्रवेश, दबाव, नवीन वर्गों को प्रारम्भ करने एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण मूलभूत सुविधाओं की कमी है ।

(2) एम. बी. एम. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर को वर्ष 1998–99 में राज्य सरकार द्वारा रुपये 493.95 लाख आवंटित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

(1)	वेतन	470.00 लाख
(2)	कन्टीजेन्सी	23.35 लाख
(3)	कच्चा माल व अन्य (प्रयोगशालाओं के लिये)	3.96 लाख

प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण मद में रुपये 1.00 लाख व्यय किये गये हैं ।

(3) जी नहीं । सुविधायें उपलब्ध कराना वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करता है । वित्तीय सीमितता के बावजूद भी अधिकतर छात्रावासों में पीने का पानी, अध्ययन हेतु टेबिल कुर्सी, पुस्तकें व अन्य सामग्री हेतु दरवाजा लगी हुई अलमारी, सोने के लिये पलंग, विद्युत व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाती है ।

रंगाई पुताई का कार्य, मरम्मत हर तीन साल में करवाया जाता है ।

(4) जी हां । वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पुस्तकालय में कुछ नये विषयों की पाठ्य पुस्तकों की संख्या पर्याप्त नहीं है ।

(5) जी हां । पुस्तकालय में बजट की उपलब्धता को देखते हुए प्रति वर्ष नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं, जिनका उपयोग छात्र समय-समय पर करते हैं, किन्तु जन सहयोग से व जनप्रतिनिधिगणों के स्वविवेक फण्ड द्वारा पुस्तकालय व छात्रावास विकास व अन्य सुविधाओं में योगदान से इस कमी को पूरा करना अपेक्षित है । छात्रों से विकास शुल्क लेने के बारे में भी यदि सदस्य सहमत हो तो सोचा जा सकता हैं ।

———